द्वितीय माला, खंड ५२—अंक २५

सोमवार, २० मार्च, १९६१
२९ फाल्गुन, १८८२ (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ५२ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ९५३ से ९६३ . . २८४९—७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९६४ से ९८७ . . . . २८७१—८२

अतारांकित प्रश्न संख्या १९१६ से १९७०, १९७२ से १९८० और १९८२ से १९९१ . . . . . २८८३—२९१८

विशेषाधिकार प्रश्न के बारे में २९१८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . २९१८

राज्य सभा से सन्देश . . . २९१८–१९

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . २९१९

तम्बारम् के निकट विमान दुर्घटना के बारे में वक्तव्य—

श्री कृष्ण मेनन २९१९–२०

बीमा (संशोधन) विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव . . . . २९२०—२६

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा . . . . . २९२०—२३

श्री ले० अचौ सिंह २९२३

खण्ड २, ३ और १—

पारित करने का प्रस्ताव—

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा . . . . . २९२३—२६

अनुदानों की मांगें

शिक्षा मंत्रालय—

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही . . . . . २९२७—२९

श्री गोरे २९२९–३०

श्री बैरो २९३०

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिये

लोक-सभा

सोमवार, २० मार्च, १९६१

२९ फाल्गुन, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ग्राम्य जीवन बीमा

+

†*९५३. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री उस्मान अली खां :
श्री कोडियान :
श्री आसर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की पंचायतों के अभिकरण के माध्यम से ग्राम्य जीवन बीमा की कोई योजना है ; और

(ख) इस योजना के बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

†वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) और (ख). पंचायतों के माध्यम से ग्राम्य बीमा योजना पर अभी राज्य सरकारों और जीवन बीमा निगम के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या पंचायत को एजेन्ट मानने का इरादा है या सरपंच को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को एजेंट माना जायेगा ? यदि पंचायतों को एजेन्ट नियुक्त करने की प्रस्थापना है, तो क्या उन को कोई प्राथमिकता दी जावेगी ?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : पंचायतें स्वयं सरपंच को अथवा मुखिया को अपना एजेन्ट मनोनीत करेगी और यदि यह योजना कार्यान्वित हुई, तो यह कार्य सम्बन्धित राज्यों के परामर्श

†मूल अंग्रेजी में

से किया जायेगा। यदि पंचायतें एजेन्सी लें और वे पंचायत से एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करें, तो मुखिया अथवा सरपंच को प्रथम वर्ष में एक चौथाई कमीशन दिया जायेगा और तीन चौथाई कमीशन पंचायत को दिया जायेगा। अगले वर्ष से सारा कमीशन पंचायत को दिया जायेगा।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : राज्य सरकार के समक्ष क्या प्रस्ताव रखे गये हैं और क्या वे सामुदायिक विकास मंत्रालय के परामर्श से रखे गये हैं ?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : सामुदायिक विकास मंत्रालय ने स्वयं जीवन बीमा निगम को इस योजना का सुझाव दिया और निगम सहयोग देने को तैयार हो गया। अब मंत्रालय ने सम्बन्धित राज्य सरकारों को पत्र लिखे हैं और प्रत्येक राज्य अपने बारे में योजना का परीक्षण कर रहा है। कुछ राज्यों के बारे में कुछ प्रगति की गई है। उदाहरणतः राजस्थान ने योजना को कार्यान्वित कर लिया है। विभिन्न राज्यों में योजना का ब्योरा जीवन बीमा निगम के प्रतिनिधियों द्वारा तैयार किया जायेगा।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि किन किन राज्यों की इस सम्बन्ध में प्रतिक्रिया मालूम हुई है और इस सम्बन्ध में कितनी और देरी लगेगी ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : राजस्थान, असम और मध्य प्रदेश में कुछ हद तक कामयाबी हासिल हुई है और आंध्र प्रदेश, केरल, मद्रास, जम्मू काश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार में इस के बारे में जांच पड़ताल हो रही है और कोशिश हो रही है। दिल्ली, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा ने अभी मजबूरी जाहिर की है लेकिन फिर भी वे इस बात की जांच पड़ताल कर रहे हैं।

†श्रीमती इला पालचौधरी : उपमंत्री महोदया ने बताया था कि पंचायतों को ग्राम्य जीवन बीमा का कुछ उत्तरदायित्व सौंपा जायगा। क्या वे ग्राम्य क्षेत्रों में जनता पालिसी भी लागू करेंगे?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : यह जनता पालिसी से बहुत भिन्न है। इस को इस के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिये।

†श्री अजित सिंह सरहदी : पंजाब के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। वहां क्या प्रगति की गई है ?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जैसा मैं ने बताया, सामुदायिक विकास मंत्रालय ने प्रत्येक राज्य को पत्र लिखे हैं। प्रगति के बारे में भी मैं बता चुकी हैं।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : इस प्रस्थापना पर पंजाब सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है—क्या उस राज्य से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : अभी इस का पता नहीं है।

†श्री साधन गुप्त : क्या इस योजना के अधीन किसी विशेष प्रकार की पालिसी अपेक्षित है अथवा यह योजना सभी प्रकार की पालिसियों के लिये है ?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : कोई विशेष प्रकार की पालिसी अपेक्षित नहीं है। यह जीवन बीमा निगम का मामला है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री खुशवक्त राय : मैं जानना चाहता हूं कि इन्श्योरेंस के लिये देहाती क्षेत्रों की परिभाषा आबादी के खयाल से क्या कोई की गई है ?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : देहात की परिभाषा करने की आवश्यक ही कोई खास नहीं है ।

†श्री कोडियान : ग्राम्य क्षेत्रों में ग्राम्य जीवन बीमा योजना लागू करने में जो बाधा है वह डाक्टरी परीक्षा की सुविधाओं का न होना है । इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जीवन बीमा निगम ने डाक्टरी परीक्षा के तरीके को बहुत सरल बना दिया है ।

श्री पहाड़िया : राजस्थान में क्या यह लाइफ इनश्योरेंस का काम पंचायतों के जरिये शुरू किया गया था और यदि किया गया था तो उस का क्या नतीजा निकला है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : राजस्थान में इस का अच्छा प्रभाव पड़ा है और काफी अच्छी उन्नति हुई है ।

†श्री काशी नाथ पांडे : इस योजना को कार्यान्वित करने में राज्य सरकारों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : उन की अपनी कठिनाइयां हो सकती हैं—बहुत सी बातें हैं ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं जानता हूं कि मामले में राजस्थान काफी अच्छा काम कर रहा है । अतः मैं उपमंत्री महोदया का यह उत्तर नहीं समझ सका कि योजना अभी विचाराधीन है जबकि योजना चालू है । यह योजना किस आधार पर चलाई गई है—यह पंचायतों द्वारा चलाई जा रही है या सरपंचों के माध्यम से ?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा वर्तमान योजना भेजने से पहले ही राजस्थान ने योजना चालू कर दी थी । मैं बता चुकी हूं कि राजस्थान में यह योजना लगभग बीस खंडो में फैल गई है । मैं ने बताया कि कुछ अन्य राज्यों में मामला विचाराधीन है ।

इस्पात का निर्यात

*९५४. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उद्योग क्षेत्र में इस्पात के तीनों कारखानों के चालू होने के बाद अगले वर्ष भारत लोहे का तैयार माल कितनी मात्रा में निर्यात कर सकेगा ;

(ख) क्या इन कारखानों का कुल उत्पादन देश की कुल आवश्यकताओं से अधिक होगा और यदि नहीं, तो यह निर्यात कहां तक और किन बातों के आधार पर उचित होगा ;

(ग) किन-किन देशों में लोहे के तैयार माल की मांग है और भारत का किन-किन देशों को इस का निर्यात करने का विचार है ; और

(घ) क्या भारत सरकार उन देशों के साथ पत्र-व्यवहार आरम्भ किया है जहां इन की मांग है और यदि हां, तो इस कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) और (ख). जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है सरकारी उद्योग क्षेत्र में इस्पात का उत्पादन १९५९ के प्रारम्भ में शुरू हुआ था। तब से लेकर इस्पात कारखानों के विभिन्न विभाग उत्तरोत्तर चालू हुए हैं। इस अवस्था में अपिधम लोहा और अर्द्ध परिरूपित इस्पात जैसे पिण्डकें, बिलेट और स्लैब का निर्यात करना सम्भव हो सका है। फिनिशिंग मिलों के चालू हो जाने पर यह आशा नहीं की जाती कि निर्यात के लिए कोई वास्तविक बचत होगी। यह सम्भव हो सकता है कि कुछ ऐसा माल जिस की देश में सख्त जरूरत न हो विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए निर्यात किया जाये ताकि उससे देश में ऐसे माल का आयात किया जा सके जिसकी मांग इस्पात कारखानों के अधिक उत्पादन से भी भली प्रकार न हो सकती हो। इस आधार पर यह सम्भव हो सकता है कि १९६१ में कुछ मात्रा में स्लैब, बिलट, वाइड स्ट्रिप और शायद हेवी स्ट्रक्चरल और बार निर्यात किये जायें।

(ग) और (घ). निर्यात उन देशों को किया जायेगा जिन में उस समय मांग होगी। अब तक लोहे और इस्पात का निर्यात पाकिस्तान, जापान, यू० के०, यू० एस० ए०, इटली, पश्चिमी जर्मनी, हालैण्ड, ब्रह्मा, अफगानिस्तान और नेपाल को किया गया है।

(इसके पश्चात् उत्तर हिन्दी में भी पढ़ा गया)

श्री म० ला० द्विवेदी : प्रश्न के भाग (घ) में पूछा गया है कि जिन देशों से मांग की सम्भावना है क्या उन देशों से कोई लिखा पढ़ी की गई है। प्रश्न के उत्तर में यह नहीं बतलाया गया कि उन देशों से या जहां यह माल जाता है कोई लिखा पढ़ी हुई है। यदि नहीं हुई तो इस का क्या कारण है ?

श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : जैसा मैंने बतलाया, कुछ देशों में हम लोहा भेजते रहे हैं, और यह भी बतलाया गया कि आगे चल कर कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि काफी लोहा हम बाहर भेज सकेंगे। अब जिन देशों को हम लोहा भेजते हैं, वह इसी ख्याल से कि उन से हमारे सम्बन्ध अच्छे रहे। इस लिये अभी इस की कोई जरूरत नहीं पढ़ती है कि हम उन देशों से इस वक्त लिखा पढ़ी करें कि हम कितना लोहा भेज सकेंगे।

श्री म० ला० द्विवेदी : जिन देशों को हम यह तैयार माल भेजेंगे जैसे इन्गाट्स वगैरह, उन से क्या इस के बदले में हमें ऐसी वस्तुयें मिल सकेंगी जो कि इस देश को आयात हो सकें, जिस से कि हमें फारेन एक्स्चेन्ज का फायदा हो सके ? यदि हां, तो क्या ?

श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : अब जिन देशों को हम भेज रहे हैं उन के अलावा भी कुछ देशों को आगे चल कर कुछ खास तरह का लोहा भेज सकेंगे और उम्मीद है कि उन के बदले में ऐसी चीज़ें मंगा सकेंगे जिन की जरूरत यहां ज्यादा हो।

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : निर्यात से हमें विदेशी मुद्रा मिलेगी जिसे हम कोई भी चीज़ आयात करने में इस्तेमाल कर सकते हैं।

†**श्रीमती रेणुका राय** : सभा-सचिव जी ने बताया है कि हम कुछ आयात के बदले कुछ खास तरह का इस्पात बाहर भेजेंगे। परन्तु उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि क्या कुल मिला कर इस्पात का उत्पादन कुछ आवश्यकता से अधिक होगा, अर्थात् यद्यपि हम कुछ प्रकार के इस्पात का निर्यात करें और अन्य किस्म का आयात करें, तो क्या कुल मिला कर निर्यात फालतू रहेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : मैं बता चुका हूं कि जहां तक कुछ श्रेणियों का सम्बन्ध है, हम अपनी मांग पूरी कर सकेंगे परन्तु जहां तक अन्य श्रेणियों का सम्बन्ध है, काफ़ी समय तक हमें वह आयात करना होगा। हमारे पास कुछ प्रकार का इस्पात फालतू होगा जो हम निर्यात करेंगे और कुछ अन्य श्रेणियों, जैसे टीन की प्लेटें, को हमें काफ़ी समय तक आयात करना पड़ेगा।

†श्री रघुनाथ सिंह : हम कितने इस्पात का निर्यात करेंगे और इस समय हम कितने इस्पात का आयात कर रहे हैं?

†सरदार स्वर्ण सिंह : जहां तक वर्तमान आयात का सम्बन्ध है, यदि एक पृथक प्रश्न पूछा जाये तो मैं किसी भी वर्ष के आंकड़े दे सकूंगा। कुल मिलाकर इन वर्षों में, अर्थात् पिछले एक वर्ष में या इस समय भी हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ रहा है क्योंकि हमारा उत्पादन ही निर्धारित क्षमता को नहीं पहुंचा है। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि हम कितनी मात्रा का निर्यात कर सकेंगे, वह प्रथम हमारी आन्तरिक आवश्यकता पर निर्भर है। जो कुछ फालतू होगा, वह निर्यात किया जायेगा और इस बारे में निश्चित रूप से कोई आंकड़े नहीं दिये जा सकते।

श्री रा० स० तिवारी : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन कारखानों में उत्पादित वस्तुयें जो होंगी वे भारत के प्रदेशों में कोटा के हिसाब से वितरित होंगी या जिस की जो इच्छा होगी उस के अनुसार दी जा सकेंगी?

सरदार स्वर्ण सिंह : मेरा ख्याल है कि जिस की जितनी इच्छा होगी हम उतनी उसको दे सकेंगे।

†श्री आचार : क्या उत्पादन-लागत का हिसाब लगा लिया गया है और क्या इस्पात के विश्व मूल्य को ध्यान में रखते हुए हम अपने लोहे को लाभ से बेच सकेंगे?

†सरदार स्वर्ण सिंह : लोहा अथवा इस्पात के मामले में हम प्रतियोगिता कर सकते हैं।

†श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर हम जापान या दूसरे देशों को अपने कारखानों का तैयार माल भेजेंगे तो क्या जापान आदि से मैशीनरी या लोहे का ऐसा सामान जो कि हमारे देश के लिये आवश्यक है, आ सकेगा। यदि हां, तो उस में क्या सुविधा होगी और कितने प्रतिशत तक वह माल आयेगा?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह तो मोटी बात है कि अगर हम जापान को या किसी देश को यहां का बना हुआ पिग आयरन या स्टील भेजेंगे तो उस के इवज में डालर्स या पाउंड स्टर्लिंग फारेन एक्स्चेन्ज में मिलेंगे। उस डालर या पाउंड स्टर्लिंग फारेन एक्स्चेन्ज को हम उस देश से या किसी और देश से अपने देश में कोई चीज, मैशीनरी वगैरह की, लाने के लिये इस्तेमाल कर सकते हैं। आम तौर पर अगर बार्टर न हो तो हमारे देश के लिये ज्यादा अच्छा है। कई देश ऐसे हैं जिन से हमें बार्टर करना पड़ता है। अगर बार्टर न हो और हमें फ्री फारेन एक्स्चेन्ज मिले तो यह और भी अच्छी चीज है।

†श्री रामी रेड्डी : तारों और तार-उत्पादों के निर्माण की क्या स्थिति है?

†सरदार स्वर्ण सिंह : स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : हमसे कौन कौन से देश इस्पात खरीदेंगे?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सरदार स्वर्ण सिंह : वे देश जो सबसे अधिक कीमत देंगे ।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : दक्षिण पूर्व एशियाई प्रदेश में कौन से देश हमारा इस्पात खरीदेंगे ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : दक्षिण-पूर्व एशिया में या विश्व के किसी भी भाग में जो हमें अधिक मूल्य देगा, वह हमसे माल खरीद सकता है ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : हम यह जानना चाहते हैं कि क्या उन्होंने मंडियों और विश्वमूल्यों का पता लगा लिया है ।

†सरदार स्वर्ण सिंह : हमें निर्यात की जाने वाली चीजों की स्थिति का पता है । दक्षिण पूर्व एशिया में कच्चे लोहे और अर्ध परिरूपित उत्पादों के लिये प्रमुख देश जापान है । जहां तक अन्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का सम्बन्ध है, उनकी आवश्यकता बहुत अधिक नहीं है और उनकी मांग चलती रहने वाली नहीं है । इस्पात का विश्वमूल्य भी बदलता रहता है । अतः यह बताना बहुत कठिन है कि किसी विशेष समय पर किसी देश को फलां फलां सामान निर्यात किया जा सकता है ।

†श्री हेम बरुआ : क्या सरकार ने इस्पात के लिये मंडियों का पता लगा लिया है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : निर्यात की अपेक्षा हम आयात के लिये विश्व की मंडियों का पता लगा रहे हैं क्योंकि इस्पात की हमारे यहां बहुत कमी है । हमारा निर्यात बहुत कम है और बहुत कम रहेगा और हमारे लिये यह समझना गलत होगा कि इस्पात का निर्यात व्यापार में हम कोई महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं ।

†श्री हेम बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं .....

†अध्यक्ष महोदय : मैं उनको अनुमति नहीं दूंगा । अगला प्रश्न ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में विद्युत् की कमी

\+

†*९५५. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री कोडियान :
श्री वारियर :
श्री मुरारका :
श्री नथवानी :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को निकट भविष्य में बिजली की कमी का सामना करना पड़ सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) : (क) और (ख). जी नहीं । दुर्गापुर के लिए आवश्यक बिजली दामोदर घाटी निगम और दुर्गापुर उद्योग बोर्ड से प्राप्त करने की व्यवस्था हो रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या दुर्गापुर कारखाने का उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना है और यदि हां, तो क्या वहां बिजली का उत्पादन बढ़ाया जायेगा या कहीं बाहर से बिजली ली जायेगी ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : दुर्गापुर कारखाने के विस्तार की कोई योजना नहीं है और हमें दामोदर घाटी निगम तथा दूसरे जरियों से अधिक बिजली मिलने की आशा है ।

†श्री मुरारका : कुछ महीने पहले आयोजन आयोग के एक सदस्य ने कहा था कि दुर्गापुर क्षेत्र में बिजली के अकाल की स्थिति पैदा होने की सम्भावना है । क्या उससे उस क्षेत्र के और अधिक औद्योगीकरण पर कुछ असर पड़ेगा ? क्या उससे स्टेनलेस इस्पात और विशेष मिश्र धातु के कारखानों की प्रगति पर प्रभाव पड़ेगा ?

†इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : जी नहीं ।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : क्या किसी छोटे बिजली घर (ग्रिड) की कोई योजना है ? क्या आप स्थानीय उत्पादन पर निर्भर रहेंगे या दूसरी सप्लाई से उसे पूरा करेंगे ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : जहां तक देश का सम्बन्ध है, दामोदर घाटी स्वत: काफी महत्वपूर्ण बिजलीघर है ।

†श्री साधन गुप्त : क्या दुर्गापुर कारखाने के विस्तार के बाद बिजली की आवश्यकता का अन्दाज लगाया गया है और यदि हां, तो अतिरिक्त आवश्यकता कितनी है और उसमें से कितनी उपलब्ध होगी ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता का अनुमान लगाया जा चुका है और आशा है कि दामोदर घाटी निगम बिजली घर बिजली की यह अतिरिक्त मात्रा दे सकेगी । मोटे आंकड़े तैयार किये गये हैं लेकिन ब्यौरे अभी तैयार करन हैं ।

†श्री मुरारका : क्या विशेष औजार और मिश्र धातु कारखाने की बिजली सम्बन्धी आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है और क्या बिजली पैदा करने वाला संयंत्र स्थापित करने की व्यवस्था इस परियोजना में है या वह बिजली कहीं बाहर से ली जायेगी ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : स्टेनलेस स्टील और स्पेशल स्टील प्लेट्स की बिजली सम्बन्धी आवश्यकताओं पर सावधानी से विचार किया गया है । यहां कारखाना स्थापित करने का एक मुख्य कारण यह भी था क्योंकि खास कर इस क्षेत्र में दामोदर घाटी निगम बिजली घर में वोल्टेज में परिवर्तन कम होते हैं । इसलिे इन आवश्यकताओं पर काफी अच्छी तरह विचार किया गया है और दुर्गापुर में दामोदर घाटी निगम बिजली घर इसकी ओर ध्यान देगा और मुख्य दामोदर घाटी निगम बिजली घर से इसकी सप्लाई पूरी भी की जा सकती है ।

सरकारी उपक्रम

+

†*९५६. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री विद्या चरण शुक्ल :

क्या वित्त मन्त्री २० दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १००२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी उपक्रमों के बारे में प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**वित्त उप मंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). सिफारिशों पर अभी विचार हो रहा है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या सम्बन्धित मन्त्रालयों की राय मालूम की गयी है और यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : प्रत्येक प्रशासनिक मन्त्रालय जिसके अधीन ये सरकारी उपक्रम हैं, इस समिति की सिफारिशों की छानबीन स्वत: करेगा। इसलिये उनकी राय स्वाभाविक रूप से ही मालूम हो जायेगी ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : अभी हाल एक समाचार था कि इस सम्बन्ध में संसद सदस्यों की एक स्थायी समिति बनायी जा रही है । क्या इस बारे में अब तक कोई अन्तिम निर्णय किया जा चुका है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जी नहीं । वह बात सही नहीं है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि एस्टीमेट्स कमेटी को इस प्रतिवेदन को पेश किए बहुत वक्त हो गया, क्या कारण है कि इस समय तक सरकार इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं कर पायी ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : यह मामला बड़ा पेचीदा है और इसके बारे में काफी होशियारी से जांच पड़ताल करने की जरूरत है । इसीलिये अभी तक इसके बारे में कोई फैसला नहीं हो सका ।

देहरादून में पैट्रोलियम संस्था

*९५७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री २४ नवम्बर १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैट्रोलियम संस्था को स्थापित करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस संस्था का कार्य देहरादून में ही प्रारम्भ कर देने की कब से व्यवस्था की जा रही है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूंन् कबिर)** : (क) मेरे पिछले जवाब के बाद से अब तक इंस्टीट्यूट में दो और फ्रेंच विशेषज्ञ आ गये हैं और कुछ वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारी भी भर्ती हुये हैं । फ्रेंच पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट में चार लोग ट्रेनिंग के लिये भेजे जा रहे हैं । देहरादून में इंस्टीट्यूट बनाने के लिये जगह चुन ली गई है और जगह लेने के लिये कार्यवाही हो रही है । आर्कीटैक्ट इमारतों के नक्शे और तख्मीने बना रहे हैं ।

(ख) इमारत पूरी हो जाने के बाद, जिसमें २–३ साल लगेंगे ।

श्री भक्त दर्शन : इस संस्था का काफी सम्बन्ध आइल और नेचुरल गैस कमीशन से है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस संस्था का सहयोग भी इसके साथ रहेगा ?

श्री हुमायूंन् कबिर : उनसे काफी सहयोग है । माननीय सदस्य को यह सुन कर खुशी होगी कि जो यह इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम है इसकी एक्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन माइन्स और आइल मिनिस्ट्री के मन्त्री श्री केशव देव मालवीय हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : माननीय मन्त्री जी ने बतलाया कि देहरादून में इस संस्था के स्थापित होने में दो तीन वर्ष लगेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि इस देरी का क्या कारण है और इस पर कितना रुपया खर्च होने का अनुमान है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैंने तो पहले ही हाउस में बतलाया है कि काम शुरू हो गया है। इसलिये देरी का कोई सवाल नहीं है। जमीन मिलने में कुछ समय लगा और अब वहां बिल्डिंग का काम शुरू हो रहा है। अभी तो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम हो रहा है। पूरा काम होने में दो तीन साल का वक्त लगेगा।

श्री भक्त दर्शन : इस संस्था को फ्रेंच संस्था का सहयोग भी मिलने वाला है। मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक उन्होंने क्या सहयोग दिया है और भविष्य में क्या सहयोग देंगे ?

श्री हुमायून् कबिर : पहले उनके दो एक्सपर्ट आए थे और अभी दो एक्सपर्ट और आये हैं। वह सामान की मदद देंगे। इस तरह से वह काफी मदद करेंगे।

†**श्री सम्पत** : क्या फ्रान्स की सरकार से कोई सहायता प्राप्त हुई है और यदि हां तो कितनी ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैंने अभी अभी बताया है कि कुछ समय पहले दो फ्रेंच विशेषज्ञ आये थे और दो विशेषज्ञ और आये थे। वे कुल तेरह फ्रेंच विशेषज्ञ देंगे। इसके अलावा साज सामान के रूप में भी कुछ सहायता मिलेगी।

†**श्री सम्पत** : मैंने वित्तीय सहायता के बारे में पूछा था।

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह सब साज सामान और विशेषज्ञ का अर्थ वित्तीय सहायता ही है।

†**श्री साधन गुप्त** : तेल उत्पादन करने वाले प्रदेश की बजाय देहरादून में यह इंस्टिट्यूट किन कारणों से स्थापित किया गया ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : कारण बिल्कुल स्पष्ट हैं। इस ढंग का सेण्ट्रल इंस्टिट्यूट केवल एक ही हो सकता है और वास्तविक तेल क्षेत्र भिन्न भिन्न इलाकों में हैं। इसलिये वह कहीं भी स्थापित किया जाये, नमूने सेण्ट्रल इंस्टिट्यूट में ही लाने पड़ेंगे। इसलिये हर बात पर विचार करते हुए तथा खास कर इस बात पर कि केन्द्रीय तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग देहरादून में ही है, यही स्थान सबसे अधिक उपयुक्त समझा गया।

†**श्री नरसिंहन** : क्या अनुसन्धान केवल नई समस्याओं पर होगा या उन समस्याओं के बारे में भी जिन पर दूसरे देश विचार कर चुके हैं ताकि हमारे लोगों को भी प्रत्यक्ष शिक्षा मिल सके ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मेरे माननीय मित्र को शैक्षणिक मामलों में बहुत रुचि है। वह जानते हैं कि अनुसन्धान के सम्बन्ध में कोई सीमा नहीं होती।

---

†मूल अंग्रेजी में

नैतिक और धार्मिक शिक्षा सम्बन्धी समिति

+

†*९८५ { श्री अ० मु० तारिक :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भक्त दर्शन :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री पांगरकर :
श्री सिदय्या :

क्या शिक्षा मन्त्री १६ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैतिक और धार्मिक शिक्षा सम्बन्धी समिति ने शिक्षा के प्रत्येक प्रक्रम के लिये साहित्य का चुनाव किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) काम चल रहा है और अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री अ० मु० तारिक : यह मसला हुकूमत के जेर गौर काफी मुद्दत से है, और मुल्क के मौजूदा हालात के पेशेनजर यह जरूरी है कि वजारत तालीम कुछ करे। मैं जानना चाहता हूं कि जिसका वायदा किया गया था वह कमेटी बनायी गयी या नहीं, अगर कमेटी बनायी गयी है तो उसके कौन कौन से मेम्बरान हैं और कमेटी के सामने क्या प्रोग्राम है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : कमेटी नियुक्त हुई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी है। और फिर सरकार ने यह निश्चय किया कि श्री प्रकाश कमेटी को ही, जिसने कि रिपोर्ट दी है, इस रिपोर्ट को कार्यान्वित करने का अधिकार दे दिया जाए। इसके लिए उसकी स्टेंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई और कई फैसले किए गए, और इस बात की कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके साहित्य का निर्माण किया जाए।

श्री अ० मु० तारिक : दूसरे बड़े कामों के अलावा कम से कम जो छोटे छोटे काम हैं जैसे किताबों का छापना और फिरकादाराना फिसादात को रोकने के लिये लिटरेचर तैयार करना, इस बारे में तो कुछ कदम उठाया जाए। कम से कम कहीं तो कोई कदम उठाया जाए।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मुझे माननीय सदस्य को विस्तृत जानकारी देनी पड़ेगी।

अभी हाल में इस समिति ने एक बैठक बुलायी थी और उस में कई निर्णय किये गये। एक निर्णय यह था कि शिक्षकों के इस्तेमाल के लिये नैतिक शिक्षा संबंधी एक पुस्तिका तैयार की जाये। प्रोफेसर जी० सी० चटर्जी ने केन्द्रीय शिक्षा संस्था और अन्य कालेजों के परामर्श से इस निर्णय को कार्यान्वित करने में मदद देना मंजूर कर लिया है। यह भी सिफारिश की गयी थी कि प्राथमिक पाठशाला में चौथी और पांचवी कक्षा में बालकों के उपयोग के लिये एक उपयुक्त पाठ्य पुस्तक तैयार की जाये। यह भी सुझाव दिया गया था कि प्रारम्भिक कक्षा में बालकों की शिक्षा के लिये दृश्य पुस्तकें तैयार की जायें। केन्द्रीय शिक्षा संस्था और केन्द्रीय श्रव्य-दृश्य शिक्षा संस्था इस योजना पर विचार कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

माध्यमिक शिक्षा स्तर के सम्बन्ध में श्री प्रकाश समिति ने सिफारिश की है कि शास्त्रों से पाठ्य-सामग्री और गीतों का एक संग्रह प्रादेशिक भाषाओं में माध्यमिक स्कूलों में प्रातःकालीन सभाओं में उपयोग के लिये तैयार की जायें। इस सिफारिश पर भी विचार किया जा रहा है।

समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि भाषा पुस्तकों और सामाजिक अध्ययन संबंधी पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने के लिये एक रूप पाठ्य पुस्तकें तैयार की जायें।

आगे विश्वविद्यालय स्तर के संबंध में, समिति ने यह निश्चय किया कि डा० राधा कृष्णन् से यह प्रार्थना की जाये कि वे बड़े बड़े धार्मिक तथा आध्यात्मिक नेताओं की जीवनियां तथा शिक्षाओं का बीस बीस पृष्ठों का एक खंड तैयार करने की योजना के बारे में एक सुझाव दें।

श्री श्रीप्रकाश को दुनिया भर के शास्त्रों से सार्वजनिक रूप के संग्रहों की एक पुस्तक तैयार करने के लिये बुलाया गया था और यह ज्ञात हुआ है कि डा० भगवान दास की कृत्तियों से यह तैयार किया जा सकेगा।

विभिन्न सिफारिशों में से यही कुछ सिफारिशें हैं। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि पुस्तकों के प्रकाशन और वितरण के लिये एक उचित प्रणाली कायम की जाये। इन सभी विषयों पर विचार किया जा रहा है।

अब एक स्थायी समिति है, जिस समिति ने रिपोर्ट पेश की उसी को अब स्थायी समिति बना दिया गया है। सरकार अब उस की सिफारिशों की छानबीन कर रही है। उस में कुछ समय लगेगा, क्योंकि किताबों की जांच करनी पड़ेगी।

समिति ने देश में उपलब्ध कई पुस्तकें मंगायी हैं और इस दृष्टि से जांच की जा रही है कि उन का क्या उपयोग किया जा सकेगा और कितनी अतिरिक्त सामग्री आवश्यक है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या राज्यों के नामजद व्यक्तियों को इस समिति में लिया गया है और यदि नहीं तो क्या अन्तिम निर्णय करने से पहले राज्यों की राय मांगी जा रही है और उस पर विचार किया जा रहा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : उस में राज्य सरकारों के प्रतिनिधि नहीं हैं। यह एक छोटी सी समिति है जिस में महाराष्ट्र के राज्यपाल, श्री श्रीप्रकाश, प्रोफैसर जी० सी० चटर्जी, श्री ए० फैजी और शिक्षा सचिव हैं।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : मेरे सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब नहीं दिया गया है। क्या अन्तिम निर्णय करने से पहले राज्य सरकारों की राय ली जायेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड और मंत्रियों के सम्मेलन में इस विषय पर विचार किया गया था। जो भी कार्यक्रम शुरू किये जाते हैं उन के बारे में राज्य सरकारों को बराबर बताया जाता है और राज्य सरकारों ने इस रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर सामान्यतया अनुमोदन दिया है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या नैतिक शिक्षा को धार्मिक शिक्षा से अलग रखने का सरकार का विचार है और धार्मिक शिक्षा के कारण धार्मिक द्वेष न फैले इस के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सारी स्थिति समझाने के लिये एक लम्बे उत्तर की आवश्यकता होगी। नैतिक और धार्मिक शिक्षा में अन्तर हर कोई समझता है। जहां तक नैतिक शिक्षा का संबंध है, ऐसा कोई धर्म नहीं है जो अपने अनुयायियों से कुछ नैतिक व्यवहार की आशा न करता हो और लोग .....

†**अध्यक्ष महोदय** : वह माननीय मंत्री से यह आश्वासन चाहते थे कि धार्मिक शिक्षा से साम्प्रदायिक या धार्मिक या दलीय द्वेष उत्पन्न न हो।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : बिल्कुल नहीं। वास्तव में इस समिति का प्रयोजन सहिष्णुता तथा एक दूसरे को समझने की भावना को प्रोत्साहन देना है। मुख्यतः इसी उद्देश्य के लिये यह समिति काम कर रही है और यदि माननीय सदस्य रिपोर्ट देखें तो उन्हें मालूम होगा कि वही मूल प्रयोजन है।

श्री भक्त दर्शन : क्योंकि प्रायः सभी राज्य सरकारों ने और विश्वविद्यालयों ने इस रिपोर्ट से सहमति प्रकट की है, क्या कोई ऐसी व्यवस्था की जायगी कि जुलाई से कुछ थोड़ा बहुत इस बात का प्रबन्ध हो जाये कि विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में इस तरह की पढ़ाई आरम्भ हो जाये ?

डा० का० ला० श्रीमाली: मैं खुद बहुत चिंतित हूं इस के बारे में और प्रयत्न किया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही कुछ इस दृष्टि से प्रगति हो सकेगी।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या समिति ने इस कथन पर विचार किया है कि शिक्षक अपने निजी उदाहरण तथा चाल चलन से ही, न कि केवल पुस्तकों के जरिये, नैतिक और धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि :

"यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि।

(हमारी चाल चलन में से वही लीजिये जो अच्छा हो और बाकी कुछ नहीं)

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : समिति ने इस सवाल के सभी पहलुओं पर विचार किया है और मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे पुस्तकालय में उपलब्ध रिपोर्ट देखें।

राजा महेन्द्र प्रताप : शिक्षा समिति में यह विषय एक दफा पेश हुआ था और हम लोगों ने बातचीत की थी। आप को याद होगा कि मैं ने तीस किताबें प्रेम धर्म और प्रेम पाठ की आप को दी थीं, आप के पास भेजी थीं। मुझे पता नहीं चला है कि आप ने उन का क्या किया है। मेरा दावा है कि यदि यह प्रेम धर्म और प्रेम पाठ मदर्सों में पढ़ाया जाय तो ये जो झगड़े होते हैं, ये जो फसाद होते हैं हिन्दू मुसलमानों के ये मिट सकते हैं, बन्द हो सकते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इस के बारे में आप ने क्या किया है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जो पुस्तकें आप ने दी थीं, वे कांसलटेटिव कमेटी के मेम्बरों में वितरण के लिये थीं, जहां तक मुझे याद है। जहां तक मुझे मालूम है मैं याददाश्त से ही कह रहा हूं—शायद वे वहां मीटिंग में ही वितरित कर दी गई थीं।

जो कुछ काम का ब्यौरा मैं ने दिया है वह साफ बताता है कि इस तरह का कमेटी काम कर रही है।

†**श्री बैरो** : क्या ये पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में शिक्षकों का सहयोग लिया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि केन्द्रीय शिक्षा संस्था और ट्रेनिंग कालिजों से परामर्श लिया जायेग। और इस काम में उन का सहयोग प्राप्त किया जायगा । इस कार्य-क्रम में कोई भी सहायता कर सकेगा किन्तु समिति को कुछ चुनाव करना होगा ।

†**डा० मा० श्री० अणे** : मेरे माननीय मित्र श्री च० का० भट्टाचार्य के कथन तथा माननीय मंत्री के उत्तर को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री उन व्यक्तियों की सूची तैयार करने में सफल हुए हैं जिन्हें इस विशिष्ट प्रयोजन के लिये, अर्थात् सहिष्णुता तथा सदभाव के आदर्श, जो वे छात्रों को सिखाना चाहते हैं, प्रस्तुत करने के लिये उदाहरण के तौर पर सामने रखा जा सके ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हमारे देश का संपूर्ण सांस्कृतिक इतिहास सहिष्णुता के उदाहरणों से भरा बड़ा है ।

†**डा० मा० श्री० अणे** : मेरा आशय जीवित व्यक्तियों से है, उन से नहीं जो मर चुके हैं और जिनका उल्लेख केवल पुस्तकों में ही है ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : वर्तमान में भी अनगिनत उदाहरण हैं जो छात्रों के लिये आदर्श हो सकते हैं ।

अन्डमान में तेल सर्वेक्षण

+

†*९५९. { **श्री कोडियान** :
श्री बारियर :
श्री पुन्नूस : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय भूगर्भीय दल ने अंडमान में तेल सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल और गैस की मात्रा का कोई अनुमान लगाया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन उपमंत्री (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) जी हां। एक भूगर्भीय दल ने १९५९–६० में द्वीप समूह (मध्य अंदमान) में १२० वर्गमील क्षेत्र का प्रादेशिक नक्शा तैयार किया है । और भूगर्भीय कार्य अभी जारी है ।

(ख) अभी नहीं ।

†**श्री कोडियान** : भूगर्भीय दल जो काम अभी कर रहा है वह कब तक संभवत: पूरा हो जायगा ?

श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : मैं पहले ही बता चुका हूं कि १९५९–६० में केवल एक ही प्रदेश में काम शुरू किया गया था। भूगर्भीय सर्वेक्षण का वास्तविक परिणाम मालूम करने के लिये अभी कुछ और समय लगेगा ।

†**श्री प्र० के० देव** : क्या उन्हों ने इस क्षेत्र में भूकम्प संबंधी सर्वेक्षण पूरा कर लिया है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रताप सिंहा** : मैं बता चुका हूं कि भूगर्भीय सर्वेक्षण किया जा चुका है। यदि भूगर्भीय रिपोर्ट उत्साहजनक हो तभी भूकम्प संबंधी सर्वेक्षण की जरूरत होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : सर्वेक्षण तो १९५९–६० में पूरा हो चुका है। क्या उस सर्वेक्षण में ऐसा कोई सुझाव दिया गया है कि भूकम्प सम्बन्धी सर्वेक्षण किया जाय ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : जी हां। उस स्थान पर संभावनायें रोचक मालूम होती हैं। भूगर्भीय सर्वेक्षण न कुछ चीजों का संकेत दिया है जिन के सम्बन्ध में और काम करने की आवश्यकता है। ज्योंही हमें भूकम्प संबंधी दल मिल जायेंगे, हम वहां अपना काम शुरू कर देंगे।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अध्यापक

+

*९९०. { **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री पहाड़िया :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अध्यापकों और प्राध्यापकों के वेतन बढ़ाने का निश्चय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो संशोधित वेतन-क्रम कब से लागू होंगे; और

(ग) संशोधित वेतन-क्रमों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) से (ग). विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन ने दिल्ली, अलीगढ़ और बनारस विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतन-मानों में १ अप्रैल, १९६१ से संशोधन करने का फैसला किया है जिस का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	रुपये
प्रोफैसर	१०००–५०–१५००
रीडर	७००–४०–११००
लैक्चरर	४००–३०—६४० कुशलता रोध ४०–८०० रुपय

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : वेतन में वृद्धियां किस आधार पर की गयी हैं और केन्द्रीय राजस्व से कितना खर्च होगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : आयोग की सामान्य धारणा यह थी कि प्रोफेसरों को भी उतना ही वेतन मिलना चाहिये जितना कि दूसरी सेवाओं में उतनी ही योग्यता वाले व्यक्तियों को मिलता है। यही मुख्य उद्देश्य था। यह बात ठीक है कि इस वृद्धि के बावजूद वेतन अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की यह कोशिश जारी है कि वेतन बढ़ाये जायें जिससे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को हम विश्वविद्यालय की ओर खींच सके और उन्हें वहीं कायम कर सकें।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए ही इन वृद्धियों की सिफारिश की है। क्या मैं यह समझूं कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को या केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर के

---

†मूल अंग्रेजी में

विश्वविद्यालयों को इन्हीं वेतन-क्रमों की सिफारिश करेगी और क्या वे भी इन वेतनक्रमों और भत्तों पर विचार करेंगे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : केन्द्रीय विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रत्यक्ष दायित्व है । उसे पूरे निर्वाह अनुदान देने पड़ते हैं । दूसरे राज्य विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में, माननीय मंत्री को मालूम है कि आयोग उन्हें मदद दे रहा है और वह दूसरे विश्वविद्यालयों में भी वेतन बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या इस योजना में विश्वभारती शामिल है ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : विश्व भारती भी है, लेकिन इस योजना में उनके वेतन-क्रम नहीं बढ़ाये गये हैं। आयोग विश्वभारतीय के अधिकारियों के साथ शीघ्र ही बातचीत करेगा और उसके बाद ही आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : क्या वेतन आदि के बारे में सिफारिश कार्यान्वित करने के साथ-साथ सरकार कम से कम व्यावसायिक कालेजों में अध्यापकों की एक अखिल भारतीय पदालि बनाने के सवाल पर भी विचार कर रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सभी संस्थानों पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : विश्वविद्यालय के अध्यापकों को बढे हुए वेतन के अलावा और दूसरी क्या उपलब्धियां, अर्थात् ग्रैचुइटी, प्राविडेंट फंड, मकान किराया, स्वास्थ्य सेवा आदि मिलेंगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : नियमों के अन्तर्गत जो भी सुविधायें उपलब्ध होंगी वे सभी उन्हें मिलेंगी ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या विश्वविद्यालय अध्यापकों के वेतन में यह वृद्धि इस शर्त पर है कि विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के तौर पर लिये जाने से पहले उन्हें कुछ न्यूनतम योग्यता अवश्य ही दिखानी पड़ेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह स्पष्ट है । उदाहरण के लिए १०००—१५०० रुपये का वेतन-क्रम पाने के लिए किसी व्यक्ति को प्रोफेसर होना ही पड़ेगा, ७००—११०० रुपये के वेतन-क्रम के लिए उसे रीडर होना ही पड़ेगा और लेक्चरर के लिए दूसरा स्केल है । इसलिए जितनी ऊंची शैक्षणिक योग्यता होगी उतना ही ऊंचा वेतन-क्रम होगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : यह मैं समझता हूं कि १०००—१५०० रुपये के वेतन-क्रम के लिए उसे प्रोफ़सर ही होना पड़ेगा। लेकिनप्रोफेसर होने के लिए किन योग्यताओं की आवश्यकता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इसके सिवा और दूसरी कोई योग्यता नहीं कि वह प्रोफेसर हो जाये । रीडर का वेतन-क्रम पाने से पहले उसे रीडर अवश्य होना पड़ेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहते हैं कि टीचर, प्रोफेसर, प्रारम्भिक पाठशाला अध्यापक होने के क्या शैक्षणिक योग्यतायें हैं ? वास्तव में मुझे इस सवाल पर आश्चर्य होता है । माननीय सदस्य स्वतः प्रिन्सिपल या प्रोफेसर हैं और क्या उन्हें यह मालूम नहीं है कि वह अपने नीचे वाले कर्मचारियों की किस प्रकार भरती करेंगे। एक स्नातक-पूर्व व्यक्ति एम० एस० सी० के लिए प्रोफेसर नियुक्त नहीं किया जा सकता । मैं इस प्रश्न के लिए अनुमति नहीं दे रहा हूं । प्रत्येक माननीय सदस्य को मालूम है कि क्या योग्यता आवश्यक होती है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जाना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज के शिक्षकों को जो तन्ख्वाह मिल रही है वही स्टेट गवर्नमेंट्स की यूनिवर्सिटीज के शिक्षकों को देने के लिये आप निर्देश क्यों नहीं देते हैं। आप क्यों नहीं कहते हैं कि तुलना की दृष्टि से उन की तन्ख्वाह भी वैसी ही रक्खी जाये ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मैंने आप से निवेदन किया है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज को भी ग्रांट्स देती है । उन का जितना अधिक खर्च होता है उस का ८० परसेन्ट यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन से मिलता है । जहां तक रिवाइज्ड रेट्स का ताल्लुक है, इस बात पर गौर किया जा रहा है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन के द्वारा, और मैं समझता हूं कि आज ही उस की मीटिंग हो रही है जिस में इस पर विचार किया जायेगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन की बराबर कोशिश रहती है कि अध्यापकों को और भी वेतन दिया जाये, और मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट्स अपना हिस्सा देंगी तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन भी पीछे नहीं रहेगा ।

श्री सिंहासन सिंह : आपने कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन पीछे नहीं रहेगा । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जो स्कीम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिये लागू की गई हैं वही स्कीम स्टेट्स यूनिवर्सिटीज के लिये लागू क्यों नहीं की जा रही है । जब स्टेट्स को ८० या ९० परसेंट ग्रांट आप दे रहे हैं तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन को कहना चाहिये कि स्टेट्स में भी यहां की तरह का स्टेन्डर्ड रक्खा जाये ताकि इंडिया की तमाम यूनिवर्सिटीज एक ही लेबेल पर हो जायें ।

डा० का० ला० श्रीमाली : मैं ने यह तो नहीं कहा कि ऐसा नहीं किया जायेगा। लेकिन इस मामले में स्टेट्स यूनिवर्सिटीज से भी परामर्श करना होगा क्योंकि कुछ हिस्सा उन को भी देना पड़ता है ।

†**श्री बैरो** : क्या यह सच नहीं है कि प्रोफेसर हाल्डेन प्रोफेसरों के लिए कोई योग्यता निर्धारित करने के विरूद्ध हैं । क्या यही बात ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में भी नहीं है । इसलिए क्या हम यह नहीं कह रहे हैं कि प्रोफेसर नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति अपना विषय पढ़ाने के लिए सक्षम हो और उसके लिए कोई योग्यता निर्धारित न की जाये ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैंने सोचा कि आपने यह कह कर कि हम योग्यताओं की चर्चा नहीं कर रहे हैं, यह प्रश्न समाप्त कर दिया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम प्रारम्भिक योग्यताओं की चर्चा नहीं कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वेतन आयोग की सिफारिशों की कार्यान्विति

+

†*९६१. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन आयोग की सभी सिफारिशों को इस बीच लागू कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो किन सिफारिशों को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया ; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) से (ग). दो विवरण सभा पटल पर रख जाते हैं जिनमें से एक में यह बताया गया है कि वेतन आयोग की किन किन सिफारिशों पर सरकार ने निर्णय कर लिया है लेकिन अभी तक उन्हें कार्यान्वित नहीं किया है और दूसरे में वे सिफारिशें जो अभी तक मंजूर नहीं की गयी हैं। प्रत्येक विवरण में यह भी बताया गया है कि भूतलक्षी सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गयी है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६२]**

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या माननीय मंत्री को यह बताया गया है कि कई कर्मचारियों को वेतन के पुनर्निर्धारण के बाद नुकसान हुआ है और उनकी उपलब्धियां उन्हें वह व्यक्तिगत वेतन दिये जाने के बाद ही सुरक्षित की जायेंगी, जो भविष्य की वृद्धियों में मिला दिया जायेगा। यदि हां, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे कर्मचारियों की भविष्य की वृद्धियां सुरक्षित रखने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : वह सुरक्षित नहीं की जा सकतीं।

†**श्री तंगामणि** : विवरण से यह मालूम होता है कि दूसरे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार विहटले परिषदें तथा कुछ झगड़े निबटाने के लिए मध्यस्थ निर्णय लागू करने के लिए एक विधेयक पुरस्थापित करने का विचार है । वह विधेयक कब तक पैदा किया जायेगा ? क्या वह इस अधिवेशन में होगा ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : जितना शीघ्र हो सकेगा । उसके बारे में कामकाज गृह-मंत्रालय करता है ।

श्री विभूति मिश्र : स्टेटमेंट में आइटेम नं० १९ में लिखा हुआ है :

> "तदर्थ विभागीय समिति ने इस सिफारिश की छानबीन की है । सरकार इस समिति की सिफारिश पर विचार कर रही है ।"

लेकिन इसमें सवाल यह था :

> "जिन कर्मचारियों का तबादला एक जगह से दूसरी जगह हो, उन्हें मकान के सम्बन्ध में प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय, जब कभी एक आदमी को दूसरी जगह पर बदलते हैं तो उस को जगह नहीं मिलती है । जो वहां रहता है वह उसी जगह पर बैठा रहता है । इस कठिनाई को दूर करने के लिये हमारी सरकार क्या उपाय सोच रही है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: इस पर तो विचार किया ही जा रहा है, जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि जिन कर्मचारियों का मूल वेतन ३०० रुपये माहवार से अधिक था उसका सारा महंगाई भत्ता उनके वेतन के साथ मिला दिया गया और जिनका मूल वेतन ३०० रुपये माहवार से कम था उनका केवल अधिकांश भत्ता ही उनके वेतन के साथ मिलाया गया ? यदि हां, तो सिद्धांत में यह परिवर्तन क्यों है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : वित्त मंत्री पहले ही एक व्यापक वक्तव्य दे चुके हैं और मुझे कोई नयी चीज़ नहीं बतानी है । उस वक्तव्य में इन मामलों का विवेचन किया गया है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : मैं मंहगाई भत्ते की बात कर रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इन प्रश्नों के लिए अनुमति नहीं दे रहा हूं । मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर देता हूं । जानकारी यह मांगी गई है कि कितनी सिफारिशें कार्यान्वित की गयी हैं । यदि कोई माननीय सदस्य किसी खास सिफारिश के बारे में पूछना चाहें कि उसे क्यों नहीं कार्यान्वित किया गया तो मैं एक अलग प्रश्न के लिये अनुमति दे सकता हूं । लेकिन यह केवल उन सिफारिशों की सूची है जो मंजूर की गयी हैं या नहीं मंजूर की गयी हैं । क्या मैं सभी सिफारिशों पर चर्चा के लिए अनुमति दूं कि प्रत्येक सिफारिश क्यों नहीं कार्यान्वित की गयी ? अगला प्रश्न ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : हम विवरण की किसी बात पर प्रश्न नहीं पूछते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य एक विषय के बारे में, दूसरे दूसरे विषय के बारे में, तीसरे सदस्य तीसरे विषय के बारे में पूछ सकते हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित किये जाने के बाद कुछ असंगति पैदा हो गयी है । हम यह जानना चाहते हैं कि क्या उन असंगतियों पर कभी चर्चा होगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य किसी खास बात पर चर्चा करना चाहते हों तो वे आवेदन दें और मैं उस पर विचार करूंगा ।

†**श्री तंगामणि** : यहां वे सिफारिशें बनायी गयी हैं जो मंजूर की गयी हैं लेकिन जिन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया है । फिर कुछ ऐसी सिफारिशें हैं जिन्हें मंजूर ही नहीं किया गया है । इसलिये क्या ऐसा सामान्य प्रश्न पूछा जा सकता है कि मंजूर शुदा सिफारिशें कब तक लागू की जा रही हैं ?

†**श्री त्यागी** : अब अगला प्रश्न पुकारा जाता है तब अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य बहुत अधिक तकनीकी हैं । मैं जानता हूं कि मैं क्या कर, रहा हूं । मैं यहां केवल एक मशीन नहीं हूं । यदि माननीय सदस्य मुझे विश्वास दिलाना चाहते हैं कि स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो मुझे अवश्य उन्हें अवसर देना चाहिये । लेकिन केवल इसलिये कि मैंने

---

†मूल अंग्रेजी में

अगला प्रश्न पुकारा है, माननीय सदस्य यह आग्रह नहीं कर सकते कि कोई प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिये । समय समय पर मुझे पिछले प्रश्नों को उठाने की भी छूट होनी चाहिये यद्यपि मैंने अगला प्रश्न पुकारा हो । मुझे माननीय सदस्य के इस तकनीकी सुझाव पर वास्तव में आश्चर्य है । हम यहां तकनीकी मशीनों से कहीं अधिक मनुष्य हैं । मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि इसे अतारांकित प्रश्न के तौर पर मुझे मानना चाहिये था । अब आगे ऐसे प्रश्नों को मैं अतारांकित मानूंगा । एक के बाद एक सवाल पूछा जा रहा है । प्रत्येक सिफारिश एक दूसरे से अलग है । किसी सिफारिश को कार्यान्वित करने में एक महिना लग सकता है, किसी को दो महिने । एक ही उत्तर से सभी माननीय सदस्यों को संतोष नहीं होगा । इसलिये मैं और प्रश्नों के लिये अनमति देने के लिये तैयार नहीं हूं । यदि किसी महत्वपूर्ण सिफारिश पर कोई एक अलग प्रश्न पूछा जाये तो मैं उसे और उस पर अनुपूरक प्रश्नों के लिये भी अनुमति दे सकता हूं ।

पाइपलाइनों का बिछाया जाना

+

†*९६२. **श्री मोरारका :**
श्री नथवानी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन मंत्री** २३ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३८१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) नाहर कटिया तेल क्षेत्र से नूनमती तक पाइपलाइन बिछाने के लिये सब से कम मूल्य दर क्या प्राप्त हुई है;

(ख) इस कार्य का कुल मूल्य कितना है ; और

(ग) क्या कीमत रुपये में दी जानी है अथवा विदेशी मुद्रा में ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) टेंडर नाहर कटिया से बरौनी तक की पूरी पाइपलाइनों के लिये मांगे गये थे, प्रत्येक भाग के लिये अलग अलग नहीं। Messrs Mannesmann—Saipeum (मेसर्स मानेसमन—सैपम) का ४,८८५,६७७ पौंड का मूल्य व्ययक सब से कम था।

(ख) बातचीत करने के बाद मेसर्स मानेसमन सैपम ने उक्त राशि को कम करके ४,८८०,४७७ पौंड कर दिया अर्थात् पाइपलाइनों के बिछाने पर कुल इतना खर्च आयेगा ।

(ग) ठेकेदार को दी जाने वाली राशि में से लगभग ५० प्रतिशत राशि भारतीय मुद्रा में दी जायेगी ।

†**श्री मुराका** : कुछ समय पहले सभा पटल पर एक विवरण रखा गया था जिससे यह ज्ञात होता है कि अमरीका में पाइपलाइने बिछाने पर ६८,००० से ७४,००० डालर प्रति मिल की लागत आती है, जबकि भारत में उस पर १२०,००० डालर प्रति मील की लागत आती है । तो इतने अधिक अन्तर का क्या कारण है ।

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मैं नहीं समझता कि इतना अधिक अन्तर हो सकता है । संभव है कि विभिन्न परिस्थितियों के कारण ऐसा हो । परन्तु मुझे अमरीकन परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मुरारका : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। माननीय मंत्री ने स्वयं वह विवरण सभा पटल पर रखा था जिसमें उक्त आंकड़े बताये गये थे और वे स्वयं ही कह रहे हैं कि उन्हें इस बारे में ज्ञात नहीं है।

†श्री के० दे० मालवीय : माननीय सदस्य मेरा ध्यान एक ऐसे विवरण की ओर आकृष्ट कर रहे हैं जो कि मैंने कुछ समय पूर्व पटल पर रखा था। यदि वे मेरे पास आये, तो हम दोनों उस विवरण का फिर से अध्ययन कर लेंगे। मुझे इस समय उस बारे में स्मरण नहीं है।

†श्री सिंहासन सिंह : मेरा भी एक औचित्य प्रश्न है।

†अध्यक्ष महोदय : श्री मुरारका का यह कहना है कि एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में यह विवरण दिया गया था।

†श्री मुरारका : जी, नहीं। ८ मार्च, १६६० को एक अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर में यह विवरण रखा गया था और उसी के उक्त आंकड़े बताये गये थे।

†अध्यक्ष महोदय : परन्तु उन्हें इस समय स्मरण नहीं है।

†श्री मुरारका : तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि आयात किये जाने वाले पाइपों की लागत और रूरकेला इस्पात कारखाने को दी जाने वाली कीमत में कितना अन्तर है ?

†श्री के० दे० मालवीय : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की जरूरत है।

†श्री मुरारका : क्या माननीय मंत्री ने यह अच्छी प्रकार से विनिश्चय कर लिया है कि रूरकेला में इन पाइपों का निर्माण नहीं हो सकता और जितनी भी पाइपों का आयात किया जा रहा है, उन सभी का रूरकेला में उत्पादन प्रारम्भ होने से पहले ही उपभोग हो जायेगा ?

†श्री के० दे० मालवीय : जी हां। इस समय जितने भी पाइपों का आयात किया जा रहा है, उनको रूरकेला में इसका उत्पादन प्रारम्भ होने से पहले उपयोग करने की योजना बनाई जा रही है।

ब्रिटेन से पाइपों की खरीद

+

†*९६३. { श्री मुरारका :
श्री नथवानी :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २३ दिसम्बर, १६६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३३२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन के मैसर्स स्टुवार्ट्स एंड लायड्स से जो पाइप खरीदे गये हैं, उनका भाव और आकार क्या है ;

(ख) कुल कितने लम्बे पाइप खरीदे गये हैं ; और

(ग) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड से खरीदे गये पाइपों का मूल्य, आकार और मात्रा कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) आयल इंडिया प्राइवेट लिमिटिड द्वारा मेसर्स स्टुवार्डस एंड लायड्स से ६० पौंड प्रतिदिन के हिसाब से पाइप लाइन खरीदी गयी थी । इस पाइप का व्यास १६ इंच का है ।

(ख) लगभग २६० मील ।

(ग) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटिड द्वारा १४ इंच के व्यास की लगभग ५१,००० टन पाइप लाइन संभरित की जायेगी । हिन्दुस्तान स्टील लिमिटिड द्वारा संभरित की जाने वाली पाइप लाइन की कीमत निम्न प्रकार से होगी :—

	कलकत्ता में लागत भाड़ा सहित	रूरकेला में रेल पर्यन्त निशुल्क
	रुपये (प्रति १०० फुट)	रुपये (प्रति १०० फुट)
(१) १४ इंच व्यास×०.३१२ इंच की ४५७ मील पाइप लाइन . . .	१९३१.५७	२३६४.०१
(२) १४ इंच व्यास×०.३७५ इंच की १५,८३० फुट पाइप लाइन . . .	२३०७.४७	२८८४.०७
(३) १४ इंच व्यास×०.४६९ इंच की ५८,०८० फुट पाइप लाइन	२८६६.०४	३५०७.७१

(हिन्दुस्तान स्टील लिमिटिड को इस बात की अनुमति है कि वह चाहे तो ये पाइपें कलकत्ता में लागत भाड़ा सहित दे दे या चाहे तो रूरकेला में रेलपर्यन्त निशुल्क दे दे ।)

†**श्री मुरारका** : विवरण में आयात किये जाने वाली पाइप लाइनों की कीमतें टनों में बतायी हैं, जबकि रूरकेला की कीमतें प्रति १०० फुट के हिसाब से बतायी गयी हैं । गणना करने में सुविधा की दृष्टि से क्या दोनों प्रकार की कीमतें एक ही प्रकार के मापदण्ड में बतायी जायेंगी ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : हम ऐसा ही कर देंगे ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि आयल (इंडिया) लिमिटिड ने बी०ओ०सी० पाइपलाइन्स को यह कार्य सौंपा था और उसने यह कार्य मानेसमन सैपम को सौंप दिया है और इस प्रकार से एक के बाद दूसरे को ठेके और उस ठेके देने के कारण ही तो कीमतों में इतना अधिक वैषम्य उत्पन्न हो गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं नहीं समझा कि माननीय सदस्य कीमतों के किस वैषम्य की ओर संकेत कर रहे हैं । वास्तव में तथ्य यह है कि बी० ओ० सी० ठेकेदार हैं, जिन्होंने इसके लिये प्रबन्ध

†मूल अंग्रेजी में

किया है। उस तेल व्यापार में वे अधिक अंश प्राप्त हिस्सेदार है और हमने इस बात का ध्यान रखा है कि न्यूनतम दर को स्वीकार किया जाये। यदि माननीय सदस्य यह समझते हैं कि कीमतों में असमानता है तो वे उस बात को मेरे ध्यान में लाने की कृपा करेंगे। हम जांच करेंगे।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताया गया है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटिड द्वारा १४ इंच व्यास की ५१,००० टन पाइप लाइन संभरित की जायेगी। क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटिड उतनी पाइप लाइनें संभरित कर सकेगा।

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं तो समझता हूं कि उसने संभरण करना प्रारम्भ भी कर दिया है।

†**श्री हेम बरुआ** : मुझे तो यह ज्ञात हुआ है कि आयल (इंडिया) लिमिटिड ने सीधे ही मेसर्स मानेसमन सैपम को नियुक्त करने की अपेक्षा बी० ओ० सी० पाइप लाइन्स को एक बिचौलिये (मिडलमैन) के रूप में नियुक्त किया है। यदि उसने ऐसा न किया होता तो बिचौलिये का लाभ बच जाता। उन्होंने ऐसा क्यों किया ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : शायद, ऐसा हो सकता था, परन्तु उसे केवल प्राविधिक व्यक्तियों को लाने और पाइपलाइन बिछाने के अलावा कुछ और काम भी करना है। भूमि भी प्राप्त की जानी है और उसके अतिरिक्त, और भी कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य किये जाने हैं। इसीलिये बी० ओ० सी० ने यही अच्छा समझा कि वह स्वयं यह कार्य करेगी।

†**श्री हेम बरुआ** : इस समय तीन फर्म पाइप लाइन संभरित कर रही हैं वे हैं——मैसर्स मानेसमन सैपम, ब्रिटिश फर्म तथा हमारी अपनी फर्म। इन तीनों फर्मों के तुलनात्मक 'कोटेशन' क्या हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : पाइप लाइन की कीमत का 'कोटेशन' केवल एक ही पार्टी ने दिया है, तीन ने नहीं।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार ने रूरकेला के पाइपों और विदेशों से आयात पाइपों की कीमतों के अन्तर पर विचार किया है और क्या जो पाइप सीधे ही इंग्लैंड से मंगाये जा रहे हैं, उनमें कोई और पार्टी भी कमिशन प्राप्त कर रही है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : संभरण कर्त्ताओं तथा ठेकेदारों ने एक ऐसी व्यवस्था की है जिससे हमें उन्हें न्यूनतम कीमत देनी पड़ेगी। मैं नहीं समझता कि किसी 'मिडलमैन' का भी कोई हिस्सा रखा गया है।

†**श्री त्यागी** : क्या अन्य पार्टी द्वारा स्वयं 'मिडलमैन' का लाभ प्राप्त करने के बावजूद भी इंग्लैंड के पाइप की कीमत रूरकेला के पाइप की कीमत से कम है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : यह सच नहीं है। वास्तव में बात यह है कि पाइपों के संभरण के लिये विभिन्न फर्मों से दर मांगे गये थे। और मेसर्स स्टीवार्टस एण्ड लायड्स से प्राप्त 'कोटेशन' सब से कम थी, इसलिये उसे स्वीकार कर लिया गया। इस व्यापार में और कोई भी 'मिडलमैन' नहीं है। और संभवतः रूरकेला की कीमतें आयात किये जाने वाले पाइपों की कीमतों के मुकाबले में ठीक ही होंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। माननीय मंत्री का यह कहना है कि इस ठेके में कोई भी 'मिडलमैन' नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि आयल इंडिया लिमिटड ने बी० ओ० सी० पाइप लाइन को एक तीसरी पार्टी के रूप में सम्मिलित कर लिया है: और बी० ओ० सी० ने मेसस मानेसमन सैयक को नियुक्त किया है। अतः माननीय मंत्री कैसे कहते हैं कि इस व्यापार में कोई भी 'मिडल मैन' नहीं है। यदि उस फर्म को सीधे हम ही नियुक्त करते तो "मिडल पार्टी" के लाभ को बचा सकते थे।

†**श्री के० दे० मालवीय** : जैसा कि मैंने बताया है, सारा मामला बिल्कुल सीधा है। बी० ओ० सी० फर्म आयल इंडिया लिमिटेड की एक प्रमुख हिस्सेदार है और सरकार एक छोटी हिस्सेदार है। बी० ओ० सी० पाइप लाइन फर्म पाइप लाइन बिछाने के कार्य के लिये जिम्मेदार है। उस फर्म ने इस कार्य के लिये एक और एक फर्म अर्थात् माने समन एण्ड सैयक प्रबन्ध किया है। . बी० ओ० सी० ने पाइपों के सम्भरण के लिये उस फर्म को आर्डर दिये हैं। आयल इंडिया लिमिटेड बी० ओ० सी० के पास आर्डर भेजती है और वह इस फर्म के पास भेज देती है।

†**श्री मुरारका** : रूरकेला में १९६१ में पाइप लाइने बनाने की कितनी क्षमता है?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं ये आंकड़े पहले दे चुका हूं। फिर से आंकड़े देने के लिये मुझे पूर्वसूचना की जरूरत है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अंशदायी शिक्षा निधि

†*९६४. **श्री हेम राज** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** २० दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १००९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिकारियों के अलावा अन्य सैनिक कर्मचारियों के लिये एक अंशदायी शिक्षा निधि की योजना की जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). प्रतिरक्षा सेवाओं के हेडक्वर्टर्स से सेना के जे० सी० ओ० / अंदर रैंक्स / एन० सी० (ई) तथा नौसेना और वायुसेना के उसी स्तर के पदाधिकारियों के बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी एक योजना हाल ही में प्राप्त हुई है और वह इस समय विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात पर बिक्री कर

†*१६५. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **इस्पात खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार इस्पात पर लगने वाले बिक्री कर को उत्पादन-कर में परिणत करने की एक प्रस्थापना पर विचार कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राज्यों के विचार जानने के लिये इस प्रस्थापना को उनके पास भेजा गया था ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (घ). सरकार को एक यह सुझाव प्राप्त हुआ है। कि इस्पात पर केन्द्रीय बिक्रीकर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया जाये। वह सुझाव अभी विचाराधीन है।

इस्पात की पतली चादरें

†*१६६. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री सुगन्धि :
श्री अगाड़ी :
श्री घोडयार :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री क० उ० परमार :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला इस्पात संयंत्र में इस्पात की पतली चादरों का निर्माण शुरू होने से पहले देश में इन चादरों के सम्भरण की स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस समय देश में इन चादरों का सम्भरण बहुत कम है और अभ्यंशधारी अपनी जरूरत की चादरें केवल 'बार्टर स्टाक' से ही अधिमूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं; और

(ग) यदि हां, तो वास्तविक प्रयोक्ताओं की रक्षा के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) यथासंभव अधिक से अधिक मात्रा में आयात करने के सम्बन्ध में प्रबन्ध किया जा रहा है।

(ख) और (ग). देश में इसका वर्तमान वार्षिक उत्पादन लगभग १७०,००० टन है जबकि मांग लगभग १० लाख टन प्रति टन है। वस्तुविनिमय के आधार पर आयात की गई

---

†मूल अंग्रेजी में]

चादरें लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा निर्धारित मूल्यों पर बेची जाती हैं। यह कथन सत्य नहीं है कि अभ्यंशधारियोंको केवल अधिमूल्य पर ही स्टाक मिल सकता है। यदि आयातकर्ता अपने गोदामों से सामान संभरित करें, तो उन्हें ७½ प्रतिशत का पारिश्रमिक दिया जाता है और जो सामान अवतरणी से संभरित किया जाता है, उस पर ४ प्रतिशत का पारिश्रमिक दिया जाता है। यदि कोई आयातकर्ता ग्राहकों से अधिक कीमत लेता है तो कानून के अधीन उसे दण्ड दिया जा सकता है।

कालेजों में प्रवेश के लिये आय-सीमा

†*९६७. **श्री सूपकार** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत भर में कालेजों में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु निर्धारित करने का है; और

(ख) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिये न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमाओं में वृद्धि करने का है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क') विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ने सभी भारतीय विश्वविद्यालयों को यह सुझाव दिया है कि डिग्री कोर्स में प्रवेश के लिये कम से कम १६ से अधिक वर्ष की आयु होनी चाहिये।

(ख) जी, नहीं।

मध्य प्रदेश में तांबा निक्षेप

†*९६८. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **क्या इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के बस्तर जिला में अनेक स्थानों पर जिनमें नेतनार और मालपोदार भी शामिल हैं, गुड्डुपा चट्टानों में तांबे के अयस्कों की परतें पायी गई हैं जिनका भूतत्वीय तरीकों से सर्वेक्षण किया जाना, और उसके पश्चात् आर्थिक अनुमान लगाने के लिये छिद्रण किया जाना जरूरी है; और

(ख) यदि हां, तो इन की जांच करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और की जाने का विचार है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा अभी तक किये गये कार्यों से यह ज्ञात हुआ है कि नेतनार तथा मालपोदार की गुड्डुपा चट्टानों में ताप्रांगीयिज (मेलाकाइट) के चिन्ह हैं। मंदनार, पकनार और कोट्टापल्ली के निकट भी ताप्रांगीयिज (मेलाकाइट) के चिह्न तथा कुछ अंश में तांबे के अयरक वाले पाइराइट्स पाये गये हैं। ख्याल है कि इन में से कोई भी खनिज इतनी अधिक मात्रा में नहीं है कि उनका लाभप्रद उपयोग किया जा सके। इसलिये भूतत्वीय तरीकों से सर्वेक्षण करने और छिद्रण करने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

गणतन्त्र दिवस समारोह

*९६९. { श्री विभूति मिश्र :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गणतंत्र-दिवस की परेड देखने के लिये संसद् सदस्यों और अन्य लोगों के बैठने का प्रबन्ध किसी सिद्धांत के आधार पर करती है ; और

(ख) यदि हां, तो वह सिद्धान्त क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) तथा (ख). डिप्लोमेट्स के लिये नियत इन्क्लोयर के अतिरिक्त, निमन्त्रित लोगों के कुछ वर्गों के लिये, केवल "बी" इन्क्लोयर में गणराज्य दिवस परेड के लिये स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं। साधारणतः इस इन्क्लोयर में, सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं ।

इस वर्ष संसद् सदस्यों को, राष्ट्रपति डायस के निकटतम, बैठने का इन्क्लोयर दिया गया था ।

आन्ध्र प्रदेश को इस्पात का कोटा

†*९७०. **श्री उस्मान अली खां** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आन्ध्र प्रदेश को आवंटित कोटे में से २५,००० टन लोहा और इस्पात दिया नहीं गया और इसके परिणाम स्वरूप परियोजनाओं और पुलों के निर्माण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में आन्ध्र प्रदेश सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति का सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) अन्य उपभोक्ताओं के समान ही आन्ध्र प्रदेश को भी मांग की तुलना में कम इस्पात का संभरण किया गया है । परन्तु सरकार को इस सम्बन्ध में ज्ञात नहीं है कि कितनी मात्रा में इस्पात का कम संभरण किया गया है ।

(ख) और (ग). हाल ही में राज्य के लोक निर्माण कार्य विभाग के मंत्री ने इस प्रश्न के बारे में लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक से बातचीत की है । प्राथमिकता के आधार पर संभरण की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में कार्यवाहियां की गई हैं । रेलवे से किये गये विशेष प्रबन्धों के अधीन इकट्ठी मात्रा के संभरण किया जा रहा है । जनवरी-फरवरी, १९६१ में मुख्य उत्पादकों से लगभग ११,२०० टन का संभरण किया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अध्ययन-अवकाश

†*९७१. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री माने :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूसरे वेतन आयोग की एक सिफारिश यह है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को छट्टी आदि की अधिक से अधिक सुविधायें प्रदान की जायें ताकि वे विभिन्न क्षेत्रों में उच्च अध्ययन अथवा विशेषोपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें ;

(ख) सरकार ने नियमों को नरम बनाने के लिये क्या कदम उठाये हैं ; और

(ग) यदि इस मामले पर अभी विचार किया जा रहा है, तो इस बारे में कब तक निर्णय किये जाने की आशा है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). फरवरी, १९६१ में आवश्यक आर्डर जारी किये गये थे और उनकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६३]**

वाणिज्यिक विभागों की सम्पत्ति पर स्थानीय कर

†*९७२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने करारोपण जांच समिति की इस सिफारिश पर कि वाणिज्यिक विभागों की सम्पत्ति पर स्थानीय कर अदा किये जायें, क्या निर्णय किया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : सरकार ने आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक कानून भी बनाया जा रहा है ।

प्रत्यक्ष करों में कमी

†*९७३. **श्री तंगामणि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में प्रत्यक्ष करों से, जिनमें समवाय कर भी शामिल हैं, जितनी धनराशि प्राप्त हुई, वह पिछले वर्षों से कम है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) चालू वर्ष में फरवरी, १९६१ तक कितनी धनराशि वसूल हुई और पिछले वर्ष में इसी अवधि में कितनी रकम प्राप्त हुई थी ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) वर्तमान वर्ष में जनवरी, १९६१ के अन्त तक १९९.२४ करोड़ रुपये इकट्ठे किये गये थे जबकि गत वर्ष उक्त अवधि में १६९.१७ करोड़ रुपये वसूल किये गये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्टाफ कारों का उपयोग

†*९७४. **श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को रविवार और छुट्टी के दिन, जब उन्हें लोक हित में सरकारी ड्यूटी पर जाना हो, स्टाफ कार का उपयोग करने की अनुमति होती है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मनीपुर का तमेंगलांग सब-डिवीजन

†*९७५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के तमेंगलांग सब-डिवीजन के सम्पूर्ण क्षेत्र को गड़बड़ वाला और खतरनाक क्षेत्र घोषित किया गया है ;

(ख) क्या मनीपुर का कोई अन्य इलाका भी विद्रोही नागाओं की गतिविधियों से प्रभावित है ; और

(ग) क्या स्थिति से निपटने के लिये कोई विशेष पूर्वोपाय किये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). पुरानी कचार सड़क के उत्तर की ओर तमेंगलांग सब-डिवीजन के भाग को सशस्त्र सेना (आसाम तथा मनीपुर) विशेष शक्ति अधिनियम, १९५८ की धारा ३ के अधीन एक गड़बड़ वाला इलाका घोषित कर दिया गया है। उखरूल सब-डिवीजन तथा माओमरम सर्कल को भी गड़बड़ वाले इलाके घोषित कर दिया गया है ।

(ग) उक्त क्षेत्रों में सुरक्षा सेनाओं की संख्या को बढ़ा दिया गया है ।

भिलाई इस्पात कारखाने में छंटनी

†*९७६. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री भा० कृ० गायकवाड़ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई इस्पात कारखाने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लगभग २०० कर्मचारियों की छंटनी कर दी गयी है ;

(ख) क्या १५ मार्च, १९६१ को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के २५० और कर्मचारियों की छंटनी होने वाली है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का उपयुक्त अनुपात रखा जाता, तो क्या इस छंटनी को टाला जा सकता था ;

(घ) इस अनुपात के न रखे जाने का क्या कारण है ; और

(ङ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ङ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

भिलाई इस्पात परियोजना में भर्ती किये गये व्यक्तियों में से अधिकांश व्यक्ति निर्माण कार्यों के लिये थे। अतः उन्हें अस्थायी रूप से भर्ती किया गया था । जहां तक कार्य प्रभारित तथा दतर्थ भर्ती किये गये कर्मचारियों का सम्बन्ध है, विभिन्न सम्प्रदायों के आधार पर उनके आंकड़े नहीं रखे जाते । केवल नियमित कर्मचारियों के ही आंकड़े सम्प्रदायों के आधार पर रखे जाते हैं । अभी तक किसी भी नियमितकर्मचारी को नहीं निकाला गया है । अब जब कि निर्माण कार्य लगभग समाप्त हो रहे हैं, कार्य प्रभारित तथा तदर्थ भर्ती किये गये कर्मचारियों को निकाला जा रहा है । २८-२-१९६१ तक १६७०८ व्यक्तियों की छंटनी की जा चुकी है। 'बाद में आने वाले को पहले' के आधार पर निकाला जा रहा है । छंटनी करते समय अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के व्यक्तियों की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। परन्तु अनुसूचित जातियों तथा आदम जातियों के व्यक्तियों को कार्य के क्षेत्र में स्थायी स्थानों पर नियुक्ति के समय प्राथमिकता दी जाती है। अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के व्यक्तियों के सम्बन्ध में इस नियम में कुछ ढील दी गयी है कि कार्य प्रभारित तथा तदर्थ भर्ती किये गये केवल उन्हीं व्यक्तियों को स्थायी स्थानों के लिये चुना जायेगा जोकि १ जनवरी, १९५९ से पहले से भिलाई में काम कर रहे हैं। इस रियायत के परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लगभग १५० व्यक्तियों को स्थायी रूप से ले लिया गया है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटिड को यह आशा है कि अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लगभग सभी व्यक्तियों को स्थायी स्थानों के लिये चुने जाने के लिय अवसर दिया जायेगा ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम

†*९७७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या **शिक्षा** मंत्री २० दिसम्बर, १९६० के अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा के माध्यम के बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ इस बीच बातचीत की गयी थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) मामला अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

छात्रों में अनुशासनहीनता

*९७८. श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री २ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालयों के छात्रों में अनुशासनहीनता की समस्या का अध्ययन करने के लिये नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दिशा में अब तक क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): समिति की सिफारिशों के बारे में राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को बता दिया गया है, जिन पर कि सिफारिशों को अमल में लाने की जिम्मेदारी है ।

इस्पात कारखानों के छंटनी किये गये कर्मचारी

†*९७९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के विभागीय अथवा ठेके के उन कर्मचारियों को, जिनकी १९६० तक छंटनी की गयी थी, वैकल्पिक रोजगार प्रदान किया जा चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो जिन लोगों को रोजगार नहीं दिया गया उनकी कुल संख्या कितनी है ;

(ग) १९६० में कुल कितने व्यक्तियों की छंटनी की गयी ; और

(घ) १९६१ में कितने व्यक्तियों की छंटनी होने की संभावना है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (घ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

प्रत्येक इस्पात कारखाने के सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार से है :—

भिलाई : १९६० में कुल ९०४२ मजदूरों को छंटनी में निकाला गया था । १९६१ में अभी तक ७६६६ मजदूर निकाले जा चुके हैं। आशा है आगामी दो महीनों में १०,००० और व्यक्तियों को भी निकाल दिया जायेगा । १९६० में जो मजदूर निकाले गये थे, उनमें से ३६६८ मजदूरों की विभिन्न मालिकों द्वारा इन्टरव्यू की गयी थी । उनमें से १२७० को अन्य कार्यों के लिये चुन लिया गया था ।

रूरकेला : १९६० में ८० मजदूरों को छंटनी में निकाला गया था । १९६१ में लगभग ३००० मजदूरों को निकाल दिया जायेगा । १९६० में जिन ८० मजदूरों को निकाला गया था, वे अप्रवीण कर्मचारी जिन्हें अस्थायी रूप से ६ मास के लिये सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा मलेरिया विभागों में भर्ती किया गया था । कार्य पूरा होने पर उन्हें निकाल दिया गया था । उन्हें कोई अन्य रोजगार देना संभव नहीं हो सका है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दुर्गापुर : १९९० में कुल ३०४ कार्य प्रभावित मजदूरों को निकाला गया था। उन सभी को दूसरे रोजगार दे दिये गये हैं। इस समय यह अनुमान लगाना कठिन है कि १९९१ में कितने मजदूरों को निकाला जायेगा।

उक्त तीनों परियोजनाओं में ठेकेदारों द्वारा निकाले मजदूरों के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटिड ऐसे आंकड़े नहीं रखता है।

होजरीके सामान पर केन्द्रीय बिक्री कर

†*९८०. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होजरी के सामान का यदि बम्बई से निर्यात किया जाये अथवा बम्बई में आयात किया जाये तो उस पर केन्द्रीय बिक्री कर नहीं लिया जाता ;

(ख) क्या यह भी सच है कि होजरी के सामान का यदि लुधियाना, दिल्ली अथवा कलकत्ता से निर्यात अथवा वहां आयात किया जाये तो उस पर केन्द्रीय बिक्री कर लिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस मामले में एकरूपता लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). भारत के क्षेत्र से वस्तुओं के लिये जाने वाले निर्यात या आयात के परिणामस्वरूप सभी राज्यों से किये जाने वाले क्रय या विक्रय पर सभी केन्द्रीय या राज्य विक्रय करों से छूट दे दी जाती है।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

जनता बीमा योजना

†*९८१. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम जनता बीमा योजना को खत्म करने की प्रस्थापना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यवाही के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसका ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

आयुध कारखानों में निर्मित इस्पात

†*९८२. **श्री मुरारका** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुध कारखानों में किन किस्मों के विशेष इस्पात का निर्माण किया जाता है और कब से; और

(ख) विशेष इस्पात की प्रत्येक किस्म के उत्पादन पर प्रति टन लागत कितनी आती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

णप्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरमैय्या) : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(क) उन आयुध कारखानों में पिछले ५० वर्षों से कई किस्मों किस्मों के इस्पात का निर्माण हो रहा है। नई किस्मों के विकास का कार्य हो रहा है। इस समय इन कारखानों में लगभग ११५ किस्मों के इस्पात का निर्माण हो रहा है ; उनका व्यौरा धातु तथा इस्पात कारखाना, ईशापुर द्वारा प्रकाशित इस्पात अनुसूची में सम्मिलित है।

(ख) इस्पात की इतनी अधिक किस्मों के उत्पादन की प्रति टन लागत बताना सभव नहीं है। फिर भी ७ प्रमुख किस्मों की उत्पादन लागत निम्नलिखित है:—

आयुध कारखानों द्वारा निर्मित ३ इंच के गोलबिलटों की लागत

इस्पात की किस्म	प्रतिटन न्यूनतम लागत रुपये	प्रतिटन अधिकतम लागत रुपये
१. हाई कार्बन स्टील	५९६	६८५
२. निकल क्रोमियम स्टील .	३४७८	४६९९
३. निकल स्टील . .	१५९५	१७६६
४. निकल क्रोमियम मोलाइबडेनम स्टील . .	१४१३	१५६७
५. क्रोमियम मोलाइवडेनम स्टील .	९२९	१३६९
६. सिलिको-मेंगनीज स्टील . . .	६८२	७८०
७. क्रोमियम तुंगस्टेन स्टील . .	५१४१	७८२६

विशेष—उत्पादन की लागत प्रतियोगी है। वास्तव में सिलिको मंगेनीज स्टील का सरकार का नियंत्रित दर ७८८.०० प्रतिटन है, जोकि आयुक्त कारखानों में इस प्रकार की स्टील के उत्पादन की अधिकतम लागत से अधिक है।

दिल्ली के लिये तीसरी योजना

†*९८३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली की तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए अन्तिम रूप से आवंटन किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली प्रशासन और दोनों नगर-निकायों की मांगों की पूर्ति किस प्रकार करने का विचार है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). इसका उत्तर बाद की किसी तिथि को योजना मंत्री द्वारा दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

संगीत नाटक अकादमी

†*९८४. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर
श्री आसर :
श्री वाजपेयी :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २० दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संगीत नाटक अकादमी के हिसाब किताब में कथित अनियमिताओं के बारे में जांच इस बीच पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

तेल की खोज के लिये फ्रांसीसी सहायता

*९८५. श्री भक्त दर्शन :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री पांगरकर :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २३ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में तेल की खोज करने के लिये "फ्रैन्च इन्स्टीट्यूट आफ पैट्रोलियम" द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों पर सरकार ने विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।

आयुध कारखानों में उत्पादन

†*९८६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या आयुध कारखानों में १९५९ की तुलना में १९६० में सैनिक और असैनिक आवश्यकताओं की चीजों के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) अन्य किन चीजों के उत्पादन का कार्य हाथ में लिय जाने की संभावना है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) जी, हाँ।

(ख) १९६०-६१ के प्रथम ९ महीनों में (एक अप्रैल से ३१ दिसम्बर, १९६० तक) आयुध कारखानों में कुल १९.८६ करोड़ रुपयों की सनिक तथा असैनिक वस्तुओं का निर्माण किया गया था जबकि १९५९-६० में उक्त अवधि में १६.१६ करोड़ रुपये की वस्तुओं का निर्माण किया गया है। अतः १९६० में ३.७० करोड़ रुपयों की वस्तुओं का उत्पादन अधिक हुआ है अर्थात् २३.९ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) आयुध कारखानों द्वारा यह लगातार यत्न किया जा रहा है कि प्रतिरक्षा की वस्तुओं के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उन नयी वस्तुओं के सम्बन्ध में कोटा देना लोक-हित में नहीं है, जिनका निर्माण शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि

†*९८७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बजट पेश होने के पश्चात् उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में होने वाली वृद्धि पर ध्यान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इनमें कितनी वृद्धि हुई है और क्या यह वृद्धि उन करों के अनुपात में, जिन्हें लगाने की घोषणा की गयी है, बहुत अधिक है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'हां' में हो, तो सरकार ने उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में होने वाली असाधारण वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी, हां। सरकार को देश के कई केन्द्रों से यह सूचनायें प्राप्त हुई हैं कि बजट पेश होने के पश्चात कई उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है।

(ख) विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में विभिन्न सीमाओं तक वृद्धि हुई है उदाहरणार्थ काफी, हुक्का तम्बाकू, वनस्पति की वस्तुओं और बढ़िया किस्म के मिट्टी के तेल की कीमतें आशा से कुछ अधिक बढ़ गयी हैं।

सिगरेट, कागज, गत्ते और अनिर्मित तम्बाकू की कई किस्मों की कीमतों में वृद्धि शुल्क में हुई वृद्धि के अनुसार ही रही है।

(ग) कई बार ऐसा होता है कि बजट पेश होने पर कुछ कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, परन्तु वे शीघ्र ही स्थिर हो जाती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अस्पृश्यता

†१९१६. **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में १९५५ के अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के कितने मामले पिछले छै महीनों में चलाए गए ; और

(ख) ऐसे मामलों में से कितने प्रतिशत में अपराधियों को दण्डित किया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री** (श्री दातार) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और कालान्तर में सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों को पानी की सुविधायें

†१९१७. **श्री पांगरकर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों को पानी की सुविधायें प्रदान करने के लिए वर्ष १९६०–६१ में अभी तक केन्द्र द्वारा पोषित योजनाओं के अन्तर्गत कितने कुओं की मंजरी दी गई है ; और

(ख) उनमें कितना व्यय होगा ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). आवश्यक सूचना महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अनसूचित जाति तथा अनसूचित आदिम जाति आयुक्त के महाराष्ट्र के दौरे

†१९१८. **श्री पांगरकर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त ने १९६०–६१ में अभी तक महाराष्ट्र का कितनी बार दौरा किया है ; और

(ख) उन्होंने किन किन स्थानों का दौरा किया और वहां की क्या क्या समस्यायें नोट कीं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) नौ बार ।

(ख) आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला विवरण संलग्न है । [देखिए परिशिष्ट ३, **अनुबन्ध संख्या ६४**]

---

†मूल अंग्रेजी में

नागा विद्रोही तथा मनीपुर पुलिस

†१९१९ { **श्री पांगरकर :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में १ नवम्बर, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ तक नागा विद्रोहियों और मनीपुर पुलिस के बीच में कितनी टक्करें हुईं ;

(ख) इस अवधि में कितने नागा विद्रोही बन्दी किए गए तथा उनमें से कितनों को जेल में रखा गया है ; और

(ग) उपरोक्त अवधि में कितने नागा विद्रोहियों ने पुलिस को आत्म समर्पण किया ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) पांच ।

(ख) इस अवधि में बन्दी किए गए २० नागा विद्रोहियों में से १३ जेल में हैं और ७ जमानत पर हैं ।

(ग) एक भी नहीं ।

मनीपुर और त्रिपुरा में प्राइमरी स्कूल

†१९२०. श्री पांगरकर : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मनीपुर और त्रिपुरा में कितने प्राइमरी स्कूल हैं ; और

(ख) वहां प्राइमरी स्कूलों में इस समय विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). आवश्यक सूचना निम्न प्रकार है :

	प्राइमरी स्कूलों की संख्या जूनियर बेसिक स्कूलों को सम्मिलित करके)	ऐसे स्कूलों में विद्यार्थियों की कुल संख्या
(१) त्रिपुरा .	१,०९९	७२,१४६
(२) मनीपुर	१,४३०	९७,९२९

आसाम में समाज कल्याण विस्तार परियोजनायें

†१९२१. श्री पांगरकर : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आसाम को वर्ष १९६०–६१ में समाज कल्याण विस्तार परियोजनाओं और सामाजिक एवं नैतिक सदाचार तथा बाद की देखभाल के कार्यक्रम के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : आसाम में समाज कल्याण विस्तार परियोजनाओं के लिए वर्ष १९६०–६१ में अभी तक केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम

†मूल अंग्रेजी में

से ३.०६ लाख रुपए दिए गए हैं। भुगतान सीधे राज्य समाज कल्याण मंत्रणा बोर्ड को किया जाता है, राज्य सरकार को नहीं।

भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में किए गए १,३५,८०० रुपए के वास्तविक व्यय के ५० प्रतिशत की दर से ६७,९०० रुपए की राशि का भुगतान और करेगी।

गुजरात में शिक्षा संस्थाओं को अनुदान

†१९२२. **श्री पांगरकर:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ में अभी तक गुजरात की कितनी शिक्षा संस्थाओं ने अनावर्तक अनुदानों के लिए प्रार्थना-पत्र दिए हैं ; और

(ख) इनमें से प्रत्येक संस्था को कितना अनुदान मंजूर किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) ३७।

(ख) निम्नलिखित तीन संस्थाओं को अनुदान मंजूर किए गए थे :

संस्था का नाम	मंजूर की गई राशि
	रुपये
लोक भारती ग्रामीण संस्था, सनोसारा	१३,०९८
बड़ौदा विश्वविद्यालय	११,४६९
सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ, वल्लभ विद्यानगर . .	२,४००

उड़ीसा में गांव के चौकीदारों की उपलब्धियां[1]

†१९२३. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार से उड़ीसा के गांव के चौकीदारों की उपलब्धियां बढ़ाने के लिए अतिरिक्त महंगाई भत्ते के दो-तिहाई का भार वहन करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) भारत सरकार इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को कितनी राशि देने जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की उपलब्धियां बढ़ाने के लिए राज्यों की केन्द्रीय सहायता की योजना के अनुसार, जो चालू वित्तीय वर्ष के

†मूल अंग्रेजी में

[1]Emoluments.

अन्त तक चलेगी, इस प्रयोजन के लिए सहायता देना स्वीकार कर लिया है । योजना के विस्तार क्षेत्र की व्याख्या २४ अप्रैल, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३४८४ और ७ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७५५ के उत्तर में की जा चुकी है ।

(ग) अनुमान है कि सामान्य योजना के अनुसार राज्य को चालू वर्ष में दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में से १६ लाख रुपए इस प्रयोजन के लिए होंगे ।

सेना के अधिकारियों का वेतन

†१९२४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेकन्ड लेफ्टीनेन्ट, लेफ्टीनेन्ट, कैप्टन का १९४७, १९५३ और १९६० में कुल वेतन कितना था ;

(ख) नियमित भत्ते शीर्षक के अन्तर्गत उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वे अन्य किन भत्तों के हकदार हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) और (ख). एक विवरण जिसमें आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी डेन्टल कोर और पशु चिकित्सा अधिकारियों को छोड़ कर अन्य समस्त रेजीमेन्टों के सेकन्ड लेफ्टीनेन्ट, लेफ्टीनेन्ट और कैप्टेन की श्रेणियों के सेवा अधिकारियों के बारे में आवश्यक सूचना दी गई है, संलग्न है । **[देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६५]**

(ग) किट निर्वाह और विशेष व्यय भत्तों के अतिरिक्त सेना अधिकारी इस समय निम्नलिखित प्रमुख भत्तों के हकदार हैं :

(१) अधिकारियों को प्रथम बार सेना में भर्ती होने पर और उसके बाद सेवा के प्रत्येक ७ वर्षों के बाद ८०० रुपये का वर्दी का भत्ता दिया जाता है ।

(२) लेफ्टीनेन्ट और कैप्टेन की श्रेणी के अधिकारियों को, जिन्होंने दो या अधिक वर्षों की कमीशन्ड सर्विस पूरी कर ली हो, विशेष प्रविधिक योग्यता के अनुसार ७५ रुपये प्रतिमाह या ५० रुपये प्रतिमाह अर्हता वेतन दिया जाता है ।

(३) विवाहित अधिकारी ट्रान्सफर होने पर भारतीय सीमाओं के अन्दर एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र की यात्रा करते समय आकस्मिक व्यय करने के लिये १३५ रुपये के व्यय भत्ते के हकदार हैं ।

(४) जब विवाहित अधिकारियों को ऐसे स्थानों में नियुक्त किया जाता है जहां परिवार साथ रखने की अनुमति नहीं है तो उन्हें ५० रुपये का पृथक्करण भत्ता, विनिहित शर्तों के अधीनस्थ, दिया जाता है ।

(५) अधिकारियों को कतिपय निर्दिष्ट केन्द्रों में सरकार के असैनिक अधिकारियों के सम्बन्ध में लागू शर्तों और दरों के अनुसार प्रतिकरात्मक (शहर) भत्ता भी मिलता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जे० सी० ओ० का वेतन

†१९२५. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७, १९५३ और १९६० में जमादारों, सूबेदारों और अन्य जूनियर कमीशन्ड आफीसर्स (कनिष्ठ आयुक्त अधिकारियों) का कुल वेतन कितना था ;

(ख) उसका भत्तों के शीर्षकों के अन्तर्गत ब्यौरा किस प्रकार है ;

(ग) अधिकारियों के ऐसे कौन से भत्ते हैं जो उन्हें नहीं मिलते हैं; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). एक विवरण जिसमें पैदल सेना के जूनियर कमीशन्ड आफीसर्स (उनके अतिरिक्त जो कमीशन्ड आफीसर्स के रूप में आनरेरी रैंक धारण किये हैं) के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना दी गई है, संलग्न है । [देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६६]

(ग) और (घ). अधिकारियों और जूनियर कमीशन्ड आफीसर्स को देय भत्तों में अन्तर उनके वेतन के अन्तर की तरह सेवा की अन्य शर्तों तथा निबन्धनों के अनुरूप है तथा इसलिये रखा गया है कि ठीक टाइप के लोग उधर आकर्षित हों। कुछ प्रमुख भत्ते जिनके अधिकारी तो हकदार हैं पर जूनियर कमीशन्ड आफिसर्स नहीं हैं निम्न लिखित हैं : वर्दी भत्ता, किट निर्वाह भत्ता, विशेष व्यय भत्ता, (व्यय भत्ते के अतिरिक्त) पृथक्करण भत्ता और अर्हता वेतन ।

रद्दी लोहा

†१९२६. श्री मो० ब० ठाकुर : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य के भद्रावती के मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स की पिघलाने के लिये रद्दी लोहे की वार्षिक आवश्यकता कितनी है ;

(ख) १९५६ से १९६० तक के वर्षों में उसमें ऐसे लोहे की वास्तव में कितनी खपत हुई;

(ग) उसके पिघलाने के रद्दी लोहे की खपत का श्रेणीवार ब्योरा क्या है ;

(घ) मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स को १९६० में बम्बई और मद्रास के निर्यातकों से उनके द्वारा संख्या २, २क और ३ के बंडलों में निर्यात की गई नं० १ किस्म की दबी हुई लोहे की चादरों की रद्दी कतरनों और पिघलने वाले भारी रद्दी लोहे की कितनी मात्रा प्राप्त हुई ;

(ङ) मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स को १९६० में अन्य किन साधनों से, यदि कोई हों, रद्दी लोहा प्राप्त हुआ ; और

(च) मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स ने बम्बई/मद्रास के निर्यातकों द्वारा आवण्टन के आधार पर प्राप्त किये गये तथा खुले बाजार से प्राप्त किये गये रद्दी लोहे के लिये प्रतिटन कितना मूल्य भुगतान किया ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) लगभग ३०,००० टन प्रति वर्ष ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पिछले चार वर्षों की खपत के आंकड़े, मैसूर वर्क्स के अपने रद्दी लोहे को सम्मिलित करके, निम्न प्रकार हैं :

१९५६–५७	. . . .	३३,५३७ टन
१९५७–५८	. . . .	४१,७०२ टन
१९५८–५९	. . . .	५१,२८९ टन
१९५९–६०	. . . .	४९,५२० टन
(ग) भारी रद्दी लोहा	. . .	२०,५१७ टन
टर्निंग और बोरिंग	. .	३,८५६ टन

(घ) नं० १ की दबी हुई चादरों की रद्दी कतरनें :

(१) बम्बई के निर्यातकों से	.	२,८५० टन
(२) मद्रास के निर्यातकों से	.	१,८६० टन

(ङ) रेलवे, हिन्दुस्तान शिपयार्ड, इंडियन स्टील रोलिंग मिल्स आदि जैसे साधनों से १२,२०६ टन ।

(च) भद्रावती स्टील वर्क्स द्वारा निर्यातकों से रद्दी लोहे की खरीद नियंत्रित मूल्यों पर की गई है। १९६० में वर्क्स ने बाजार से सीधे रद्दी लोहे की कोई खरीद नहीं की।

रद्दी लोहे के मूल्य

†१९२७. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिघलाने के रद्दी लोहे के कंट्रोल मूल्यों को बढ़ाने हेतु पुनरीक्षण न किये जाने के कारण नं० १ किस्म की चादरों की कतरनों के कंट्रोल मूल्य और खुले बाजार के मूल्य में बहुत असमानता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने अपनी रद्दी लोहे की समस्त आवश्यकता की खरीद खुले बाजार से की मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स अपने रद्दी लोहे के संभरण के लिये बम्बई/मद्रास के निर्यातकों पर निर्भर है क्योंकि रद्दी लोहे की निर्यात नीति निर्यातकों को मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स को रद्दी लोहे का कंट्रोल के कम मूल्य पर संभरण करने के लिये बाध्य करती है; और

(ग) बम्बई/मद्रास के रद्दी लोहे के निर्यातकों से मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स को कच्चे माल का संभरण सहायता प्राप्त दरों पर क्यों कराया जाता है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) सरकार को कंट्रोल मूल्य और खुले बाजार के मूल्य में असमानता की कोई जानकारी नहीं है। मूल्य कंट्रोल के अनुसार रद्दी लोहा केवल कंट्रोल मूल्यों पर ही बेचा जा सकता है।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील और मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स दोनों को रद्दी लोहा यथा-संभव कंट्रोल साधनों से दिया जाता है। उन्हें १० प्रतिशत शुल्क भी दिया जाता है जो सरकार संख्या २, २क और ३ किस्म की चादरों की कतरनों पर बम्बई और मद्रास के निर्यातकों पर लगा

---

†मूल अंग्रेजी में

रही है। इसके अतिरिक्त सरकार की नीति देश में स्थानीय साधनों से प्राप्त रद्दी लोहे का अधिकतम उपयोग करने की है।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में हॉबी वर्कशाप

†१९२८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री २४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में हॉबी वर्कशापों की स्थापना के प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में आद्यतन क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** विवरण संलग्न है। **[देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६७]**

बैंकिंग विधि का संशोधन

†१९२९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वित्त मंत्री अपने २० अगस्त, १९६० को लोक-सभा में दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि निक्षेपकों के हितों को अधिक सुरक्षित करने और बैंकों के समापन की स्थिति में उन्हें तुरन्त प्रारंभिक सहायता दिलाने के उद्देश्य से वर्तमान बैंकिंग विधि को संशोधित करने का प्रस्ताव किस अवस्था में है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** आवश्यक सूचना सभा को २४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ७०१ के उत्तर के सम्बन्ध में प्रदान की जा चुकी है। तब से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

पंजाब में शिक्षित बेरोजगारों की सहायता

†१९३०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब को १९६०–६१ में शिक्षित बेरोजगारों की सहायता और प्राईमरी शिक्षा के विस्तार की योजना के अन्तर्गत कितने नये अध्यापक आवंटित किए गए; और

(ख) पंजाब सरकार को इस प्रयोजन के लिए १९५९–६० और १९६०–६१ में कितनी राशि आवण्टित की गई थी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) ९०० अध्यापक।

(ख) (१) १९५९६०:—इस योजना के लिए आवण्टन प्रारंभिक शिक्षा के लिए सामान्य आवण्टन का भाग था और अलग से नहीं दिखाया गया था।

(२) १९६०–६१:—३१.२७ लाख रुपए

पंजाब में पॉलीटेक्नीक

†१९३१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री २४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ७०८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में केन्द्र द्वारा पोषित पॉलीटेक्नीक खोलने में आद्यतन क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : सिरसा पॉलीटेक्नीक के लिए भूमि अर्जित कर ली गई है और इमारतों के निर्माण के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं

बटाला पॉलीटेक्नीक के लिए भूमि अर्जन संबंधी कार्यवाही चल रही है और इमारतों के निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति दे दी गई है ।

गुरु तेगबहादुरगढ़ पॉलीटेक्नीक के लिए गुरु नानक शिक्षा ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित भूमि ग्रहण करने के लिए कार्यवाही चल रही है ।

सिरसा और बटाला के पॉलीटेक्नीकों के १९६२-६३ तक चालू हो जाने की आशा है ।

उड़ीसा के उच्च न्यायालय में अनिर्णीत मामले

†१९३२. **श्री कुम्भार** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के उच्च न्यायालय में दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में वर्ष-वार दीवानी, फौजदारी और निर्बासन के कितने मामले दायर किए गए;

(ख) उनमें से कितने मामलों का निपटारा अभी तक हुआ है ;

(ग) कितने मामले विचाराधीन पड़े हुए हैं; और

(घ) उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ) सूचना प्राप्त की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पाकिस्तान को भेजी गई धन राशि

*१९३३. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री कुन्हन :

क्या **वित्त** मंत्री १५ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १८६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कासिम अली एण्ड कम्पनी, बन्दर स्ट्रीट, मद्रास के मालिक कासिम अली द्वारा पाकिस्तान को भेजे गये धन की जांच का काम पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो भेजे गये कितने धन का अब तक पता लगा है; और

(ग) क्या इस धन को पाकिस्तान भिजवाने में किसी भारतीय अधिकारी अथवा कम्पनी का भी हाथ है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). और भी जांच की गयी लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे यह पता चले कि श्री कासिम अली ने पाकिस्तान पैसे भेजे । इसे देखते हुए इस मामले में किसी भारतीय अफसर या कम्पनी का हाथ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नौलखे हार की बिक्री

१९३४. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :**
श्री आसर :
श्री वाजपेयी :

क्या **वित्त** मंत्री १५ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १८८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लखनऊ के एक धनी नवाब परिवार को विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये नौलखा हार बेचने की जो अनुमति दी गई थी और जिस एजेंट को इसे बेचने का काम सौंपा गया था, क्या वह भारत लौट आया है; और

(ख) क्या यह सच है कि इस नौलखे हार की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) उत्तर प्रदेश के एक महाराज कुमार के गहनों को विदेश में बेचने का काम जिस एजेण्ट को सौंपा गया था वह भारत लौट आया है।

(ख) इन गहनों के सम्बन्ध में, जिनमें (१) हीरे-पन्ने का एक हार और (२) हीरा-पन्ना जड़ी एक जोड़ी बालियां थीं, यही तय पाया गया था कि प्राचीनता या ऐतिहासिकता की दृष्टि से इनका बहुत महत्व नहीं है

बैंकों का वैज्ञानिकन[1]

†१९३५ **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री २० दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १००१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शेष छह बैंकों के वैज्ञानिकन की योजना पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). २० दिसम्बर, १९६० को तारांकित प्रश्न संख्या १००१ के उत्तर में निर्दिष्ट बैंकों के अतिरिक्त दो और बैंकों के संबंध में विलम्बकाल आदेश जारी किए गए हैं इनमें से प्रत्येक बैंक के संबंध में नवीनतम स्थिति का संलग्न विवरण में संकेत किया गया है। **[देखिए परिशिष्ट अनुबन्ध संख्या ६८]**

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों का भूतत्वीय सर्वेक्षण

१९३६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २९ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में सर्वेक्षण कार्य का सन् १९६०-६१ के लिए जो कार्यक्रम बनाया था, उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है और उसके आधार पर आगे का कैसा कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Rationalisation of Banks.

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): १९६०–६१ के दौरान में भारतीय भगर्भीय सर्वेक्षण विभाग के कार्यक्रम में शामिल किये गये अन्वेषण कार्यों में अब तक प्राप्त हुई प्रगति निम्न प्रकार है:—

(१) अल्मोड़ा जिले के शीशखानी-बालादेव और गनी-गंगोली भागों में तांबा, सीसा तथा मैगनेसाइट की जांच जारी रखना।

शीशखानी में पुरानी खानों के कार्यस्थानों को साफ करने और खोदने के बाद नमूनों को इकट्ठा करने का कार्य पूरा किया गया है।

(२) गढ़वाल जिले के पनाई, मगरासू इत्यादि भागों के निकट आचूर्ण तथा पट्टी लोभा में सूचित किये गये ग्राफाइट की जांच।

इस वर्ष के दौरान में प्रारम्भिक अन्वेषण कार्य पूरे किये जायेंगे। यदि आवश्यक समझा गया तो आगामी कार्य को हाथों में लिया जायेगा।

(३) गढ़वाल की धातुपूर्ण मेखला में धनपुर, पोखरी तथा दूसरे क्षेत्रों का भूमीक्षण तथा विस्तृत मानचित्रण।

विस्तृत मानचित्रण के साथ-साथ भूरासायनिक व्यादर्शन कार्य किया गया। दण्डा खान गावों के पूर्व में खान के दो छिद्रों को शामिल करते हुए पुरानी खानों का भी परीक्षण किया गया। सतह पर खनिजायन का कोई चिन्ह नहीं पाया गया।

(४) अल्मोड़ा तथा नैनीताल जिलों के मानचित्रण कार्य का चालू रखना।
सूचना देने योग्य कोई प्रगति नहीं हुई।

(५) मसूरी क्षेत्र में फासफेट्स पत्थरों की जांच।
खनन कार्य जारी रखा जा रहा है। मसूरी के लण्डोर बाजार के घण्टा घर और मिडलैण्डन के बीच में पाये जाने वाले नरम प्रांगारमय जम्बशिला में फासफेट्स के पिण्ड मुख्यतः केन्द्रित हैं। (जम्बशिला में, P_2O_5 अंश ०·०५ प्रतिशत से ०·३६ प्रतिशत तक है तथा पिण्डों में १.८४ प्रतिशत तक होता है। पिण्डों में बाहरी तल अधिक फासफेट्सयुक्त दिखाई देता है)

(६) नैनीताल जिले व समीपवर्ती क्षेत्र के जिन भागों के अन्तर्गत समन्वेषी व्यधन हो चुका है उनकी नियमानुसार भू-जलवैज्ञानिक जांच का चालू रखना।

भूमिगत जल के अध्ययनों को जारी रखा जा रहा है।

गडरपुर, रामपुर, बिलासपुर और हलद्वानी क्षेत्रों में भूमिगत स्तर से जल स्तर की गहराई ४ फुट से १२ फुट तक पाई जाती है।

(७) देहरादून जिले के जिन भागों में समन्वेषी व्यधन हो चुका है, उनकी नियमानुसार भु-जलवैज्ञानिक जांच का चालू रखना। देहरादून क्षेत्र की वर्षा संबंधी सूचना इकट्ठी की गई। खोदे गये कुओं में पानी का स्तर भूमिगत स्तर के नीचे, ९·६८ और ९६·१४ फुट के बीच है।

(८) पूर्णागिरि (बनघाट) डैम परियोजना के लिए प्राथमिक भूगर्भीय जांचों को चालू रखना।

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्माण से पूर्व अन्वेषणों के अप्रैल, १९६२ तक पूर्ण होने की सम्भावना है, जैसा कि आयोजित किया गया है।

(९) राम-गंगा डैम परियोजना के लिए, निर्माण से पूर्व भूगर्भीय जांचों को चालू रखना।

निर्माण से पूर्व अन्वेषणों को जारी रखा जा रहा है और उनके जून, १९६१ तक पूरे होने की सम्भावना है।

(१०) यमुना हाइडल योजना के लिए भूगर्भीय जांचों का चालू रखना।

यमुना हाइडल योजना से सम्बन्धित विभिन्न विषयों का भूगर्भीय अन्वेषण किया गया। इस क्षेत्र में क्रोल और नाहन संभंगों की मात्रा का अध्ययन किया गया। छिब्बरों विद्युत केन्द्र स्थल का मानचित्रण किया गया।

२९ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९४८ के उत्तर में बताये गये अन्वेषणों के अन्य विषयों के सम्बन्ध में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है।

१९६१-६२ के दौरान में उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा भूगर्भीय मानचित्रण और खनिज अन्वेषणों के निम्न-लिखित कार्यों को हाथ में लेने का विचार है:—

१. नैनीताल जिले का भूगर्भीय मानचित्रण।

२. अल्मोड़ा जिले का भूगर्भीय मानचित्रण।

३. अल्मोड़ा जिला के शीशखानी, गोनाई, रेख अगार, देवरथल क्षेत्र में ताम्बे और सीसे की खोज।

४. धनपुर-पोखरी और गढ़वाल जिले के दूसरे क्षेत्रों में तांबे की खोज।

५. गढ़वाल में विद्यमान कच्चे तांबे का विस्तृत अन्वेषण।

अल्पसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली भाषायें

१९३७. **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी जिले को द्विभाषी अथवा एक भाषी मानने के लिए केवल संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं का विचार किया जाता है ;

(ख) जिले की अल्पसंख्यक भाषाओं की व्याख्या किस प्रकार की गई है ; और

(ग) क्या आदिम जातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषायें भी उनमें आती हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :(क) से (ग). भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये परित्राणों सम्बन्धी ज्ञापन के पैरा ७—१२ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इन पैरों में सन्निहित उपबन्ध केवल आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं से सम्बन्धित नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

यूनियनों को मान्यता

†१९३८. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री ७ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने उन यूनियनों और संघों को पुनः मान्यता दे देने का अन्तिम निर्णय कर लिया है जिनकी मान्यता जुलाई, १९६० की हड़ताल के बाद खत्म कर दी गई थी।

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : जी, नहीं।

विदेशी मुद्रा का अतिक्रमण

†१९३९. श्री पांगरकर :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या वित्त मंत्री २४ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा अधिनियम के प्रवर्त्तन निदेशक ने भारत के स्टेट बैंक के एक विधेयक के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमों के अतिक्रमण सम्बन्धी मामले के बारे में जांच पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) नहीं श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नागालैंड का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†१९४०. श्री पांगरकर : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नागालैंड का भूतत्वीय सर्वेक्षण कराने का विचार करती है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख). भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने तीसरी योजना अवधि में नागालैंड के भागों का भूतत्वीय सर्वेक्षण करने का कार्यक्रम तैयार किया है। तीसरी योजना अवधि के लगभग मध्य तक यह कार्य किये जाने का विचार है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात संयंत्रों में इंजीनियर टेक्निशियन

†१९४१. श्री मुरारका :
श्री नाथवानी :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीनों इस्पात संयंत्रों के कितने इंजीनियर और टेक्निशियन काम पर लगे हुए हैं ;

(ख) कितने इंजीनियरों और टेक्निशियनों ने त्यागपत्र दे दिया है या त्यागपत्र देने की इच्छा व्यक्त की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस का क्या कारण है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :

(क) रूरकेला ४०८५
भिलाई ७९३९
दुर्गापुर ४००८

(ख) रूरकेला १७४
भिलाई १७९
दुर्गापुर ६५

(ग) यद्यपि बिना कोई कारण बताये कुछ त्यागपत्र पेश किये गये हैं, सामान्य कारण ये बताये गये हैं,: पारिवारिक काम, स्वास्थ्य की खराबी और अन्यत्र उत्तम अवसर।

बरौनी तेल शोधक कारखाने के स्थान पर मिट्टी की खुदाई आदि का काम

†१९४२. श्री मुरारका :
श्री नथवानी :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी तेल शोधक कारखाने के स्थान पर किये जाने वाले मिट्टी की खुदाई आदि के काम पर कितनी लागत आने का अनुमान है ; और

(ख) मूल प्राक्कलनों में इस राशि की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख). बरौनी तेल शोधक कारखाने की लागत का अनुमान अभी लगाया नहीं गया है । अन्य कार्यों के साथ साथ तेल शोधक कारखाने का स्थान तैयार करने के काम समेत अर्थ वर्क पर लगभग १.५ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गोहाटी की घटनाओं की जांच

†१९४३. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री ७ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोहाटी और दूसरे स्थानों की घटनाओं की जांच करने के लिए नियुक्त किये गये जांच आयोगों ने अपने प्रतिवेदन पेश कर दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). दोनों जांच आयोगों ने अपने प्रतिवेदन आसाम सरकार को पेश कर दिये हैं। राज्य सरकार उन पर विचार कर रही है और अभी ये प्रतिवेदन जनता के सामने नहीं आये हैं।

पंजाब में खनिजों का विकास

†१९४४. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पजाब सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में जिला महेन्द्रगढ़ में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने और खनिजों का विकास करने की कोई योजना पेश की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) खनिजों के विकास के लिये पंजाब सरकार द्वारा पेश की गई एक योजना तीसरी योजना के अन्तर्गत, अनुमोदित कर दी गई है। जिला महेन्द्रगढ़ में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) इस योजना में निम्न कार्यों के लिये योजना में ८·५० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है :

(१) राज्य की भूतत्वीय इकाई के लिये अतिरिक्त कर्मचारी	१·५० लाख रुपये
(२) मशीनरी के लिये खान पट्टा धमीयों को ऋण देने के लिये	१·५० लाख रुपये
(३) खानों के द्वार तक जाने वाली सड़क का निर्माण	४·०० लाख रुपये
(४) राज्य भूतत्वीय इकाई के लिये मशीनरी का क्रय	१·५० लाख रुपये

इस के अतिरिक्त १·५० लाख रुपये का उपबन्ध १९६१–६२ वर्ष में, पूर्वविशिष्ट राशि के रूप में, इकाई के लिये मशीनरी खरीदने के हेतु किया गया है ।

(ग) राज्य सरकार १९६१-६२ वर्ष के लिये बनाये गये कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये कार्रवाई कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अवैध शराब की भट्टियां

१६४५. श्री नवल प्रभाकर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १६६० में दिल्ली में शराब बनाने की कितनी अवैध भट्टियां पकड़ी गई ;

(ख) पकड़े गये अपराधियों में से कितनों को दण्ड दिया गया ; और

(ग) अपराधियों को क्या दण्ड दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) १२६।

(ख) पकड़े गये १४४ व्यक्तियों में से १० मार्च, १६६१ तक ३२ को दण्ड दिया गया।

(ग) ६ माह से ६ माह तक की कैद और २०० रुपये से ४०० रुपये तक जुर्माना।

पंजाब में कोयले की कमी

†१६४६ { **श्री दी चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में भट्टी उद्योग के लिये अपेक्षित हार्ड कोक की अत्यधिक कमी है ;

(ख) क्या पंजाब सरकार ने एक कोक-ओवन संयंत्र लगाने के लिये केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी है ; और

(ग) क्या सरकार प्रस्ताव की मोटी रूपरेखा सभा पटल पर रखेगी ?

†**इस्पात खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) मुगलसराय से ऊपर के रास्ते से बंगाल-बिहार से कोयला लाने की कठिनाइयों के कारण पंजाब के कुछ स्थानों पर अस्थायी तौर पर कोक की कमी थी। जिन भोक्ताओं ने कमी की सूचना दी थी, उनको तदर्थ आवंटन कर दिये गये थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारत का सरकारी ऋण

१६४७. श्री रघुनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) इस समय भारत का कुल सरकारी ऋण कितना है ;

(ख) इसमें कितना विदेशी ऋण है और इसका कितना ब्याज विदेशी मुद्रा में दिया जाता है तथा कितने ऋण के ब्याज का भुगतान रुपयों में किया जाता है ; और

(ग) सरकारी ऋण के ब्याज स्वरूप कितना रुपया प्रति वर्ष दिया जाता है और वर्ष १६६०–६१ में कितना रुपया दिया जायेगा तथा कितना वर्ष १६५६–६० में दिया गया था ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) लगभग ४६७१ करोड़ रुपया।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) विदेशी ऋणों की रकम — लगभग ८२६ करोड़ रुपया ।

विदेशी ऋणों पर विदेशी मुद्रा के रूप में दिये जाने वाले ब्याज की रकम — चालू वर्ष में लगभग २० करोड़ रुपया ।

जिन विदेशी ऋणों पर रुपये के रूप में ब्याज दिया जाता है उनकी रकम — लगभग २८९ करोड़ रुपया ।

(ग) सरकारी ऋण पर दिये जाने वाले ब्याज की रकम हर साल अलग अलग होती है। १९५९-६० में ब्याज के रूप में लगभग १२९ करोड़ रुपया दिया गया और १९६०-६१ में दिये जाने वाले ब्याज का संशोधित अनुमान १४३ करोड़ रुपया है ।

इस्पात संयंत्रों के लिये कच्चा माल

†१९४८. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अगाड़ी ।
श्री वोडयार :
श्री सुगन्धि :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री क० उ० परमार :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान तथा तीसरी योजना में प्रस्तावित इस्पात संयंत्रों से कच्चे माल के संसाधनों की दूरी कितनी है ;

(ख) परिवहन के क्या साधन इस समय उपलब्ध हैं तथा इन दूरियों के लिये क्या साधन उपलब्ध किये जाने का विचार है ;

(ग) इस्पात संयंत्रों के भावी विस्तार को ध्यान में रखते हुये, इन संयंत्रों के लिये यदि परिवहन के साधन अपर्याप्त हैं, तो उनका विकास किस प्रकार करने का विचार किया गया है ;

(घ) आवश्यकतानुसार रेल, सड़क तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास करने या इनकी व्यवस्था करने के लिये पृथक पृथक सापेक्ष लागत कितनी आयेगी ;

(ङ) क्या इस समय इस्पात संयंत्र केवल रेल परिवहन पर निर्भर हैं और यदि हां, तो जहां कहीं इस्पात संयंत्रों के लिये नई लाइनें डाली गई हैं उनके स्थान पर अथवा परिवहन साधनों को बढ़ाने के लिये परिवहन के अन्य साधनों का क्यों विकास नहीं किया गया है ; और

(च) मूल लागत, संचालन और गति लागत के बारे में इन क्षेत्रों में रेल तथा सड़क परिवहन की सामान्य हानि-लाभ क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (च). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६९]।

तार बनाने के उद्योग

†१९४९. श्री प्र० चं० बरूआ : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने तार बनाने के उद्योगों को प्रोत्साहन देने का फैसला किया है ;

(ख) यदि हां, तो उद्योग की वर्तमान क्षमता कितनी है ;

(ग) योजना के अन्तर्गत कितनी क्षमता का विचार है ; और

(घ) क्या तार बनाने का उद्योग पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) से (ग). विभिन्न किस्मों की तार की मांग बढ़ रही है। जिन विशेषज्ञों ने उद्योग की स्थिति का परीक्षण किया था, उनकी तालिका ने अनुमान लगाया है कि तीसरी योजना के अन्त तक प्रतिवर्ष लगभग ४७०,००० टन तार की मांग होने की संभावना है। इस समय को क्षमता लगभग २००,००० टन प्रतिवर्ष की है। लगभग १४०,००० टन की क्षमता की और बहुत सी योजनाओं का लाइसेंस दिया जा चुका है। तथापि देश भर में फैली हुई छोटी इकाइयों में तार के निर्माण का विकास संभव है। अप्रैल १९६० में घोषित की गई रियायतों में उन इकाइयों में जहां ५० से कम लोग काम करते हों और जहां देशी उपकरण का उपयोग किया जाता हो काली या गाल्वेनाइज़ड, सादी या बार्बड–वायर नेल्स और तार के रस्सों का खुले रूप में निर्माण करने का अधिकार दे दिया गया है। आशा की जाती है कि उद्योग का विकास होगा और तीसरी योजना के अन्त तक अनुमानित मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता हो जायेगी ।

(घ) तार बनाने का कच्चा माल है तारों के रूप में तारों के छड़। इस समय देश के अन्दर तारों की छड़ों का उत्पादन लगभग १२५,००० टन है। मांग और उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिये तार की छड़ों का आयात भी किया गया है। बर्नपुर के एकीकृत इस्पात कारखानों में एक नया कारखाना लगाया है जो पूरा उत्पादन करने पर लगभग १००,००० टन तार की छड़ों का संभरण कर सकेगा। तार की छड़ों के निर्माण का दूसरा कारखाना भिलाई के इस्पात संयंत्र के विस्तार में सम्मिलित किया गया है। वर्तमान पुनर्वेल्लकों को जो तार की छड़ें बनाना चाहते हैं, ऐसा करने की अनुमति दी जा रही है । इन कार्रवाइयों के परिणाम अनुभव किये जाने लगे हैं और आशा की जाती है कि अगले एक या दो वर्षों के बीच तार की छड़ों का उत्पादन पूरी मांग को पूरा कर देगा।

विदेशी सहायता

१९५०. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगामी दो वर्षों में भारत इतना आत्मनिर्भर हो जायेगा कि विदेशी सहायता की आवश्यकता नहीं रहेगी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई योजना बनाई गई है ;

(ग) आगामी दस वर्षों में कितना ऋण और प्राप्त होने की आशा है ; और

(घ) अब तक जो ऋण विदेशों से लिया गया है वह कुल मिला कर कितना है तथा उस पर कितना वार्षिक ब्याज देना पड़ता है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) यह हमारी आयोजनाओं का स्वीकृत लक्ष्य है।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में लगायी जाने वाली पूंजी इस परिणाम और ढंग से लगायी जायगी कि यह लक्ष्य प्राप्त हो सके।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के लिये २७ अरब रुपये की विदेशी सहायता की आवश्यकता पड़ने का अनुमान है। आयोजना में यह मान लिया गया है कि इतनी सहायता मिल जायेगी। चौथी पंचवर्षीय आयोजना के संबंध में अभी तक ठीक-ठीक अन्दाजा नहीं लगाया गया है ।

(घ) स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक मंजूर किये गये जिन ऋणों के लिये नियमित करार किये जा चुके हैं उनकी कुल रकम १७ अरब ५१ करोड़ रुपया है जिनमें पी० एल० ४८० और पी० एल० ६६५ संबंधी प्रतिरूप निधियों (काउण्टरपार्ट फंड) से रुपये के रूप में मिलने वाले ऋण भी शामिल हैं। ब्याज मंजूर की गयी कुल रकमों पर नहीं, बल्कि काम में लायी गयी रकमों पर दिया जाता है। काम में लायी गयी रकमें उन आयोजनाओं (प्रोजेक्ट) के लिये जरूरी सामान का आयात होन पर निर्भर हैं जिनके लिए सहायता मंजूर की गई हो। चूंकि इस आयात के संबंध में पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसलिये यह अनुमान लगाना भी कठिन है कि अगले कई वर्षों में कितना ब्याज देना पड़ेगा। १६६१–६२ के लिये ३१ दिसम्बर, १६६० तक काम में लायी गयी सहायता के संबंध में ब्याज की देनदारी लगभग ३४ करोड़ रुपया आंकी गयी है।

दिल्ली में विस्फोट

१६५१. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और नई दिल्ली में पटाखों के विस्फोट की घटनायें बढ़ रही हैं ;

(ख) पिछले दो वर्षों में ऐसी कुल कितनी घटनायें हुई ; और

(ग) क्या इन घटनाओं में कुछ लोगों को चोटें भी लगी हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). सन् १६५६ में पटाखों के विस्फोट की तीन घटनायें हुईं, सन् १६६० में चार और चालू वर्ष में ६ ।

(ग) इन घटनाओं में ३३ व्यक्तिओं को चोटें लगीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में रेडियो एस्ट्रोनोमी स्टेशन

†१९५२. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विभूति मिश्र :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मैहरौली दिल्ली में एक स्थायी रेडियो ऐस्ट्रानोमी स्टेशन (रेडियो ज्योतिष केन्द्र) स्थापित करने का अन्तिम रूप से फैसला कर लिया गया है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : जी हां, किन्तु ठीक स्थान अभी चुना नहीं गया है ।

खम्भात क्षेत्र में तेल नगरी

१९५३. श्री रघुनाथ सिंह : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खम्भात क्षेत्र में एक नई तेल नगरी बनाने की योजना बना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) तथा (ख). तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कैम्बे में अपने कर्मचारी वर्ग के रहने के लिये लगभग २५० क्वार्टरों की एक निवास योग्य बस्ती निर्माण करने का विचार करता है ।

रूरकेला इस्पात कारखाने में पिण्डकों का उत्पादन

†१९५४. श्री सम्पत् :
श्री प्र० चं० देव :
डा० विजय आनन्द :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला इस्पात संयंत्र में पिण्डक इस्पात का मासवार कुल कितना उत्पादन हुआ है ; और

(ख) क्या अधिकतम उत्पादन क्षमता स्थापित की जा चुकी है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) फरवरी १९६१ के अन्त तक रूरकेला इस्पात संयंत्र में इस्पात पिण्डकों का शुद्ध मासवार उत्पादन इस प्रकार हुआ है :

अप्रैल १९५९	५८
मई	२,४८०
जून	३,०३८
जुलाई	२,४३६
अगस्त	१,७६२

†मूल अंग्रेजी में

सितम्बर	३,८८०
अक्तूबर	५,२७५
नवम्बर	५,५०३
दिसम्बर	५,३१७
जनवरी १९६०	८,८१२
फरवरी	११,४०१
मार्च	१७,५४०
अप्रैल	१५,६२५
मई	१३,३६९
जून	१४,३६०
जुलाई	१५,३६०
अगस्त	१७,७२४
सितम्बर	११,३३६
अक्तूबर	१९,५७१
नवम्बर	२०,५५८
दिसम्बर	२१,७६८
जनवरी १९६१	२७,३९८
फरवरी	१९,४७०
जोड़	२६४,०४१

(ख) जी नहीं।

सरकारी कर्मचारियों के लिये मनोरंजन केन्द्र

†१९५५. श्री दी० चं० शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के लिये ऐसे क्लब खोलने का कोई प्रस्ताव है जहां वे दिन भर की थकान के पश्चात् मनोरंजन कर सकें ;

(ख) क्या इन क्लबों के साथ लगे हुये होस्टल बनाने का भी कोई प्रस्ताव है जहां अविवाहित अफसर उचित किराया आदि देकर ठहर सकें ;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) दिल्ली में ऐसे बहुत से क्लब स्थापित किये जा चुके हैं और कम्युनिटी हाल भी बनाये जा रहे हैं।

(ख) से (ग). इन क्लबों के साथ कोई होस्टल जोड़ने का विचार नहीं है किन्तु अविवाहित अफसरों के लिये दो होस्टल एक पुरुषों के लिये और दूसरा स्त्रियों के लिये——बनाने का प्रस्ताव अलग से विचाराधीन है।

†मूल अंग्रेजी में

पौंड पावना[1] में वृद्धि

†१९५६. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या हाल ही मे पौंड पावना में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो १ नवंबर, १९६० से १५ मार्च, १९६१ तक कितनी साप्ताहिक वृद्धि हुई है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). रिजर्व बैंक के पाउंड पावना में परिवर्तन हुआ है और अक्तूबर १९६० के अन्त से १० मार्च १९६१ (इस तिथि तक की सूचना उपलब्ध है) १६.१० करोड़ रुपये की शुद्ध वृद्धि हुई है। इन शेषों में साप्ताहिक परिवर्तन इस प्रकार हुआ है :—

सप्ताह[1]/समाप्ति	पाउन्ड पावना का स्तर	सप्ताह[1]/समाप्ति	पाउन्ड पावना का स्तर
२८-१०-६०	१४२.७५	६-१-६१	१४७.९२
४-११-६०	१४१.२८	१३-१-६१	१४७.४८
११-११-६०	१४१.११	२०-१-६१	१४७.४३
१८-११-६०	१३९.६३	२७-१-६१	१४७.६७
२५-११-६०	१३९.९७	३-२-६१	१४७.२६
२-१२-६०	१५१.७६[2]	१०-२-६१	१५२.४८
९-१२-६०	१५२.६२	१७-२-६१	१५७.५६
१६-१२-६०	१५५.११	२४-२-६१	१५९.५०
२३-१२-६०	१५५.५९	३-३-६१	१५७.३०
३०-१२-६०	१५१.७३	१०-३-६१	१५८.८५

[1]आकड़े प्रत्येक शुक्रवार के लिये प्रकाशित हैं।

[2]इसमें पश्चिम जर्मनी से प्राप्त १४.१८ करोड़ रुपये (डी० एम० १२५.१ लाख) सम्मिलित हैं।

अश्लील पोस्टरों का प्रदर्शन

†१९५७. श्री राम शरण : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक स्थानों पर विशेषकर संघ राज्य क्षेत्रों में अश्लील पोस्टरों के प्रदर्शन के बारे में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ;

(ख) इन कार्रवाइयों का अब तक क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) दीर्घ-कालीन नीति के रूप में सरकार इस विषय में क्या करने का विचार करती है ?

†मूल अंग्रेजी में

[1]Sterling balances.

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख) अश्लील चीजों का किसी रूप में सार्वजनिक प्रदर्शन या परिचालन एक ऐसा अपराध है जिस के लिये भारतीय दंड संहिता की धारा २९२ के अन्तर्गत दंड मिलता है, जो समूचे देश में लागू है। संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यों से भिन्न कोई विशेष समस्या नहीं है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सम्पत्ति तथा आयकर[1]

†१९५८. श्री कालिका सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे करदाताओं की संख्या कितनी है, जो संपत्ति तथा आय-कर के रूप म अपनी आय के १०० प्रतिशत से अधिक देते हैं ;

(ख) कुल करदाताओं की संख्या के मुकाबले में ऐसे करदाताओं की संख्या कितने प्रतिशत है ; और

(ग) उपरोक्त करों की कुल राशि की आय के १०० प्रतिशत से अधिक जो कर हैं उन की राशि का मूल्य कितने प्रतिशत है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है । यह प्राप्त की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

आयुध प्रतिष्ठानों के असैनिक अफसरों के वेतन क्रम

†१९५९. श्री स० मो० बनर्जी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध फैक्टरियों के महानिदेशालय में काम करने वाले तथा आयुध प्रतिष्ठानों के असैनिक अफसरों के नये वेतन क्रम निर्धारित किये जा चुके हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन्हें शीघ्रतापूर्वक अन्तिम रूप दिये जाने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) से (ग). भारतीय आयुध फैक्टरी सेवा की पदालि के पुनर्गठन तथा आयुध फैक्टरियों के महानिदेशालय के अफसरों के बेहतर वेतन क्रमों संबंधी प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । निर्णय में शीघ्रता करने के लिये प्रत्येक संभव प्रयत्न किया जा रहा है ।

अध्ययन छुट्टी पर विदेशों में सरकारी कर्मचारी

†१९६०. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अध्ययन छुट्टी ले कर अमरीका और इंग्लैण्ड में पृथक २ कितने सरकारी कर्मचारी गये हुए हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Wealth and Income Taxes.

(ख) उन में से कितने लोग अपने खर्च पर तथा उनको मिल सकने वाली छुट्टी पर वहां गये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वर्ग ४ के कर्मचारी

†१६६१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १६५५ में और उस के पश्चात् केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वर्ग ४ में वरिष्ठता निश्चित करने के लिये क्या मापदंड अपनाया गया है ;

(ख) किस आधार पर उन लोगों को जो १-१-१६५८ को सरकारी नौकरी में नहीं थे, उन लोगों से वरिष्ठ बना दिया गया है जो उस तिथि को हाल में प्रकाशित की गई केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड ४ की सिविल लिस्ट में स्थायी पदों पर थे ;

(ग) क्या सरकार को विदित है कि वरिष्ठता निर्धारण के सिद्धान्त में परिवर्तन से बहुत बड़ी संख्या में प्रभावित व्यक्तियों को अत्यधिक निराशा हुई है जो उस ग्रेड में सात वर्षों से अधिक समय में काम कर रहे थे, क्योंकि उनको उन लोगों से वरिष्ठ घोषित कर दिया गया है जो उन से ७ वर्ष बाद सरकारी नौकरी में आये ; और

(घ) यदि हां, तो उनके कष्ट को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). स्थिति को बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७०]**.

जम्मू और काश्मीर के लिये स्टेनलैस स्टील का कोटा

†१६६२. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५६-६० तथा १६६०-६१ में अब तक जम्मू औद्योगिक बस्ती में कितने लोगों को स्टैनलैस स्टील का कोटा आवंटित किया गया है ;

(ख) क्या ये लोग मंजूर किये गये कोटे का उपयोग करने में सफल रहे हैं ; और

(ग) यदि नहीं तो मंजूर कोटे का और किस प्रकार उपयोग किया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) दो ।

(ख) तथा (ग). इन फर्मों को ५२ टन स्टेनलैस स्टील की चादरें दी गई हैं और उन लोगों ने सब माल उठा लिया है । माल जम्मू और काश्मीर सरकार के उद्योग तथा वाणिज्य निदेशक की सिफारिश पर आवंटित किया गया है और ये उद्योग उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अन्दर है । इस बात का निश्चय करना कि उपरोक्त इकाइयों को

---

†मूल अंग्रेजी में

दिये गये माल का उचित उपयोग किया जाता है, यह राज्य के प्राधिकारियों का काम है। हमें इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि विभिन्न फर्मों ने कितने इस्पात का वास्तव में उपयोग किया है।

हिन्दी विश्व कोष

†१९६३. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री आसर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने यह सुझाव दिया है कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा तैयार किये जा रहे हिन्दी विश्वकोष में रोमन अंकों का प्रयोग किया जाये ;

(ख) क्या जनता के एक बहुत बड़े भाग ने इस सुझाव का विरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी को यह हिदायत भेजी गयी है कि वे हिन्दी विश्वकोष में प्रविधिक लेखों तथा रसायनिक सूत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग करें।

(ख) और (ग). जी, नहीं। प्रैस में केवल कुछ एक ही आलोचनायें छपी हैं और उन पर विचार किया जा रहा है।

बाल कल्याण कार्यक्रम

†१९६४. श्री प्र० चं० बरुआ क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के प्रत्येक वर्ष में बाल कल्याण कार्यक्रम पर कितनी राशि खर्च की गई थी ;

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसके लिये कितनी राशि आवंटित की गयी है ; और

(ग) देश में बाल कल्याण कार्य के क्षेत्र में इस समय कितनी स्वयंसेवी संस्थायें हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेल यात्रियों पर सीमा-कर

†१९६५. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे यात्रियों पर सीमा कर लगाने के सम्बन्ध में कोई सुझाव था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसे उचित नहीं समझती और यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) उक्त प्रस्थापित कर की दर क्या थी ; और

(घ) उस कर से कितने अतिरिक्त राजस्व की आशा थी ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). कराधान जांच आयोग, १६५३–५४ ने रेलवे यात्रियों पर सीमा कर लगाने के सम्बन्ध में सिफारिश की थी परन्तु उसे लागू नहीं किया गया क्योंकि १६५७ में रेलवे किरायों पर कर लगा दिया गया था ।

(ग) और (घ). कराधान जांच आयोग ने यह सिफारिश की थी कि १५० मील तथा उससे अधिक दूरी से यात्रा करने वाले यात्रियों पर उन शहरों में, जहां की आबादी ५ लाख से अधिक है, कर लगाया जाये और इस प्रकार से प्राप्त राशि स्थानीय प्राधिकारों को बांट दी जाये । आशा यही है कि किसी भी स्थानीय प्राधिकार को कुछ हजार रुपयों से अधिक प्राप्त नहीं होते ।

हिन्दी में नियम संहितायें

१६६६. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के सब मंत्रालयों और विभागों की अपरिनियत नियम-संहिताओं और साहित्य का हिन्दी अनुवाद करने में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा अब तक क्या प्रगति की गई है ; और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा होने की आशा है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) पहले २१ असांविधिक नियम-पुस्तकों, नियमावलियों आदि, और २५० फार्मों का हिन्दी में अनुवाद करने का काम शुरू किया गया है । इनमें से १० नियम-पुस्तकों और १६६ फार्मों का अनुवाद हो चुका है । शेष नियम-पुस्तकों, फार्मों आदि के अनुवाद का काम जारी है ।

(ख) वर्तमान अनुमान के अनुसार नियम-पुस्तकों और अन्य नियमावलियों के ८४,००० पृष्ठों का अनुवाद हिन्दी में करना होगा । इस मंत्रालय को सौंपे गये इस अनुवाद कार्य के अधिकतर अंश को समाप्त करने की अन्तिम लक्ष्य-तिथि अप्रैल, १६६३ है ।

हिन्दी में पत्र

१६६७. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और उनके संलग्न कार्यालयों में वर्ष १६६० की दूसरी छमाही में हिन्दी में कुल कितने पत्र प्राप्त हुए;

(ख) उन में से कितने पत्रों के उत्तर हिन्दी में और कितने पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिये गये ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या हिन्दी में प्राप्त होने वाले सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में देने का प्रबन्ध कर दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय लोक सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

(ग) यह प्रयत्न किया जा रहा है कि जनता से प्राप्त हुये सभी हिन्दी पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाय ।

लोहे की नालीदार चादरें

†१९६८. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर की पिछड़ी जातियों सम्बन्धी योजना के अधीन आदिम जातियों के लिये राजकीय सहायता प्राप्त आवास योजना के अधीन जारी की गई लोहे की जालीदार चादरों का दुरुपयोग किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या अनियमितताओं और दुरुपयोग के विशेष मामलों के बारे में कोई रिपोट मिली है और क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्य वाही की गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

आम हड़ताल के दौरान राज भक्त सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं को मान्यता देना

†१९६९. **श्री कुम्भार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से उन सरकारी कर्मचारियों को कोई मान्यता दी है जिन्होंने पिछली आम हड़ताल के दौरान राजभक्ति से सेवा की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें किस प्रकार से और किस रूप में मान्यता दी थी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) उन कर्मचारियों के आचरण रजिस्टरों में इस सम्बन्ध में विशेष रूप से नोट कर दिया गया है, जो कि उस अवसर पर भी शान्ति से अपने काम में संलग्न रहे जब कि कुछ अन्य कर्मचारी हड़ताल पर थे। तीसरी श्रेणी और चौथी श्रेणी के उन कर्मचारियों को, जो कि विपरीत अवस्थाओं में भी राज भक्ति से अपने कार्य में लगे रहे या जिन्होंने अपने कर्त्तव्य के प्रति अत्यधिक श्रद्धा दिखाई है उन्हें रुपये के रूप में इनाम भी दिये गये हैं। .

आसाम के जेलों में कैदियों पर खर्च

†१९७०. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २३ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न सख्या २३३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने यह सूचित कर दिया है कि आसाम के जेलों में कैदियों के संधारण पर कितना खर्च किया जा रहा है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस खर्च के आंकड़े क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). आसाम सरकार ने अभी तक १०२८३ रुपयों का विकलन किया है और मनीपुर प्रशासन ने उसे मंजूर कर लिया है। संभवतः राज्य सरकार द्वारा कुछ और भी विकलन किया जायेगा। परन्तु कुल राशि तब तक नहीं बतायी जा सकती जब तक कि आसाम सरकार से उन कैदियों के खर्च के बारे में सूचना प्राप्त नहीं हो जाती जिन्हें कि आसाम की जेलों में भेजा गया था।

मनीपुर के नागा क्षेत्र में जनगणना

†१९७२. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मनीपुर के उन नागा क्षेत्रों में जनगणना सम्बन्धी कार्य नियमित रूप से हुआ है, जहां की अवस्था अशान्त थी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : जी, हां। परन्तु तामेंगलांग सबडिवीजन के छोटे छोटे क्षेत्रों में विद्रोहियों द्वारा किये जा रहे हस्तक्षेप के कारण यहां जनगणना के कार्य को निलम्बित कर देना पड़ा है, परन्तु आशा है कि शीघ्र ही वहां यह कार्य पूरा कर दिया जायेगा।

जम्मू तथा काश्मीर में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

†१९७३. **शेख मुहम्मद अकबर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जम्मू तथा काश्मीर राज्य की अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े हुये वर्गों के कल्याण सम्बन्धी कार्यों पर कितनी राशि खर्च की थी और तृतीय योजना काल में इस पर कितनी राशि खर्च करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से लेकर दिसम्बर, १९६० के अन्त तक जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े हुये वर्गों के कल्याण की योजनाओं पर २४.७६ लाख रुपये खर्च किये थे। इनमें से भारत सरकार द्वारा १३.१५ लाख रुपये खर्च किये गये हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये इन जातियों के कल्याण सम्बन्धी योजना के लिये २६.०० लाख रुपयों की राशि मंजूर की गई है और राज्य क्षेत्र की योजनाओं पर होने वाले खर्च को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबर बराबर वहन किया जायेगा और केन्द्रीय योजनाओं के खर्च को पूर्णतया केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

मध्य प्रदेश में आदिम जातियों का पुनर्वास

†१९७४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में निरधिसूचित (डिनोटिफाइड) आदिम जातियों के पुनर्वास के लिये कोई योजना बनायी है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) और (ख). राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सैनिक इंजीनियरी सेवा विभाग में आदर्श नियम

†१९७५. **डा० मेलकोटे** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में सैनिक इंजीनियरिंग सेवा (एम० ई० एस०) विभाग में आदर्श नियम लागू होने के बाद कितने असैनिक डाक्टरों को अतिरिक्त घोषित कर दिया गया था ;

(ख) क्या इन डाक्टरों को, जिन्हें अतिरिक्त घोषित कर दिया गया था, विभिन्न प्रतिरक्षा संस्थापनों में अन्य विभागों में इसी सरकार के रिक्त स्थानों पर नियुक्त कर दिया गया है।

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि असैनिक डाक्टरों को अतिरिक्त घोषित करते समय कनिष्ठ व्यक्तियों को अभी तक सेवा में रखा हुआ है, जब कि वरिष्ठ अर्धस्थायी असैनिक डाक्टरों को नौकरी से निकाल दिया गया है, और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) एक।

(ख) और (ग) प्रतिरक्षा संस्थापनों के असैनिक डाक्टरों के रिक्त स्थान, जो कि उस समय उपलब्ध थे जब कि उक्त डाक्टर अतिरिक्त घोषित किया गया था, नियमों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने थे, इसलिये वे काम दिलाऊ दफ्तर को सौंप दिये गये थे।

(घ) उक्त डाक्टर विशेष रूप से गैरिजन इंजीनियरिंग परियोजना डिवीजन अम्बाला के अधीन परियोजनाओं के लिये भर्ती किया गया था और वह उसी स्थान पर आखिर तक काम करता रहा और क्योंकि वह एक अर्ध स्थायी कर्मचारी था, इसलिये उसे नौकरी से अलग करने से पहले तीन महीनों का नोटिस दिया गया था। इसलिये अन्य असैनिक कर्मचारियों की तुलना में उसकी वरिष्ठता का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

उड़ीसा में राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को शिक्षा संबंधी वृत्तिकाओं का दिया जाना

†१९७६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में उड़ीसा के राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी वृत्तिकाएं तथा छात्र वृत्तियां देने सम्बन्धी योजना की कार्यान्विति के लिये उड़ीसा को दी जाने वाली राशि मंजूर कर दी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मंजूर की गई है ;

(ग) इस योजना के अधीन उड़ीसा में कितने राजनीतिक पीड़ितों के बच्चे इस समय छात्र वृत्तियां और वृत्तिकायें प्राप्त कर रहे हैं; और

(घ) उनके जिलावार आंकड़े क्या हैं।

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (घ). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) और (ख). १९६०-६१ और १९६१-६२ के लिये अभी तक कोई भी राशि मंजूर नहीं की गई है, क्योंकि भारत सरकार की ओर से अनुदान उस समय मंजूर किया जाता है जब कि वास्तविक खर्च का विवरण प्राप्त हो जाता है ।

(ग) और (घ). उड़ीसा राज्य में यह योजना १९५९-६० में प्रारम्भ की गई थी और राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार उस वर्ष जिलावार कितने विद्यार्थियों को वृत्तिकायें दी गई हैं उनका ब्योरा निम्नलिखित है :—

क्रम संख्या	जिला	विद्यार्थियों की संख्या
१	बालासोर	३०
२	कटक	२४
३	धेकानाल	८
४	गंजम	५
५	कोंझार	१
६	कोरापुट	१
७	मयूरभंज	१
८	पुरी	१३
९	सम्बलपुर	४
	कुल	८७

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि १९६०—६१ में छात्रवृत्तिकायें प्राप्त करने वालों की संख्या के बारे में अभी तक तय नहीं किया गया है ।

कैलाशहर (त्रिपुरा) में सब-रजिस्ट्रार

†१९७७. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सब-रजिस्ट्रार के अभाव के कारण त्रिपुरा के कैलाशहर के लोगों को बड़े कष्टों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि कैलाशहर का सब-ट्रेजरी अफसर अपने कार्य के अतिरिक्त सब-रजिस्ट्रार का काम भी कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का कैलाशहर में सब-रजिस्ट्रार को नियुक्त करने का कोई विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में बच्चों का खो जाना

†१९७८. **श्री राम गरीब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी तथा फरवरी, १९६१ में दिल्ली/नई दिल्ली से निम्नलिखित आयु वर्गों के ऐसे कितने बच्चों के बारे में सूचना मिली है जो कि खो गये या जो बिना इजाजत के ही घर से निकल गये थे और अभी तक उन का पता नहीं मिला है :—

(१) ३ से ११ वर्ष तक

(२) ११ से १९ वर्ष तक ;

(ख) ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता लगा है ; और

(ग) खोये हुए बच्चों की खोज के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

	जनवरी, १९६१		फरवरी, १९६१	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
(१) ३ से ११ वर्ष तक के	१५३	९६	५३	१५
(२) ११ से १९ वर्ष तक के	५२	८	५०	१

(ख) ४३८ में से ४०९ ।

(ग) दिल्ली सी० आइ० डी० की अपराध शाखा का लापता व्यक्तियों का पता लगाने के दस्ते सक्रियता से खोज कर रहे हैं। दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशनों तथा पुलिस पोस्टों को विशेषरूप से सचेत कर दिया गया है और खोये हुए बच्चों के सम्बन्ध में पूरे ब्योरे 'दैनिक अपराध समाचार बुलेटन' से प्रकाशित कर दिये गये हैं। दिल्ली अपराध गुप्त गजेट में उनकी फोटो भी छपवा दी गयी है। इन सभी स्थानों से पूछ ताछ की जा रही है जहां उनके जाने की संभावना हो सकती है ।

पंजाब में तम्बाकू की अनधिकृत खेती

†१९७९. **श्री राम गरीब** : क्या **वित्त** मंत्री ३ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित मामलों का पता लगा लिया गया है और यदि हां, तो प्रत्येक अपराधी पर क्या जुर्माना लगाया गया है और प्रत्येक मामले में लगभग कितनी कीमत की फसल थी ;

(ख) क्या उन अपराधियों से कोई शुल्क भी लिया गया है और यदि हां तो प्रत्येक अपराधी से किस दर से शुल्क लिया गया है ; और

(ग) क्या उक्त अपराधियों में से कुछ अपराधियों का १९५९ में भी पता लगा था और यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) उक्त अतारांकित प्रश्न संख्या २३१ के उत्तर में उल्लिखित मामलों की केन्द्रीय उत्पादन कर्मचारियों द्वारा खोज की गयी थी। प्रत्येक मामले में की गयी खेती और उस पर लगाये गये दण्ड के सम्बन्ध में आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

क्रम संख्या	जिला	प्रत्येक मामले में फसल (पौंडों में)	प्रत्येक मामले में लगाया गया जुर्माना (रुपयों में)
	गुरुदासपुर		
१		१८४	५
२		८०	५
३		११२	५
४		२४००	२०
५		१०००	१५
६		१८०	५
	कांगड़ा		
७		८०	२०

(ख) सभी अपराधियों से शुल्क ४७ नये पैसे (मूल) और ३ नये पैसे (अतिरिक्त) प्रति पौंड के हिसाब से लिया गया है।

(ग) जी, नहीं। अतः प्रश्न का परवर्ती भाग उत्पन्न ही नहीं होता।

मनमाड के निकट ताम्बे के निक्षेप

†१९८०. **श्री पांगरकर :**
श्री गु० क० जेधे :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में **मनमाड से** २५ मील की दूरी पर रामखेड़े नामक गांव के निकट तांबे के निक्षेप पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**खान और तेलमंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) भारत सरकार को इस बारे में ज्ञात नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नागा विद्रोहियों द्वारा चलती गाड़ी पर गोली चलाया जाना

†१९८२. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १० फरवरी, १९६१ को नागा विद्रोहियों द्वारा एक चलती गाड़ी पर गोली चलाने के परिणामस्वरूप दो सैनिक घायल हो गये थे ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: (क) और (ख). १४ फरवरी, १९६१ को नागा विद्रोहियों द्वारा सैनिकों की एक विशेष गाड़ी पर गोली चलाने के परिणामस्वरूप दो सैनिक घायल हुए थे ;

१०. फरवरी को ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी ।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

†१८८३. **श्री प्र० च० बरुआ :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ा देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो कितना;

(ग) इससे किस-किस श्रेणी के कर्मचारियों को लाभ होगा; और

(घ) यह किस तिथि से लागू होगा ?

†**वित्त मंत्री श्री (मोरार जी देसाई)**: (क) से (घ). ७ मार्च, १९६१ को जीवन बीमा निगम और उसके कर्मचारी संघों में हुए अस्थायी निर्णय के अनुसार निगम के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को १ अप्रैल, १९६० से १५ रुपये महीने के हिसाब से महंगाई भत्ते में वृद्धि मिलेगी ।

मद्रास राज्य की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का उत्थान

†१९८४. **श्री इलयापेरूमाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में मद्रास राज्य की अनसूचित जातियों के उत्थान के लिये मद्रास सरकार को कितनी राशि दी गयी थी;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). जानकारी निम्नलिखित है :—

द्वितीय योजना काल के लिये आवंटित राशि			३१ दिसम्बर, १९६० तक खर्च की गई राशि		
राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	कुल	राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	कुल
†३५३.१० लाख रुपये	८१.१६ लाख रुपये	४३४.२६ लाख रुपये	*२५२.९० लाख रुपये	७१.८३ लाख रुपये	३२४.७३ लाख रुपये

(ग) प्रश्न नहीं उत्पन्न नहीं होता ।

†मूल अंग्रेजी में

*इनमें राज्य सरकार का ५० प्रतिशत खर्च का अंश भी सम्मिलित है ।

मद्रास में शिक्षित बेरोजगारों की सहायता

†१९८५. **श्री इलयापेरूमाल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षित बेरोजगारों की सहायता और प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की योजना के अधीन १९६०–६१ में अब तक मद्रास राज्य सरकार को कितने नये शिक्षक दिये गये; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए १९६०–६१ में मद्रास सरकार को कितनी धनराशि दी गयी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) १५०० शिक्षक।

(ख) ३९.५२ लाख रुपये ।

मद्रास में बुनियादी शिक्षा

†१९८६. **श्री इलयापेरूमाल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में बुनियादी शिक्षा की उन्नति के लिए मद्रास राज्य को कितनी रकम दी गयी थी; और

(ख) उसी अवधि में उस राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिए अब तक कितनी रकम खर्च की ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) भारत सरकार राज्य सरकारों को दूसरी योजना के अन्तर्गत उनकी प्रत्येक योजना के लिए केन्द्रीय सहायता नहीं देती। संपूर्ण योजना अवधि के लिए कुल अधिकतम सीमा के अन्तर्गत राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्य के वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार करने होते हैं। स्वीकृत खर्च के ६० प्रतिशत की दर से केन्द्रीय सहायता बुनियादी शिक्षा संबंधी योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को दी जा सकती है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में १९५६–५७ और १९५७–५८ में बुनियादी शिक्षा की उन्नति के लिए मद्रास को निम्नलिखित अनुदान मंजूर किये गये थे :—

१९५६–५७ . .	३.७८ लाख रुपये
१९५७–५८ . .	६.६९ लाख रुपये

१९५८–५९ और १९५९–६० के लिए अनुदान प्रत्येक क्षेत्र जैसे प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा और अन्य योजनाओं, के अनुसार दिये गये थे और अलग से अलग-अलग योजनाओं के लिए नहीं। १९६०–६१ में अनुदान संपूर्ण 'शिक्षा' के लिए दिये जा रहे हैं। इसलिए १९५८–५९ से आगे 'बुनियादी शिक्षा' के संबंध में अलग-अलग आंकड़े देना संभव नहीं है।

(ख)	१९५६–५८	३.७८ लाख
	१९५७–५८	६.६९ लाख

---

†मूल अंग्रेजी में

जैसा कि ऊपर बताया गया है, दूसरी योजना के बाकी वर्षों के संबंध में यह जानकारी देना संभव नहीं है।

उड़ीसा में जमीन

†१९८७. **श्री कुम्भार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार १९५६ से ऐसी किसी योजना पर विचार कर रही है कि राज्य में गांव के चौकीदारों और झंकारों को उनकी सेवाओं के उपलक्ष्य में दी गयी खेती वाली जमीनों (छकरन भूमि) को उनके नाम में स्थायी रैयतवाड़ी जमीनों में बदल दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो इन जमीनों को रैयतवाड़ी जमीनों में किस तरह बदला जायगा;

(ग) इस योजना के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) इस योजना के बारे में निर्णय करने में इतनी देर के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). उड़ीसा सरकार ने ग्रामीण पुलिस संगठन के प्रश्न की छानबीन करने के लिए १९५६ में एक चौकीदारी जांच समिति नियुक्त की थी। १९५७ में उसने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें समिति ने यह सिफारिश की थी कि चौकीदार को इनाम में जागीर देने की प्रथा समाप्त कर दी जाये और उनके पास जागीर की जमीनों पर लगान आंका जाये और उसे वसूल किया जाये।

(ग) सिफारिशों पर अभी विचार हो रहा है।

(घ) इस सिफारिश में ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन की विद्यमान व्यवस्था का पूरा पुनर्गठन है। इस योजना की वित्तीय, प्रशासनिक तथा अन्य बातों तथा इस विषय में उपयुक्त विधान बनाने के प्रश्न पर छानबीन की जा रही है।

लाजपतनगर (दिल्ली) में उच्छृंखल लड़कों का व्यवहार

†१९८८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाजपत नगर, नई दिल्ली में उच्छृंखल लड़कों ('टेडी बॉय') के व्यवहार से पुलिस के सामने एक नयी प्रकार की समस्या पैदा हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी है या की जाने वाली है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

केन्द्रीय शिक्षा संस्था में हिन्दी

१९८९. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय शिक्षा संस्था में हिन्दी भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए क्या ठोस कदम उठाये गये हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) गत तीन वर्षों में पुस्तकों के प्रकाशन और संस्था के लिए पुस्तकें खरीदने पर कितना व्यय हुआ;

(ग) क्या हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) बी० ए० कक्षा में जो विषय पढ़ाये जाते हैं उनमें एक विषय हिन्दी पढ़ाने की विधि भी है। संस्थान में एक हिन्दी साहित्य समाज और एक हिन्दी नाट्य मंडली भी है।

(ख) ३,०६० रुपये ।

(ग) और (घ). केन्द्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय का एक अंगीभूत कालेज है और उसे विश्वविद्यालय से तालमेल रखते हुए काम करना पड़ता है। इसलिए विश्वविद्यालय में दूसरे पाठ्यक्रमों के लिए जिस गति से हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाया जायेगा उस पर ही संस्थान में हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाना निर्भर होगा।

प्रयोगात्मक नर्सरी में अनुसंधान

१६६०. श्री जगदीश अवस्थी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय शिक्षा संस्था के अधीन प्रयोगात्मक नर्सरी और बुनियादी शिक्षा में पिछले तीन वर्षों में क्या-क्या अनुसन्धान किये गये हैं और उनसे क्या लाभ होने की संभावना है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में उन पर कितना व्यय हुआ है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) निम्नलिखित विषयों का अध्ययन किया गया है :

(१) बच्चों को समाज के अनुकूल बनाने के लिए प्रारम्भिक कार्य;

(२) भौतिक कारणों के सम्बन्ध में बच्चों की व्याख्या का गुणात्मक विश्लेषण;

(३) केन्द्रीय शिक्षा संस्थान बनियादी स्कूल के बच्चों की योग्यता का दिल्ली के दूसरे स्कूलों के बच्चों की योग्यता से तुलना; और

(४) व्यक्तिगत दैनिक समस्याओं का हल मालूम करने के लिए विविध प्रकार की छोटी कार्य अनुसन्धान प्रायोजनायें। इनसे बालक के विकास की प्रक्रियाओं को समझने में अध्यापकों को सहायता मिलेगी।

(ख) प्रकाशन पर १,८६४ रुपये ।

पहाड़ी क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों को प्रतिकरात्मक भत्ता (कम्पेन्सेटरी अलाउंस)

†**१६६१.** **श्री शि० न० रामौल :**
श्री आचार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसी किसी योजना पर विचार कर रही है कि हिमाचल प्रदेश के सभी पहाड़ी इलाकों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पंजाब राज्य के निकटवर्ती क्षेत्रों

---

†मूल अंग्रेजी में

में काम करने वालों के बराबर प्रतिकरात्मक भत्ता (कम्पेन्सेटरी अलाउंस) दिया जाये और उस भत्ते को सुसंगत बनाया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में निर्णय हो चुका है; और

(ग) कौन-कौन से नये क्षेत्रों में यह लाभ दिया जायगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). चीनी और पांगी क्षेत्रों में काम करने वाले हिमाचल प्रदेश प्रशासन के कर्मचारि ों को दिये जाने वाले प्रतिकर की दरें बढ़ा दी गई हैं और वे दरें लाहौल और स्पीति में काम करने वाले पंजाब सरकार के कर्मचारियों को दी जाने वाली दरों के बराबर कर दी गयी हैं। कुछ दूसरे क्षेत्रों में दिये जाने वाले क्षतिपूर्ति भत्ते की दरों को सुसंगत बनाने और जिन इलाकों में भत्ता नहीं दिया जाता है वहां कुछ आवश्यक परिवर्तन करने के प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

†**श्री हेम बरूआ** (गोहाटी) : श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि एक मंत्री महोदय पूछे जाने पर वास्तविक स्थिति न बतायें तो क्या वह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बन जाता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं बार-बार सभा में बता चुका हूं कि कोई भी प्रश्न विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बन जाता है यदि उसका सम्बन्ध मंत्री महोदय के वक्तव्य से हो। मैं उन्हें बता चुका हूं कि उनकी बात मंत्री महोदय तक पहुंचाई जायेगी और यदि वह समझेंगे कि उन्होंने एक ग़लत बात बता दी है तो उसको ठीक कर देंगे। इस में विशेषाधिकार का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

पुनर्वास वित्त प्रशासन के लेखा परीक्षित लेखे

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : मैं पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम, १९४८ की धारा १६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत ३१ दिसम्बर, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पुनर्वास वित्त प्रशासन के लेखे की एक प्रति उस पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन सहित सभा पटल पर रखती हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—२७५३/६१]**

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : (१) मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह संदेश मिला है कि इन विधेयकों के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है :—

१. विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६१

२. वनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९६१

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह संदेश मिला है कि लोक-सभा द्वारा ६ मार्च, १९६१ को पारित बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक, १९६१ को राज्य-सभा ने अपनी १६ मार्च, १९६१ की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : मैं चालू सत्र में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा १४ फरवरी, १९६१ को लोक-सभा में की गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त विनियोग विधेयक १९६१ सभा पटल पर रखता हूं।

ताम्बरम के निकट विमान दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : श्रीमान्, बड़े दुःख के साथ सभा को सरकार द्वारा यह सूचना दी जाती है कि भारतीय वायु सेना का एक 'हरवर्ड' विमान १२ मार्च १९६१ को ताम्बरम के दक्षिण में ४० मील पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह विमान प्रशिक्षण उड़ान के लिए मद्रास सहायक वायु सेना को दिया गया था। विमान के चालक सहायक वायु सेना के फ्लाइंग आफीसर गनेशन थे। सहायक वायु सेना के एक और फ्लाइंग आफीसर इसके दूसरे चालक थे।

जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं। इस समय यह तो पता नहीं लगा है कि दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई थी परन्तु जो तथ्य मालूम हैं उनसे पता लगता है कि दुर्घटना से कुछ समय पूर्व विमान के इंजन में गड़बड़ी हो गई थी। जांच हो जाने के बाद पूरे तथ्यों का पता लगेगा। उड़ान करने से पूर्व विमान की सभी आवश्यक जांच कर लीं गई थी।

विमान की गड़बड़ी का पता लगने पर चालकों को यह मालूम हो गया होगा विमान को ऊंचाई पर नहीं रखा जा सकता है। फ्लाइंग आफीसर गनेशन ने दूसरे चालक फ्लाइंग आफीसर राम मोहन को आदेश दिये कि वह पैराशूट के द्वारा विमान से कूद पड़े। वह विमान से कूद गये।

विमान के कप्तान फ्लाइंग आफीसर गनेशन ने गांव वासियों की सुरक्षा के लिए सभी संभावित प्रयत्न किये कि विमान रहने के स्थानों से दूर चला जाए। वह अपना जीवन खतरे में डाल कर ही ऐसा कर पाये। विमान काजू के एक खेत में उतरा और इस प्रकार गांव वासी बच सके परन्तु चालक को गहरी चोटें आईं। उनके सिर में बहुत चोटें थीं जब उनको जीवित उठाया गया। आस पास के गांव वासियों ने विमान की हालत देख ली थी और वह उस स्थान पर आ गये थे। उन्होंने उनको उठाया। फ्लाइंग आफीसर ने गांव वासियों से पूछा कि गांव में किसी के चोट आई है अथवा नहीं। जब उनको यह बताया गया कि किसी भी व्यक्ति के चोट नहीं लगी है और दूसरे चालक ठीक जमीन पर उतर गये हैं, तब उनका देहान्त हो गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कृष्ण मेनन]

फ्लाइंग आफीसर गनेशन ने एक बहादुर योद्धा के समान अपनी जान दी क्योंकि वह जानते थे कि विमान को गांव से बाहर वह खतरा उठा कर ही ले जा सकते हैं। सहायक वायु सेना का एक बहादुर तथा योग्य चालक नहीं रहा तथा भारतीय वायु सेना का एक युवक रंगरूट नहीं रहा। फ्लाइंग आफीसर गनेशन की उसके सभी तारीफ करते थे और उनमें नेतृत्व करने की क्षमता थी। उनके पिता जी जीवित हैं जो स्व ं भी सरकारी कर्मचारी हैं। फ्लाइंग आफीसर गनेशन की आयु इस समय २५ वर्ष थी परन्तु सहायक वायु सेना को उन पर अभिमान है क्योंकि उन्होंने वायु सेना की प्रतिष्ठा के अनुसार अपना कर्त्तव्य निभाया।

सरकार यह समझती है कि सभा इस बहादुर आफीसर के कर्त्तव्य पालन की सराहना करेगी क्योंकि फ्लाइंग आफीसर गनेशन सहायक वायु सेना में इसलिए सम्मिलित हुए थे कि जिससे अवसर आने पर वह देश की सेवा कर सकें।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि सभा फ्लाइंग आफीसर गनेशन की बहादुरी की प्रशंसा करेगी और उनके परिवार के प्रति समवेदना प्रकट करेगी।

बीमा (संशोधन) विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा में अब १७ मार्च, १९६१ को श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा होगी :

"कि बीमा अधिनियम, १९३८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : उस दिन मैं बता रही थी कि भारतीय बीमा व्यवसाय का विदेशी समवायों में पुनः ीमा होने के कारण देश को बहुत नुकसान हो रहा है। प्रत्येक वर्ष विदेशी समवायों में धन का पुनः बीमा होने के कारण विदेशों को बड़ी धनराशि देनी पड़ती है और इस प्रकार विदेशी मुद्रा की हानि होती है। ये समवाय भारत सरकार को आय-कर भी नहीं देते हैं। केवल अपनी सरकार को कर देते हैं। इसीलिए सरकार ने इस विधेयक को प्रस्तुत करना आवश्यक समझा। सभा मेरी इस बात से सहमत होगी कि यदि हमारे देश में ही पुनः बीमा होने लगे तो उससे देश को बड़ा लाभ होगा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

कुछ ऐसा मालूम होता है कि भारत के बीमा समवाय एक दूसरे का विश्वास नहीं करते हैं और इसीलिए अपने बीमा व्यवसाय का कुछ अंश दूसरे समवाय को नहीं देना चाहते हैं। ऐसा स कारण से होता है कि समवायों को यह डर होता है यदि वह अपने व्यवसाय का पुनः बीमा दूसरे समवाय से कराते हैं तो थोड़ी अवधि में कहीं यह दूसरा समवाय सारा व्यवसाय ही अपने हाथ में न ले ले। इसी कारण से पुनः बीमा व्यवसाय एक सीमित सीमा तक ही हो पाता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक समवाय केवल पुनः बीमा करने के लिए ही बनाया जाये जिससे व्यवसाय छीनने का जो भय होता है वह समाप्त हो जाये। सरकार इस स्थिति को पहले ही समझ चुकी थी और इसीलिए भारतीय पुनः बीमा निगम बनाया गया था जो १९५७ से काम कर रहा है। सरकार ने अपना प्रभाव दिखाया और भारत के भारतीय तथा अभारतीय

---

†मूल अंग्रेजी में

सभी समवायों को बाध्य किया कि वह अपने व्यवसाय का ५ से १० प्रतिशत व्यवसाय इस पुनः बीमा समवाय को दे दें। मैं समझती हूं कि अब इस समवाय की जड़ें मजबूत हो गई हैं क्योंकि प्रत्येक वर्ष इसको निश्चित व्यवसाय मिल जाता है। तीन वर्ष समाप्त हो जाने के बाद और सामान्य बीमा के विस्तार के साथ यह उचित समझा गया कि दूसरा पुनः बीमा समवाय बनाया जाये। इसीलिए जीवन बीमा निगम के सहायक के रूप में एक भारतीय गारंटी तथा सामान्य बीमा समवाय १९६० में बनाया गया। यह प्रयत्न किये गये कि बीमा समवाय पहले के समान ही इस दूसरे पुनः बीमा समवाय को व्यवसाय दें। मुझे खेद के साथ बताना पड़ता है कि सरकार को इस बार सफलता नहीं मिली। मैं नहीं जानती कि भारत में काम करने वाले बीमा समवायों ने किन कारणों से हमारे इस काम में सहयोग नहीं दिया। कारण चाहे जो भी हों, हमें तो देश का हित ही देखना है और सही कदम उठाना है। वाणिज्य तथा उद्योग के विकास तथा हमारी योजना के विस्तार के साथ साथ सामान्य बीमा का विस्तार हो रहा है। इसलिए आवश्यक है कि भारत में इस व्यवसाय का इस प्रकार संचालन किया जाये कि देश की आर्थिक स्थिति सुधारने में इसका भी सहयोग मिल सके।

इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि पुनः बीमा समवायों की स्थिति सुधार कर पुनः बीमा व्यवसाय का विकास किया जाये। हमारा विचार सभी समवायों से भारतीय व्यवसाय का उचित अंश लेकर एक दूसरा पुनः बीमा समवाय बनाया जाये। भारत के सभी पुनः बीमा समवायों को यदि अंश मिलने लगेगा तो यह बड़ी सुन्दरता से फलने फूलने लगगी। परन्तु हमें इसका ध्यान अवश्य रखना होगा कि यह पुनः बीमा समवाय आपस में प्रतिस्पर्धा न कर बैठे। हमें इसका भी ध्यान रखना होगा कि इनका व्यवसाय ठोस आधार पर बढ़े। हमारे पुनः बीमा समवायों की शक्ति इतनी बढ़नी चाहिए जिससे वह विदेशों से भी व्यवसाय ले सकें।

अब मैं एक दूसरी बात भी बताती हूं। कुछ ऐसे देश भी हैं जिनमें यह व्यवसाय नहीं है अर्थात् जिनकी स्थिति हमारे समान ही है। इन देशों में भी पुनः बीमा अधिकांशतः विदेश ही करते हैं और इनके लिए भी आवश्यक हो गया कि इस व्यवसाय के रास्ते में कुछ अड़चन खड़ी की जायें। कुछ राज्यों ने राज्य पुनः बीमा एकक बनायें। तुर्की, चिली, ब्राजील तथा अर्जनटाइना में तो इस व्यवसाय पर पूरा अधिकार है जब कि फ्रान्स तथा पाकिस्तान में इस पर अंशतः अधिकार है। पाकिस्तान में देश का तीस प्रतिशत व्यवसाय पाकिस्तान पुनः बीमा निगम में कराना पड़ता है। हमने इसलिए इस विधेयक में यह व्यवस्था रखी है कि भारतीय समवाय अपने व्यवसाय का तीस प्रतिशत तक इन दोनों समवायों से पुनः बीमा करायेंगे। इस प्रकार हमारा प्रस्ताव बड़ा ही उदार है। सरकार का विचार इस व्यवसाय को इस प्रकार आगे बढ़ाने का है जिससे सिद्धान्तानुसार इसका विस्तार हो सके।

अब मैं संक्षेप में विधेयक के उपबन्धों के बारे में बताऊंगी। खण्ड २ के द्वारा बीमा अधिनियम १९३८ में दो नई धारायें शामिल की गईं हैं। पहली धारा के अनुसार प्रत्येक बीमा समवाय अपनी प्रत्येक पालिसी के ३० प्रतिशत तक का पुनः बीमा सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय पुनः बीमा समवायों से करा ेगा। सरकार पुनः बीमा किए व्यवसाय की प्रतिशतता निर्धारित करेगी और यह भी निश्चित करेगी कि भारतीय पुनः बीमा कर्त्ताओं में इस व्यवसाय का आवंटन किस प्रकार किया जाये। इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी। दूसरी धारा के द्वारा एक सलाहकार समिति का गठन किया जायेगा। जिसमें बीमा व्यवसाय के अनुभवी पांच व्यक्ति सदस्य होंगे। इन मामलों पर निर्णय करने से पूर्व सरकार समिति का परामर्श लेगी।

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

खण्ड ३ के द्वारा सरकार को यह अधिकार दिए गए हैं कि वह अधिनियम के अधीन इस सलाहकार समिति के कार्य संचालन के ब्यौरों के नियम बनाये। इस खण्ड के द्वारा बीमा अधिनियम १९३८ की धारा ११४ की उप-धारा (३) में परिवर्तन किया गया है कि अन्य अधिनियमों के उपबन्धों के अनुसार ही बीमा अधिनियम १९३८ में भी ऐसे उपबन्ध बनाये गये हैं कि यह नियम सभा-पटल पर रखे जायें।

अब मैं विधेयक पर किए गए संशोधन के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। विधेयक पुरस्थापित करने के बाद बीमा व्यवसाय के कुछ प्रतिनिधियों से इस पर बहुत चर्चा हुई। इन प्रतिनिधियों ने एक बात यह बताई कि सरकार को शर्तें बनानी चाहिएं जिनके द्वारा यह बताया जाये कि भारतीय पुनः बीमा करने वाले पुनः बीमा किस प्रकार करेंगे। सरकार ने भारतीय बीमा करने वालों तथा बीमा करने वालों के बीच भेदभाव को दूर करने के लिए यह जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है। इनमें सहयोग होना बहुत ही जरूरी है। सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि अग्नि बीमा व्यवसाय में भी नहीं यही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए जो भारतीय पुनः बीमा निगम के बारे में अपनाई जा रही है। प्रक्रिया यह है कि बीमा कर्त्ता को प्रत्येक पालिसी के एक अंश का पुनः बीमा कराना चाहिए अथवा पुनः बीमा व्यवसाय के 'प्रथम अधिकार' में से एक अंश दिया जाये जिससे पुनः बीमा पर दिए गए प्रीमियम भी वही हों। यह भी उचित बात है। इन दोनों बातों के लिए ही दो नई उपधारायें १०१ क धारा में रखी गई है। इस मामले पर प्रविधिक विशेषज्ञों ने पूरी जांच की है। मैं सभा को आश्वासन दे देना चाहती हूं कि पूरी जांच के बाद ही यह निर्णय किए गए हैं और विधेयक सभा में प्रस्तुत किया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता–पूर्व): उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का स्वागत करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि बीमा अधिनियम की कुछ अन्य धाराओं का संशोधन भी इस समय किया जाना चाहिए था।

इसमें कोई संदेह नहीं कि विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमें पुनः बीमा करने की व्यवस्था करनी चाहिए परन्तु इसके साथ-साथ इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय किया है कि बीमा अधिनियम की धारा ३१-क के द्वारा बीमा समवायों के कर्मचारियों के लाभांशों के भुगतान पर प्रतिबन्ध लगता है। इसीलिए मेरा सुझाव है कि इस उपबन्ध का संशोधन किया जाना चाहिए।

हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति बड़ी खराब है और मैं समझता हूं कि हमें विदेशी मुद्रा बचाने के लिए और कठोर कदम उठाने चाहिएं। मैं समझता हूं कि ३० प्रतिशत तक पुनः बीमा भारतीय समवायों से कराने की व्यवस्था करने के बजाये यह व्यवस्था की जानी चाहिए की कि समवाय पूरे पूरे धन का पुनः बीमा निगम से ही पुनः बीमा करायें। जब तुर्की और ब्राज़ील में ऐसी व्यवस्था है तो किस कारण से हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। आज हमें ४ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हमें इससे हो रही है तो क्या कारण है कि हम केवल १ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचाने की व्यवस्था करना चाहते हैं और ३ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अभी भी विदेशों के ही जाने देना चाहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि ऐसी व्यवस्था की भी जानी चाहिए कि यदि विदेशी समवायों से पुनः बीमा कराया जाये तो बदले में हमारे समवाय भी विदेशों का पुनः बीमा करें। हमें विदेशी मुद्रा की कमी के कारण इन सभी बातों पर विचार करना चाहिए और सामान्य बीमे का भी राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा हमें मिल सके। मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरी बातों पर विचार करके इस विधेयक में इस प्रकार के संशोधन प्रस्तुत कर देगी। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री ले० अचौ सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : मैं इस विधेयक के उद्देश्यों से पूर्णतः सहमत हूं। इसका पहला उद्देश्य विदेशी मुद्रा बचाना है तथा दूसरा उद्देश्य भारतीय बीमा समवायों के विकास में सहायता देना है। मैं श्री साधन गुप्त के इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि बीमा व्यवसाय को ठीक करने के लिए कठोर कदम उठाये जाने चाहिए।

१९५९ की बीमा पुस्तिका में बताया गया है कि १९५८ के आंकड़ों के अनुसार देश में पुनः बीमा करने वाले समवाय ६५ हैं और अधिकांशतः अंग्रेजी हैं। उनको वार्षिक प्रीमियम आय ७.१९ करोड़ रुपये है जब कि अंश पूंजी ५.१३ करोड़ रुपये हैं। इससे पता लग जाता है कि हमारे इस व्यवसाय पर ब्रिटिश समवायों का ही एकाधिकार है। इसको दूर करना सरकार का कर्त्तव्य है। परन्तु मैंने कई पत्रिकाओं को देखा और उनसे मुझे पता लगा कि इसके बारे में बड़े मतभेद हैं। यह कहा गया है कि ३० प्रतिशत प्रीमियम देने से इन समवायों के राजस्व लेखों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त इससे भारत की प्रतिष्ठा पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। उनका यह भी कहना है कि इस प्रकार से यह राष्ट्रीयकरण ही किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह आपत्तियां निराधार हैं और इनको माननीय उपमंत्री एक दम स्पष्ट कर चुके हैं।

विधेयक में ३० प्रतिशत व्यवसाय भारतीय पुनः बीमा समवाय को देने की व्यवस्था है। मैं समझता हूं कि इससे पर्याप्त विदेशी मुद्रा बच जायेगी।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि हमारा उद्योग विकासवान है और उसके साथ-साथ हमारा बीमा व्यवसाय भी बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि बीमा व्यवसाय के बढ़ने के साथ-साथ बीमे की नीति में भी हमें परिवर्तन करना होगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि हमें भी अर्जेनटाइना, ईरान और कुछ पूर्वी योरप देशों के समान ही हमारे देश में भी सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकारण कर देना चाहिय जिससे झूठे बीमा समवाय समाप्त हो जायें और वास्तविक ही क्षेत्र में रह जायें और व्यवसाय पर ठीक प्रकार से विकास हो सके।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : श्रीमान् मैं उन माननीय सदस्यों की बड़ी आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक पर चर्चा में भाग लिया है और इसका समर्थन किया है। मैं समझती हूं कि इस विधेयक का सभा में सामान्यतः स्वागत ही किया गया है। माननीय सदस्य जो अभी बोले हैं उन्होंने विधेयक के उपबन्धों की सराहना ही की है इसलिये उनकी बातों का मुझे कोई उत्तर नहीं देना है।

उन्होंने बताया कि कुछ सामान्य बीमा समवाय उस प्रकार से व्यवसाय नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार के व्यवसाय की उनसे आशा थी। मेरा विचार है कि इन पुनः बीमा उपबन्धों से वह अपना व्यवसाय अधिक सावधानी से कर सकेंगे। यद्यपि यह पुनः बीमा समवाय इन समवायों के दिन प्रतिदिन के कामों पर नियन्त्रण नहीं रखेंगे परन्तु मैं समझती हूं कि इस व्यवस्था के कारण यह बीमा समवाय अपना व्यवसाय सुव्यवस्थित कर लेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

श्री साधन गुप्त ने बताया कि भारतीय समवायों को अपना बीमा अधिकांशत: भारतीय समवायों से ही कराना चाहिये । इसमें बहुत सी अड़चनें हैं क्योंकि बीमा व्यवसाय में सबसे अधिक महत्व विश्वास का होता है । माननीय सदस्य जानते हैं कि सामान्य बीमे पर अधिकांशत: विदेशी बीमा समवायों का अधिकार है । यदि हम पूरा-पूरा व्यवसाय अपने ही समवायों को दिलाना आरम्भ कर देंगे तो विदेशी विनियोजन को भारत में बढ़ावा देने की हमारी नीति पर असर पड़ेगा । मैं सभा को आश्वासन दे देना चाहती हूं कि हम समस्त समस्या का सावधानी से ध्यान रखेंगे ।

मैंने अपने मुख्य भाषण में बताया था कि भारतीय बीमा व्यवसाय में अधिक लाभ होने के कारण तथा विदेशी पुन: बीमा करने वाले समवाय भारत में व्यवसाय के द्वारा अधिक लाभ कमा रहे हैं । यह बात भारतीय बीमा समवायों को समझनी चाहिये और भारतीय पुन: बीमा समवायों से ही पुन: बीमा करना चाहिये । उनके ही लाभार्थ यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है । मैं आशा करती हूं कि भारतीय बीमा समवाय इस बात को समझेंगे कि विदेशी पुन: बीमा समवायों को पुन: बीमा करा कर अधिक धन देना उनके हित में नहीं है और अब वह अधिक से अधिक व्यवसाय भारतीय पुन: बीमा समवायों को देंगे ।

माननीय सदस्य ने कहा कि हमें इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे भारतीय व्यवसायों का पुन: बीमा अधिकांश भारत में ही हो । मैं समझती हूं ऐसा करना ठीक नहीं होगा । आप जानते हैं कि जीवन बीमा निगम भारत से बाहर भी बहुत अच्छा व्यवसाय करता है । यदि हम भी विदेशी समवायों को भारत में व्यवसाय की अनुमति नहीं देंगे तो हमारा बहुत नुकसान होगा । इसलिये मैं समझती हूं कि इसके बारे में हमें कठोर नियम नहीं बनाने चाहियें ।

लाभांशों का इस विधेयक से कोई सम्बन्ध ही नहीं है परन्तु फिर भी मैं सभा की भावनाओं को समझती हूं और बताना चाहती हूं कि हम स्वयं समस्त समस्याओं को जानते हैं और इस पर पूरी तरह से विचार कर रहे हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि बीमा अधिनियम १९३८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा में अब खण्डवार चर्चा होगी ।

खण्ड २ (नवीन भाग का जोड़ा जाना)

पृष्ठ १,—पंक्ति २० के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये :—

(2A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), an insurer carrying on fire insurance business in India may, in lieu of reinsuring the percentage specified under sub-section (2) of the sum assured on each policy in respect of such business, re-insure with Indian re-insurers such amount out of the premiums payable by him on such reinsurance in any year is not less than the said percentage of the premium income (without taking into account premiums on re-insurance eded or accepted) in respect of such business during that year.

---

†मूल अंग्रेजी में

Explanation.—For the purposes of this sub-section, the year 1961 shall be deemed to mean the period from the 1st April to the 31st December of that year.

(2B) A notification under sub-section (2) may also specify the terms and conditions in respect of any business of reinsurance required to be transacted under this section and such terms and conditions shall be binding on Indian re-insurers and other insurers."

["(२क) उप-धारा (१) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, भारत में अग्नि बीमा करने वाले व्यक्ति, उपधारा (२) के अनुसार बीमा व्यवसाय की प्रत्येक पालिसी पर निश्चित राशि की प्रतिशतता का पुन: बीमा करने के कारण, अपने प्रथम लाभ की उतनी धनराशि जितनी वह उचित समझें, का पुन: बीमा भारतीय पुन: बीमा समवायों से करायेगा परन्तु किसी भी वर्ष में ऐसे पुन: बीमा के लिये उसके द्वारा दिय गये अधिमूल्य की धनराशि उस वर्ष में किये गये व्यवसाय के बारे में अधिमूल्य की आय (स्वीकृत पुन: बीमा पर दिए गये अधिमूल्य को न मिला कर) की कथित प्रतिशतता से कम नहीं होगी।

स्पष्टीकरण : इस उपधारा के लिये १९६१ वर्ष को १ अप्रैल से ३१ दिसम्बर, १९६१ तक माना जायेगा।

(२ख) उप-धारा (२) के अधीन अधिसूचना में इस धारा के अधीन किये गये पुन: बीमा व्यवसाय के बारे में शर्तें और नियम बनायें जायेंगे तथा यह शर्तें और नियम भारतीय पुन: बीमा करने वालों तथा अन्य बीमा करने वालों पर लागू होंगे।"]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १,—

पंक्ति २० के पश्चात् निम्नलिखित जोडा जाए

"(2A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), an insurer carrying on fire insurance business in India may, in lieu of reinsuring the percentage specified under sub-section (2) of the sum assured on each policy in respect of such business, re-insure with Indian re-insurers such amount out of the first surplus in respect of that business as he thinks fit, so however that, the aggregate amount of the premiums payable by him on such reinsurance in any year is not less than the said percentage of the premium income (without taking into account premiums on re-insurance ceded or accepted) in respect of such business during that year.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, the year 1961 shall be deemed to mean the period from the 1st April to the 31st December of that year.

(2B) A notification under sub-section (2) may also specify the terms and conditions in respect of any business of reinsurance required to be transacted under this section and such terms and conditions shall be binding on Indian re-insurers and other insurers."

["(२क) उपधारा (१) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, भारत में अग्नि बीमा करने वाले व्यक्ति, उपधारा (२) के अनुसार बीमा व्यवसाय की प्रत्येक पालिसी पर निश्चित राशि की प्रतिशतता का पुन: बीमा करने के कारण, अपने प्रथम लाभ की उतनी धनराशि जितनी वह उचित समझें, का पुन: बीमा भारतीय पुन: बीमा समवायों से करायेगा परन्तु किसी भी वर्ष में ऐसे पुन: बीमा के लिये उसके द्वारा दिये गये अधिमूल्य की धनराशि उस वर्ष में किए गए व्यवसाय के बारे में अधिमूल्य की आय (स्वीकृत पुन: बीमा पर दिए गए अधिमूल्य को न मिला कर) की कथित प्रतिशतता से कम नहीं होगी।

स्पष्टीकरण : इस उप-धारा के लिये १९६१ वर्ष को १ अप्रैल से ३१ दिसम्बर १९६१ तक माना जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२ ख) उप-धारा (२) के अधीन अधिसूचना में इस धारा के अधीन किये गये पुनः बीमा व्यवसाय के बारे में शर्तें और नियम बनाये जायेंगे तथा यह शर्तें और नियम भारतीय पुनः बीमा करने वालों तथा अन्य बीमा करने वालों पर लागू होंगे।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड ३, खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुदानों की मांगें

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा शिक्षा मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या १३ से १५ तक और ११२ पर चर्चा और मतदान करेगी।

इन मांगों के सम्बन्ध में ८३ कटौती प्रस्ताव आये हैं। और भी जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव देना चाहें, पन्द्रह मिनट में दे दें। नियमानुकूल होने पर मैं उनको प्रस्तुत मान लूंगा।

वर्ष १९६१-६२ के लिये शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं:—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
१३	शिक्षा मन्त्रालय	३८,७८,००० रुपये
१४	शिक्षा	१५,३९,४०,००० रुपये
१५	शिक्षा मन्त्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	२,६९,४४,००० रुपये
१२	शिक्षा मन्त्रालय का पूंजी व्यय . . .	१६,५९,००० रुपये

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता-पूर्व) : मैं अपने कटौती प्रस्तावों में कुछ शुद्धि करना चाहता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उनको भी मेरे पास भेज दीजिये।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : कल माननीय शिक्षा मन्त्री ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय जांच समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखने का वचन दिया था। आज हम शिक्षा मन्त्रालय से सम्बन्धित मांगों पर चर्चा कर रहे हैं, पर वह प्रतिवेदन पटल पर नहीं रखा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उस पर दिये गये श्री सप्रू के नोट के कुछ उद्धरण समाचार पत्रों में भी आ चुके हैं। लेकिन अधिकृत प्रतिवेदन हमारे पास नहीं हैं, न वह नोट ही है। फिर हम उसका हवाला कैसे दे सकते हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): हम वह प्रतिवेदन यथाशीघ्र पटल पर रख देंगे। विश्वविद्यालय ने हमारे पास जो छपी हुई प्रतियां भेजी थीं, उनमें परिशिष्ट नहीं थे। इसलिये विश्वविद्यालय से अनुरोध किया गया है उनको भेजने का। मेरा अनुरोध है अलीगढ़ विश्वविद्यालय पर अलग से चर्चा की जाये। वह ज्यादा अच्छा रहेगा।

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (पुरी) : अखबारों में एक बड़ी चिन्ताजनक खबर आई है कि तृतीय योजना में शिक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिये व्यवस्थित राशि में कटौती की जा रही है। उसका असर शिक्षा की केन्द्रीय योजनाओं पर ही सबसे अधिक पड़ेगा। शिक्षा मन्त्री ने उनके लिये ८३ करोड़ रुपये मांगे थे, लेकिन केवल ३५ करोड़ रुपये मिलेंगे। हमने पहले ही शिक्षा पर बहुत कम व्यय किया है ? अभी देश में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की योजना लागू करनी है। इसलिये हम इस कटौती का विरोध करते हैं।

हमारे देश में शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय केवल ५ रुपये ५ आने है। शिक्षा मंत्रालय को राष्ट्रीय आय का केवल दो प्रतिशत भाग मिलता है। यह संसार के अन्य देशों के मुकाबले बहुत कम है।

शिक्षा के लिये १९५५-५६ में लगभग १७ करोड़ और १९६१-६२ में केवल १६ करोड़ रुपये की व्यवस्था थी। प्राथमिक शिक्षा के लिये १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ में केन्द्रीय आय व्ययक में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी। १९५९-६० में उस के लिये १,६२,९०० पयों और १९६१-६२ में ५,९९,००० रुपयों की व्यवस्था की गई।

मैंने एक मोटे तौर पर हिसाब लगा कर देखा है कि शिक्षा के लिये जितनी भी राशि की व्यवस्था की गई थी, उस का २५ से ३० प्रतिशत भाग इमारतें खड़ी करने पर खर्च किया गया है, और शिक्षा सचिवालय के विभागों पर १५ प्रतिशत खर्च हुआ है। इस प्रकार शिक्षा के लिये जो भी थोड़ी सी व्यवस्था की जाती है उस का केवल ६० प्रतिशत वास्तविक शिक्षा योजनाओं पर खर्च होता है। माननीय मंत्री ने अपने एक लेख में लिखा भी है कि इमारतों के निर्माण पर व्यय कम करने की बड़ी आवश्यकता है। लेकिन उन्होंने अपने सुझाव को कार्यान्वित करने के लिये तो कुछ भी नहीं किया है।

भारत सरकार के सीधे नियंत्रण में चलने वाले केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध और प्रशासन में सुधार करना बड़ा आवश्यक है। श्री खाडिलकर ने भी इस का उल्लेख किया था। माननीय मंत्री बतायें कि इस के सम्बन्ध में उन के क्या सुझाव हैं।

खेल-कूद के विकास की बातें की जाती हैं, लेकिन माननीय मंत्री भारतीय सर्कस के विकास में कोई रुचि नहीं लेते। नतीजा यह है कि भारतीय सर्कस का स्तर दिन-दिन गिरता जा रहा है। इसलिये उसे वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये। विदेशी मुद्रा पाने की दृष्टि से हमारी कुछ सर्कस कम्पनियों को विदेशों में भेजा जाना चाहिये।

बड़ी अच्छी बात है कि शिक्षा मंत्रालय ने पटियाला में खेल-कूद प्रतिष्ठान की स्थापना के लिये कुछ राशि मंजूर की है। लेकिन यह क्या जरूरी है कि उस प्रतिष्ठान के लिये महाराजा पटियाला का महल ३०-४० लाख रुपये में खरीदा जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : भारत सरकार उसे महाराजा पटियाला से नहीं, पंजाब सरकार से खरीद रही है ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** (महेन्द्र गढ़) : उस से कोई अन्तर नहीं पड़ता ।

डा० का० ला० श्रीमाली : अन्तर है । पंजाब सरकार ने उस महल को बहुत पहले खरीदा था । प्रतिष्ठान के लिये हमें कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिल रहा था । यदि उस की नयी इमारत बनायी जाती तो उस पर कहीं ज्यादा खर्च बैठता । उस में हमें कई सुविधायें भी मिल गई हैं । इसलिये खेल कूद परिषद् ने उसे चुना है ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : अच्छा हुआ कि माननीय मंत्री ने इस का स्पष्टीकरण कर दिया ।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : उस का कितना मूल्य दिया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : वह मैं बाद में बता सकूंगा । लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि भारत सरकार ने उसे महाराजा से नहीं, पंजाब सरकार से खरीदा है ।

भारत सरकार ने राज्य सरकार से सौदा किया है ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने खेल कूद के सम्बन्ध में एक तदर्थ समिति नियुक्त की थी । क्या उस तदर्थ समिति ने कुछ सुझाव और सिफारिशें की हैं ? तदर्थ समिति ने स्पष्ट कहा है कि एक हजार छात्रों तक के प्रत्येक स्कूल के पास कम से कम एक एकड़ भूमि खेल के मैदानों के लिये होनी चाहिये । पिछले दस साल में इसे किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है ? माननीय मंत्री को इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये ।

भारत सरकार को समितियां नियुक्त करने का मर्ज सा है । लेकिन फिर उस के बाद कुछ नहीं होता । शिक्षा मंत्रालय से दो साल पहले एक समिति नियुक्त की थी विभिन्न खेल कूद निकायों और सरकारी अनुदान-प्राप्त युवक संगठनों में सहकार्य पैदा करने के उपाय सुझाने के लिये । लेकिन अभी तक उस के प्रतिवेदन को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है । उस का काम कुछ भी आगे नहीं बढ़ा है ।

विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों ने सुझाव दिया है कि युवक समारोहों को बन्द कर दिया जाना चाहिये । लेकिन यह समझ में नहीं आता कि सरकार द्वारा प्रबन्धित युवक समारोहों में ही अनुशासनहीनता क्यों होती है। गैर-सरकारी तौर पर किये जाने वाले युवक समारोहों में अनुशासनहीनता क्यों नहीं होती ? माननीय मंत्री को इस समस्या पर पुनः विचार करना चाहिये ।

बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और कटक जैसे बड़े-बड़े शहरों में छात्रावासों की दशा बड़ी अस्वास्थ्यकर है । उस समस्या को हल करने के लिये कुछ ठोस कदम उठाये जाने चाहियें ।

इस आय-व्ययक में सब से अच्छी चीज यह है कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिये व्यवस्था की गई है । संविधान में व्यवस्था है कि ६ से ११ वर्ष तक की अवस्था के छात्रों के लिये अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाये । लेकिन इस दिशा में शिक्षा मंत्रालय ने कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं की है । प्रथम योजना के अन्तर्गत केवल १२ लाख और द्वितीय योजना काल में केवल १७ लाख बच्चे प्रति वर्ष प्राथमिक शिक्षा के लिये भर्ती हुए हैं । इस रफ्तार से तो तृतीय योजना के निर्धारित लक्ष्य का ८० प्रतिशत भी पूरा नहीं होगा । माननीय मंत्री को इस का स्पष्टीकरण करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्कूलों के सुधार के लिये आवश्यक है कि वहां फरनीचर, शैक्षणिक और पुस्तकालय सम्बन्धी सुवि ाओं की व्यवस्था की जाये। आज इन का बड़ा अभाव है। शिक्षा मंत्रालय ने स के लिये कोई भी ोस काम नहीं किया है।

†**श्री गोरे** (पूना) : हमारे महान कवि कालिदास ने आदर्श राजा का सर्वप्रथम कर्तव्य बताया है, 'प्रजानां विनयाधानात्' अर्था प्रजा को शिक्षित बनाना। आज भी लोकतन्त्र की नींव ढ़ बनाने के लिये प्रजा को शिक्षित करना आवश्यक है।

हमारे देश में विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि हमारा उद्देश्य विश्वविद्यालयों में शिक्षा का मानदण्ड ऊंचा बनाये रखना होना चाहिये। विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाना नहीं। उस ने बताया है कि अमरीका और इंगलैंड जैसे देशों में भी बहुत ही कम विद्यार्थी विश्वविद्यालय की शिक्षा तक पहुंच पाते हैं। यदि मैट्रिक पास करने के बाद विद्यार्थि ों को ोजगार मिलता रहे, तो उनको विश्वविद्यालयों में प्रवेश न पाने का खेद नहीं रहेगा।

विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता का एक कारण यह भी है कि देश के राजनीतिक दलों का उन पर अधिक भाव नहीं है।

अनशासनहीनता का एक कारण यह भी है कि विद्यार्थियों के सामने रोजगार पाने की पर्याप्त संभावनायें नहीं हैं। डा० कार्वे ने एक लेख में लिखा है कि अनिश्चित भविष्य के कारण विद्यार्थियों में बड़ी गह ी निराशा घर कर गई है। अनुशासनहीनता दूर करने के लिये पहले हमें निराशा का इलाज करना चाहिये।

माननीय मं ी ने बताया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने उन के पास पूरा प्रतिवेदन नहीं भेजा, उस में परिशिष्ट नहीं थे। मुझे लगता है कि यह जानबूझ कर किया गया है। वे जानते थे कि सभा को उस तिवेदन पर चर्चा करनी है। यह बड़ी गलत बात है। देश के दोनों बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों—बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय—को आदर्श विश्वविद्यालय बनना चाहिये।

युवक-समा ोहों से देश के विभिन्न भागों के विद्यार्थियों में सम्पर्क बढ़ता है। उन को बन्द नहीं किया जाना चाहिये। अनुशासनहीनता मिटाने का यह कोई उचित तरीका नहीं है।

भारत सरकार कह देती है कि प्राथमिक शिक्षा राज्य का विषय है। यह सही तरीका नहीं है। प्राथमिक शिक्षा ही देश की समूची शिक्षा का आधार है। श्री गोखले के समय से ही इस पर जोर दिया जा रहा है।

विश्वविद्यालीय और माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन के लिये आयोग नियुक्त किये जा चुके हैं। उन के प्रतिवेदन भी आ चुके हैं। पर अभी तक प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी कोई भी आयोग नियुक्त नहीं किया गया है। इस की उपेक्षा की गई है। प्राथमिक शिक्षा के अध्यापकों की सेवा की श र्तों पर विचार करने के लि एक अखिल भारतीय आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये। शिक्षा मंत्रालय ने अपने तिवेदन में कहा है कि अध्यापकों का न्यूनतम वेतन ४० पये होना चाहिये। लेकिन बहुधा यही अधिकतम वेतन होता है। राज्यों में अध्यापकों के वेतन क्रमों और भत्तों के बारे में कोई

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री गोरे]

एकरूपता नहीं है । इस से ज्यादा तो चपरासी पाते हैं । उन का वेतन ४०—४५ रुपये से शुरू हो कर १०० रुपये तक जाना चाहिये और उन को सरकारी कर्मचारियों के समान ही भत्ते मिलने चाहियें ।

गलैंड में एक बूरहाम समिति है जो अध्यापकों से सम्पर्क बनाये रखती है और उनकी समस्याओं पर विचार करती रहती है । हमारे यहां भी एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये ।

खेल कूद के मामले में तो हालत बदतर है । हर जगह गुटबाजी चल रही है । इसीलिये हम ने ओलम्पिक प्रतियोगता में पाकिस्तान से मात खाई है । जबकि इथोपिया जैसे छोटे छोटे देश आगे बढ़ रहे हैं ।

हमारे देश के मिल्खा सिंह ने ही देश का नाम कुछ ऊंचा किया है । लेकिन सेना में उस की ही कोई पदोन्नति नहीं की गई । उस का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है । यह देश के लिये शर्मनाक है । पिछली ओलम्पिक प्रतियोगिता में एक भी स्त्री नहीं भेजी गयी थी ।

शिक्षा मंत्रालय को इस समस्या पर गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये ।

राष्ट्रीय अनुशासन ोजना बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही है । उसे आशातीत सफलता प्राप्त हुई । मंत्री महोदय को इस उद्देश्य के लिये अनुदान देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिये । १२, १६ लाख की राशि इस कार्य के लिये बहुत कम है ।

†**श्री बैरों** (नाम निदशित आंग्ल-भारतीय) : मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि संविधान निर्माण करने वालों ने शिक्षा को केन्द्रीय अनुसूची का विषय नहीं बनाया । मेरा निवेदन है कि बच्चों के लिये निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने के लिये सरकार पर जो संवैधानिक उत्तरदायित्व है, उस के सम्बन्ध में सरकार केवल जबानी जमा खर्च कर रही है । खेद की बात है कि इस प्रयोजन के लिये जो २१६ करोड़ रुपये की राशि नि ारित थी उस को कम किया जा रहा है ।

यह भी दु:ख की बात है कि प्राथमिक शिक्षा के लिये जो राशि निर्धारित है उसे किसी भी हालत में किसी अन्य मद के लिये नहीं डाला जाना चाहिये । मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुमोदित ोजना के लिये केन्द्रीय सरकार को ५० प्रतिशत नराशि सहायता के रूप में राज्यों ो देनी चाहिये । ऐसा करने पर ही इस दिशा में निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा ।

लड़कियों की शिक्षा का कार्यक्रम तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम राज्यों को हस्तांन्तरित नहीं किया जाना चाहिये था । इसी प्रकार प्राथमिक स्कूलों को बेसिक स्कूलों में बदलने सम्बन्धी कार्यक्रम को भी राज्यों को हस्तान्तरित करना लाभदायक नहीं रहेगा । यदि ऐसा हो गया तो इस सम्बन्ध में कोई एकरूप नीति नहीं अपनाई जा सकती । अत: किसी राष्ट्रीय नीति को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता । साथ ही राष्ट्रीय अनुशासन तथा ऐसी ही अन्य योजनाओं की गतिविधियों का समन्वय करने के लिये कोई केन्द्रीय व्यवस्था होनी चाहि । हमारे लिये यह लज्जा की बात है कि हम ने हाकी के मैदान में हार खाई है ।

डा० गोविन्द दास (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वराज्य प्राप्ति के बाद आज पहला अवसर है जब मैं शिक्षा मंत्रालय को बधाई देना चाहता हूं, और यह बधाई डा० श्रीमाली जी और उन के योग्य संयुक्त सचिव श्री राम प्रसन्न नायक को भी है जोकि हमारे मध्य प्रदेश से केन्द्रीय सरकार में आये हैं । इस बधाई का कारण है कि शिक्षा को, जोकि हम एक प्रधान कार्य मानते हैं, देश की उन्नति की बुनियाद मानते हैं और जिस में हिन्दी का प्रमख स्थान हो, उस का कुछ कार्य अब शिक्षा

†मूल अंग्रेजी में

मंत्रालय में आरम्भ हुआ है। विज्ञान आयोग स्थापित होने वाला है । हमारी पंचवर्षीय योजना और हमारी प्रगति बहुत दूर तक विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकों पर अवलम्बित है, और उस के लिये भारत सरकार ने अब निश्चय किया है कि वह विज्ञान आयोग स्थापित करे । मैं आशा करता हूं कि यह कार्य अविलम्ब किया जायेगा । हिन्दी का निदेशालय स्थापित हो गया है । अभी उस के मुख्य संचालक तय नहीं हुए हैं । मैं चाहता हूं कि इस कार्य के लिये ऐसे व्यक्ति को रक्खा जाय जिस पर हिन्दी संसार को विश्वास हो ।

इस के बाद सब से महत्वपूर्ण कार्य साहित्य रचना का है । उत्कृष्ट पुस्तकों के अनुवाद के लिये ४० लाख रु० रक्खे गये हैं, यद्यपि यह बहुत कम है लेकिन मैं आशा करता हूं आरम्भ इस से अच्छी प्रकार हो सकेगा । फिर यह देश बड़ा गरीब देश है, और गरीब देश के निवासियों को सस्ता साहित्य प्राप्त होना चाहिये । इधर उधर की एक एक रुपये की कुछ पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं, लेकिन वे बड़े उथले विषयों की हैं, अधिकांश में, मैं कहूंगा, सब तो नहीं, उपन्यास, कहानी इत्यादि हैं । लेकिन शिक्षा मंत्रालय ने अब कुछ गम्भीर विषयों की भी सस्ती पुस्तकें प्रकाशित करने का निर्णय किया है ।

विश्वकोष का काम भी नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा चल रहा है । केन्द्रीय हिन्दी शिक्षकों के लिये आगरा में एक महाविद्यालय स्थापित हुआ है । मुझे मालूम हुआ है कि धर्म तथा नीति का विश्वकोष, समाजशास्त्र का विश्वकोष और इसी प्रकार के दो और विश्व कोषों का आयोजन किया जा रहा है।

शिक्षा मंत्रालय के साथ मैं आज इस अवसर पर गृह-मंत्रालय को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्हों ने हिन्दी को नौकरियों के लिये वकल्पिक माध्यम रखने का तय कर लिया है । उस के लिये भी मेरे प्रश्न का उत्तर श्री शास्त्री ने कुछ दिन पहले दिया था जिस में उन्होंने कहा था कि सन् १९६३ से वह यह काम करने वाले हैं । मेरी प्रार्थना है कि इस में जरा जल्दी की जाये क्योंकि जिन विश्व-विद्यालयों ने हिन्दी को माध्यम बना लिया है उन के विद्यार्थियों के प्रति यह एक अन्याय होगा अगर इस में देर की जायेगी ।

फिर गृह-मंत्रालय ने भारतीय शासन सेवा के लिये एक हिन्दी का वैकल्पिक परचा भी रखना तय कर लिया है । इन दोनों बातों के लिये गृह-मंत्रालय बधाई का पात्र है और इस के सिलसिले में मैंअन्तिम बधाई विधि मंत्रालय को भी दे दूं कि उस ने भी विधि आयोग नियुक्त करने का निश्चय किया है और वह हो भी गया है ।

तो जैसा मैं ने आप से निवेदन किया, यह पहला मर्तबा है जिस समय मैं हिन्दी के कार्य के लिये भारत सरकार को, उस के गृह-मंत्रालय को, उस के विधि मंत्रालय को और उस के शिक्षा मंत्रालय को बधाई देना चाहता हूं ।

अब मैं कुछ और बात कहना चाहता हूं । पहला मेरा यह निवेदन है कि शिक्षा के लिये अंग्रेज़ी जो अनिवार्य बनाई जा रही है, बना दी गई है, इस की मैं कोई आवश्यकता नहीं मानता । मैं अंग्रेज़ी अध्ययन के विरुद्ध नहीं हूं, पर वह हमारे बच्चों को अनिवार्य रूप से सिखाई जाय इस का मैं कोई प्रयोजन नहीं देखता ।

यह कहा जाता है कि सब प्रगतिशील देशों में एक न एक बाहरी भाषा पढ़ाई जाती है । अब आप देखें कि यूरोप और अमरीका के जो प्रगतिशील देश हैं उन में जो एक वैदेशिक भाषा पढ़ाई जाती है वह क्या कोई एशिया की भाषा पढ़ाई जाती है, कोई भारतीय भाषा पढ़ाई जाती है चीनी भाषा पढ़ाई जाती है या कोई अफ्रीकी भाषा पढ़ाई जाती है । ऐसा नहीं होता । फ्रांस की भाषा इंगलैंड

[डा० गोविन्द दास]

में पढ़ाई जाती है, जरमनी में अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है । यानी ये जो यूरोप के देश हैं इन में जो वैदेशिक भाषायें पढ़ाई जाती हैं वे भगिनी भाषायें पढ़ाई जाती है, एशियाई या भारतीय भाषायें नहीं पढ़ाई जातीं । मैं स्वयं चाहता हूं कि इस देश में हम को, हिन्दी वालों को, मराठी वालों को, गुजराती वालों को और दूसरी भाषाओं वालों को कोई दूसरी भारतीय भाषा पढ़नी चाहिये लेकिन वह हमारी बंगला, तमिल, मराठी, कन्नड़, असमिया भगिनी भाषा हो, गुजराती, मलयालम, उड़िया या कोई दूसरी भारतीय भाषा हो । मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं । लेकिन जब यूरोप और अमरीका में कोई एशिया की या अफ्रीका की भाषा नहीं पढ़ाई जाती तो फिर भारत में अंग्रेज़ी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाय, यह मेरी समझ में नहीं आता । यदि हम भावनात्मक एकता (इमोशनल इंटीग्रेशन) लाना चाहते हैं तो हमारी भारतीय भाषाओं में से कोई भी एक भाषा पढ़ाई जानी चाहिये ।

फिर इस सब का आधारभूत संस्कृत भाषा होनी चाहिये । मेरा निश्चित मत है कि कम से कम दो वर्ष के लिये संस्कृत हमारे देश में अनिवार्य रूप से पढ़ाई जानी चाहिये । संस्कृत हमारी भारतीय संस्कृति की मूलाधार बनी हुई है । हमारे देश की सब भाषाओं की, कम से कम उत्तर भारत की सब भाषाओं की, वह जननी है । और दक्षिण की भाषाओं में किसी में ५० प्रतिशत, किसी में ७५ प्रतिशत शब्द संस्कृत के हैं । इसलिये संस्कृत को कम से कम दो वर्षों तक अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिये ।

और जहां तक शिक्षा के माध्यम का प्रश्न है, मैं इस बात को कई बार कह चुका हूं और सरकारी नीति भी यही है कि शिक्षा का माध्यम हमारे देश की भाषायें रखी जायें । लेकिन इधर उधर कभी कोई कमीशन मुकर्रर हो जाता है, कभी कोई कमेटी मुकर्रर हो जाती है, कभी कुछ मुकर्रर हो जाता है, कभी कुछ मुकर्रर हो जाता है और यह कह कर कि विश्वविद्यालयों को इस बात की स्वतंत्रता है, इस नीति के अनुसार काम नहीं होता । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस नीति के अनुसार काम होना चाहिये ।

अब कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं शब्दों के निर्माण के सम्बन्ध में । केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में लिखा है कि दो लाख ९० हजार नये शब्द बनाये गये हैं । लेकिन इस में बड़ा भारी भ्रम है । वास्तव में दो लाख ९० हजार शब्द नहीं बनाये गये हैं । अनेक शब्द एक जगह के साथ दूसरी जगह पर भी रखे गये हैं । जसे मैं एक दो दृष्टान्त दे कर बतलाना चाहता हूं । जैसे फिजीकल जागरफी नम्बर २ में "एबसोल्यूट" शब्द है और उस के बाद "डार्कनेस" शब्द है । लेकिन आगे चल कर जहां "डार्कनैस" का उपयोग किया गया है वहां "डार्कनैस" के नीचे "एबसोल्यूट" भी रखा गया है । मतलब यह कि यह शब्द दो जगह प्रयुक्त हुआ है । इसी तरह से 'ऐक्शन' है । उस के साथ 'ग्राइंडिंग' और "मिकैनिकल" शब्द हैं । आगे चल कर 'ग्राइंडिंग" और "मिकैनिकल" के साथ भी "ऐक्शन" शब्द दिया गया है । इस तरह से आप देखें तो मालूम होगा कि दो लाख ९० हजार नये शब्दों की रचना नहीं की गई है । फिर यह तो मैं ने आप को केवल फिजीकल जागरफी में से बतलाया । फिजीकल जागरफी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो इसी तरह की दूसरी शब्दावलियों में आये हैं । मैं यह तो नहीं कह सकता कि कितने शब्द बने हैं लेकिन अगर आप हिसाब लगा कर देख तो मेरा खयाल है कि दो लाख ९० हजार के चौथाई शब्द बने होंगे और वह भी जिस को हम पारिभाषिक शब्दावली कह सकते हैं वह नहीं हैं ।

जैसे टूरिज्म की शब्दावली लीजिये उस में आप देखगे कि एडवरटाइज़मेंट का पर्यायवाची वज्ञापन बनाया गया है । आप देखें कि यह कोई पारिभाषिक वैज्ञानिक शब्दावली नहीं है हम चाहते ानिक पारिभाषिक शब्दावली बनाई जाये और वे वैज्ञानिक शब्द संस्कृत से लिये

जायें जोकि हमारी भाषाओं की माता रही है और आज भी है हमारे संविधान में भी कहा गया है कि हमारी शब्दावली प्रधान रूप से संस्कृत से ही ली जायेगी ।

इस के अलावा जहां तक साहित्य सृजन का मामला है मैं उस के बारे में एक दो बातें और कहना चाहता हूं । अभी जो पुस्तकें लिखाई जा रही हैं उन का अंग्रेज़ी अनुवाद भी मांगा जा रहा है । मेरी समझ में नहीं आता कि जो पुस्तकें हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं में पढ़ाने के लिये लिखायी जाती हैं उनका अंग्रेज़ी अनुवाद क्यों होना चाहिये। वे मौलिक रूप में देखी जानी चाहिये । जैसे मलयालम के विद्वान् मलयाली भाषा में लिखी पुस्तकों को देख लें, मराठी विद्वान् मराठी पुस्तकों को देख लें, बंगला विद्वान् बंगला में लिखी पुस्तकोंको देख लें और हिन्दी के विद्वान् हिन्दी में लिखी हुई पुस्तकों को देख सकते हैं । अंग्रेज़ी के द्वारा इन पुस्तकों का परिचय हो यह कुछ मुनासिब नहीं मालूम होता ।

अब विज्ञान के क्षेत्र में हमें विशेष कर काम करना है । उस में तीन तरह की मौलिक पुस्तकों की आवश्यकता है, अनुवाद के लिये मैं पहले ही कह चुका हूं—एक विश्वविद्यालय स्तर की, एक माध्यमिक स्तर कीं और एक साधारण स्तर कीं । यह इस तरह होना चाहिये कि जैसे फिजिक्स, कैमिस्ट्री या बायालाजी या अन्य विषय। में से एक विषय के लिये लेखकों को नियुक्त किया जाय और उन से पुस्तक लिखायी जाये और उन के लिये समय मुकर्रर कर दिया जाय कि वह अपनी पुस्तक ६ महीने के अन्दर अन्दर या एक वर्ष के अन्दर अन्दर तैयार कर दें । मैं चाहता हूं कि सन् १९६५ तक जब से कि हिन्दी पूर्ण रूप से काम में आने वाली है हम विज्ञान की पुस्तक तैयार कर लें ।

फिर हमारे वैज्ञानिक साहित्य की आवश्यकता केवल पुस्तकों के अनुवाद से ही पूरी नहीं होगी । जो गवेषणापूर्ण लेख अंग्रेज़ी में, फ्रांसीसी भाषा में, रूसी में चीनी में, या अन्य भाषाओं में लिखे जायें उन का भी अनुवाद होना चाहिये और उस के लिए स्थायी वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिये । यदि यह न होगा तो हमारा वैज्ञानिक साहित्य अप-टु-डेट न रह सकेगा ।

अन्त में मैं आप से एक बात कहूंगा कि हमारा प्रयोजन तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि हमारे देश के जनसाधारण को अपनी भाषा में विज्ञान की और दूसरी विषयों की शिक्षा नहीं मिलेगी । इस समय ज्यादा तर हम तोते और बन्दर का काम कर रहे हैं । जिस तरह से जो उस को तोता जो रटा दिया जता है, उस को कह देता है उसी तरह से हम भी जो हम को पढ़ा दिया जाता है, उसको पढ़ देते हैं और जिस तरह से वन्दर नकल करता है उसी तरह से हम नकल करते हैं ।

अन्त में मैं अपने ही एक भाषण का एक उद्धरण पढ़ कर समाप्त कर दूगा । यह उद्धरण उस भाषण में से है जो मैंने बिहार राष्ट्र भाषा परिषद् में अध्यक्ष-पद से दिया था । उससे अच्छे तरीके से मैं इस विषय को समझा नहीं सकता हूं । उस भाषण में मैं ने यह कहा था :—

> "यदि हम वैज्ञानिक जगत में दूसरों के समकक्ष बनना चाहते हैं तो हमें स्वयं नई नई वैज्ञानिक खोजें और नए नए प्रकार के यंत्र निर्माण करने होंगे और यह सब हम पाश्चात्य जगत की जूठन से नहीं कर पायेंगे । इसके लिए यह आवश्यक होगा कि हमारा प्रत्येक श्रमिक, प्रत्येक कृषक, प्रत्येक नर नारी इस बात के लिए सचेष्ट हो जाए कि जो समस्यायें उसके सामने आती हैं उनके समाधान के लिए अहर्निश नई नई युक्तियां सोचे, नए नए यंत्र निकाले और इस प्रकार नए नए वैज्ञानिक तथ्यों का पता चलाये । आवश्यकता नवनिर्माण अथवा उत्पत्ति की जननी है । जब जीवन की चुनौती हम स्वीकार करते हैं तभी हम नए सत्य खोज निकालते हैं, नए षंत्र, नई युक्तियां बना पाते हं स्पष्ट है कि हम अपने देश के निन्यानवे प्रतिशत वासियों को यह अवसर इस कारण प्रदान नहीं कर पा रहे कि हम अंग्रेजी

[डा० गोविन्द दास]

से चिपटे हुए हैं और अपने इस देश में यह भ्रम फैला रखा है कि जिसे अंग्रेजी नहीं आती वह किसी प्रकार की वैज्ञानिक खोज या वैज्ञानिक निर्माण नहीं कर सकता। विदेशी भाषा के माध्यम द्वारा पढ़ने के लिए अपने युवकों को मजबूत करके हमने उनकी प्रतिभा को तो कुण्ठित कर ही दिया है, उनको रट्टू मंडूक बना ही दिया है, हमने साथ ही अपने देश के साधारण जन में भी असहायोग की विचार शून्यता की प्रवृत्ति पैदा कर दी है और ज्ञान के स्रोत हर प्रकार से अवरुद्ध कर दिये हैं। हमारा आर्थिक तंत्र आज लंगड़ी चाल से चल रहा है, उसमें जनता के हृदय का स्पन्दन नहीं है, उसके पीछे जनबल नहीं है, इस देश का महान अपरिमित जनबल नहीं है।"

अन्त में मैं पुनः शिक्षा मंत्री महोदय को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जो थोड़े से सुझाव मैंने दिये हैं, उन पर विचार किया जाएगा और जो प्रगति इस सम्बन्ध में हुई है, वह प्रगति दिन दूनी और रात चौगनी हो सकेगी।

श्रीमती लक्ष्मीबाई (विकाराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मझे जो बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देती हूं।

यह जो सैंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की रिपोर्ट है, यह बहुत अच्छे तरीके से पेश की गई है और इसके लिए मैं आपको बधाई देती हूं। इसमें तीन बातें खास तौर पर उल्लेखनीय हैं। एक तो गर्ल्ज़ एजुकेशन के बारे में है और इस सम्बन्ध में कहा गया है कि इसको बढ़ाया जाएगा और दूसरी कंडेंस्ड कोर्स के बारे में है और तीसरी होस्टल एकामोडेशन के बारे में है। जो इसमें हकीकत की बातें हैं, जो ज़रूरी बातें हैं, उनको इम्प्लेमेंट करने का मिनिस्टर साहब ने आश्वासन दिया है और कुछ को तो वह इम्प्लेमेंट भी कर चुके हैं। इसके लिए मैं उनको तथा उनके डिपार्टमेंट को बधाई देती हूं।

मैं मिनिस्टर साहब को इस बात के लिए भी धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने फ्री एंड कम्पलसरी एजुकेशन के वास्ते एक कानून बनाया है और उसमें जहां तक बहनों की एजूकेशन का सम्बन्ध है, सैंट परसैंट मदद करने का वचन दिया है। मुझे खुशी है कि उनके दिल में गर्ल्ज़ एजुकेशन के लिए बहुत श्रद्धा है। नेशनल काउंसिल फार गर्ल्ज़ एजकेशन के लिए १०० करोड़ रुपया मांगा गया था और मैं आशा करती हूं कि इस पर सहानुभूति से विचार किया जाएगा।

आपने कंडेंस्ड कोर्स शरू किए हैं बहनों के वास्ते। इसमें बहनें बहुत श्रद्धा रखती हैं। एडेल्ट विमेन इसमें बहुत दिलचस्पी ले रही हैं और सभी स्टेट्स में इसके बारे में काफी काम हो रहा है। कंडेस्ड कोर्स आफ ट्रेनिंग के लिए २७८ ग्रांट्स सैंकशन की गई हैं और सात हज़ार बहनें ट्रेनिंग पा रही हैं। जो यतीम हैं, जो गरीब हैं वे भी इसके अन्तर्गत ट्रेनिंग पा रही हैं। इनकी तादाद को आपको बढ़ाना है। इस काम के लिए और अधिक पैसे की जरूरत है और मैं आशा करती हूं किस काम, के लिए और अधिक पैसा दिया जाएगा।

अभी एक उस तरफ बैठे हुए उड़ीसा के मम्बर साहब ने होस्टल्ज़ का ज़िक्र किया है और कहा है कि होस्टल्ज़ की कमी है। भाइयों के लिए थोड़े बहुत होस्टल्ज़ तो हैं लेकिन बहनों के लिए तो वे भी नहीं हैं। यूनिवर्स्टी लेबल पर कोई होस्टल ही नहीं होते हैं और अगर होते हैं तो बहुत कम। इस काम के लिए बहुत ही कम पैसा दिया जाता है। मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहती हूं कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने तीसरे प्लान के लिए एजूकेशन के लिए १५ करोड़ रुपए की मांग की है। एली-

मेंटरी एजुकेशन के लिए उसने तकरीबन ११ करोड़ मांगा है, सैकेंडरी एजुकेशन के लिए २ करोड़, यूनिवर्स्टी एजुकेशन के लिए १ करोड़ और दूसरी एजुकेशनल स्कीम्ज़ के लिए एक करोड़। इस तरह से सब मिला कर १५ करोड़ की मांग की है। मैं चाहती हूं कि आनरेबल मैम्बर अपनी स्टेट गवर्नमेंट को कहे कि वह ज्यादा रुपए की मांग करे और हमारे मिनिस्टर साहब उस पर तवज्जह करेंगे जहां तक गर्ल्ज़ होस्टल्ज़ का ताल्लुक है, उस पर मैं चाहती हूं कि काफी रुपया खर्च किया जाए।

अब मैं आन्ध्र प्रदेश के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। आन्ध्र प्रदेश ने तीसरे प्लान के लिए बीस करोड़ रुपये की मांग की है। अगर उस स्टेट के लिए आप इतना भी खर्च नहीं करेंगे तो वहां कोई प्रगति होने वाली नहीं है। हमारी स्टेट में दो तीन किस्म के इलाके हैं, एक उत्तर सरकार है, एक रायल सीमा है, और एक तेलांगाना है। उत्तर सरकार में ज्यादा परसेंटेज में लोग पढ़े हुए हैं, एजुकेशन ज़रा ज्यादा है। रायलसीमा और तेलांगाना बहुत बैकवर्ड इलाके हैं और खास तौर पर तेलांगाना तो बहुत ही बैकवर्ड है। तेलांगाना में राजे महाराजे रहते थे और वहां पर राष्ट्र भाषा उर्दू थी। वहां पर एजुकेशन बहुत कम है और मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि जो बीस करोड़ रुपये की आन्ध्र की तरफ से मांग की गई है उसको किसी तरह से भी कम न किया जाए। मुझे मालूम है कि चार सौ करोड़ जो रुपया दिया जाना था आपको उसमें भी कमी की जा रही है लेकिन मैं आपसे स्पेशल तौर पर रिक्वेस्ट करती हूं कि आन्ध्र प्रदेश ने जो मांग की है उसको किसी भी सूरत में आप कम न करें।

आप एक कानून औरतों की एजुकेशन को बढ़ाने के लिए बना रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन पैसा आपको और अधिक एजुकेशन के लिए रखना होगा। हम सात हज़ार करोड़ का तीसरा प्लान बना रहे हैं। प्लानिंग कमिशन के जो लोग यहां बैठे हों उनसे मैं प्रार्थना करती हूं कि सात हज़ार करोड़ में चार सौ करोड़ जो एजुकेशन के लिए रखे गये हैं, उसको कम करने की कोशिश न की जाए। अगर प्लानिंग कमिशन के लोग यहां पर बैठे हुए न हों तो मैं चाहती हूं कि उन तक मेरी यह बात पहुंचा दी जाए। जब पैसा कम करने की बात आती है तो दूसरी चीजों पर जो पैसा खर्च होना होता है, उसको कम करने की कोशिश नहीं की जाती, सिर्फ एजुकेशन ही उनको मिल जाता है जिस पर वे पैसा कम कर दें। हमने देखा है कि दूसरे मुल्कों में टोटल इनकम का पांच और छः परसेंट एजुकेशन पर खर्च किया जाता है लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हम एक परसेंट भी खर्च नहीं करते हैं। चूंकि हम एजुकेशन पर इतना कम खर्च कर रहे हैं इस वास्ते जितनी भी गड़बड़ियां हो रही हैं, वे इसी बात का नतीजा है। जिधर भी हम देखते हैं सच्चाई की, भक्ति की, श्रद्धा की, ईमानदारी की कमी पाते हैं। हम पैसा यूनिवर्स्टी में, स्कूल में और उनकी बिल्डिंग्ज़ में खर्च कर देते हैं लेकिन जहां पर बच्चों का कारेक्टर बनता है, जिस तरह से वह बन सकता है, उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे का कारेक्टर बनाने की जहां तक बात है, मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि ६० परसेंट मां अपने बच्चों का कारेक्टर बनाती हैं और २० परसेंट स्कूल में बनता है, बाकी ५ या १० परसेंट समाज में बनता है। बच्चों की तरक्की के लिए यह तीन इन्स्टीट्यशन्स होने चाहिये : मां, घर और स्कूल। समाज की एजुकेशन जैसी होती है समाज भी वैसा ही होता है। मां जो घर में बन्द है उसको एजुकेशन देने वाला आज कोई नहीं है। यही वजह है कि आज बच्चों का विकास ठीक नहीं होता है और आपके यहां स्ट्राइक होते हैं, और तमाम दूसरी चीजें गड़बड़ होती हैं। देश में बेईमानी फल रही है और हमारा सारा काम खराब हो रहा है। इसका कारण केवल मांओं का ठीक से न पढ़ना ही है। आपको आजादी प्राप्त किये हुए १२, १३ साल हो गये लेकिन बहनों के पढ़ने का परसेंटेज कितना बढ़ा है ? लड़कों और लड़कियों का परसेंटेज स्टेट स्टेट में अलग अलग है। यह स्टेट स्टेट में ही अलग अलग हो यह बात नहीं है, अरबन और रूरल एरियाज़ में भी फर्क है। बिहार, राजस्थान और उड़ीसा में लड़कियों के पढ़ने का परसेंटेज २ परसेंट से ज्यादा नहीं है प्राइमरी स्कूलों में। मिडिल स्कूलों की तो बात ही क्या की जाय। अरबन एरियाज में मिडिल

[श्रीमती लक्ष्मीबाई]

स्कूल होते हैं । २ परसेंट तो अरबन एरियाज में लड़कियों की संख्या होती है, रूरल एरियाज में तो शायद वह सिफर ही होता है । मैं इस तरफ प्लानिंग कमिशन की तवज्जह दिलाना चाहती हूं कि वे कहीं पर भी काट कर दें, लेकिन एजुकेशन में कमी करने से वह घर के दरवाजे को निकाल कर बाहर फेंकने के बराबर होगा । आज देश की ईमानदारी खत्म हुई जा रही है क्योंकि स्टूडेन्ट्स को सही एजुकेशन नहीं मिल रही है यूनिवर्सिटीज और स्कूलों में । आज वहां पर विद्यार्थी ट्रान्सलेशन पढ़ते हैं जिससे वहां की एजुकेशन बिल्कुल आर्टिफिशल हो गई है । जातीयता की दृष्टि से हिन्दुस्तान में सब से अच्छी शिक्षा मां देती है । मारल और रिलिजस एजुकेशन मां देती है । मां के अलावा और कोई नहीं दे सकता है । और वह सही एजुकेशन दे सकती है । लेकिन मां के अच्छा बनने से ही बच्चों की शिक्षा सही हो सकती है । मुझे इस सम्बन्ध में दो तीन बातें कहनी हैं । मैं आपसे अपील करती हूं कि आज स्टेट ट स्टेट जो फर्क दिखलाई देता है उस को मिटाइये, रूरल और अरबन एरियाज का जो फर्क है उसको मिटाइये । आज देश के लड़के और लड़की का फर्क मिट जाना चाहिये । लेकिन इस चीज के वास्ते आज जितना पैसा चाहिये वह आप देने के लिये तैयार नहीं हैं । आप कहते हैं कि बच्चे आपके पास बहुत हैं और आपकी इतनी ताकत नहीं है कि आप सबके लिए पैसा दे सकें । गर्ल्स एजुकेशन प्लैनिंग कमिशन स्टेट के हाथ में छोड़ रहा है, यह दुःख की बात है । स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दूसरे स्कूल हैं, लेकिन गर्ल्स एजुकेशन सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट से सम्बन्धित होनी चाहिये । स्टे स आज इसकी तरफ पूरी तवज्जह नहीं देती हैं । मेरा तो मत यह है कि गर्ल्स एजुकेशन और टीचर्स की सैलरी का सम्बन्ध सीधा सेंटर से होना चाहिये ।

मैं आपके सामने टीचर्स के बारे में क्या कहूं ? जो लोग आज दफ्तरों में पंखों के नीचे बैठ कर काम करते हैं उनकी तनख्वाह ज्यादा होती है, लेकिन जो लोग आठ घंटे बच्चों के बीच में बैठते हैं, जो बच्चों को बनाना चाहते हैं, उसके लिए अपनी एनर्जी खर्च करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, उनके सारे शोरगुल को बर्दाश्त करते हैं और इतनी पेशेन्स से काम करते हैं, उनकी तनख्वाह आज ४०, ४० रु० मासिक है । यही वजह है कि आज टीचर अच्छे नहीं मिलते । इसलिए तो बच्चों को वे बन्दर ही बना पाते हैं । आज इस तरह के बुद्धू लोग आ रहे हैं । इंजीनिअर बनाने के लिये साइंस वगैरह जरूर होनी चाहिये, लेकिन जिन लोगों को आगे चल कर प्राइम मिनिस्टर बनना है, और बड़े बड़े आदमी बनना है, उनको पढ़ाने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं । स्कूल्स में लड़कियां पढ़ने आती हैं इसलिए वहां पर हर चीज अच्छी होनी चाहिये, बेस्ट टीचर्स होने चाहियें । इसी तरह से प्राइमरी स्कूलों में भी मैं कहना चाहती हूं कि लेडी टीचर्स रक्खी जायें । चूंकि टीचर्स को सैलरी अच्छी नहीं मिलती है इसलिये आज तहसीलों में हजारों लोग काम करने जायेंगे, लेकिन स्कूलों में काम करने के लिये कोई नहीं जाना चाहता । कई लोग तो अप्वाइंट होने के बाद लिख कर भेज देते हैं कि उनके लिये सैलरी तो कम है लेकिन काम ज्यादा है । इसलिये मैं कहती हूं और इसको नोट कर लिया जाय कि टीचर्स की सैलरी का मामला डाइरेक्ट सेंटर के नीचे होना चाहिये । साथ ही १०० रु० से कम किसी टीचर को नहीं मिलना चाहिये । हम देखते हैं कि टीचर्स की सैलरी के नियमों को कई स्टेट्स ने अब तक इम्प्लिमेंट नहीं किया है । मैं कहती हूं कि जो स्टेट्स अपने यहां के टीचर्स की सैलरी नहीं बढ़ाती हैं उनकी एड बन्द कर दी जाय । आप इस मामले में रुकावट पैदा कीजिये जिसमें वे ज्यादा देर न कर सकें । आप उनसे कहिये कि चूंकि वे टीचर्स की सैलरी बढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं इसलिये दूसरे अमाउंट भी नहीं मिलेंगे । जब आप इस तरह से करेंगे तभी टीचर्स की सैलरी बढ़ सकेगी ।

आज समय आ गया है जबकि रूरल एजुकेशन बढ़नी चाहिये । आप सैनिटरी इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग भी शरू करने जा रहे हैं । इसी सिलसिले में नाइट स्कल का मामला भी आता है । मैं आपको

एक सूचना देना चाहती हूं कि आप जैसे नाइट कालेज बना रहे हैं उसी तरह से पहले हमने हैदराबाद में बनाया था । और कहीं पर भी हिन्दुस्तान में वैसा नहीं हुआ । हैदराबाद में वह कालेज पन्द्रह साल से चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है । इसके लिये मैं सुझाव देना चाहती हूं कि जिस तरह से आप नाइट कालेज बना रहे हैं उसी तरह से स्कूल भी होने चाहिये लड़कियों के लिये और उनमें शार्ट कोर्सेज रखिये ।

आज आप लोग रा हैंड्स रख कर शिक्षा का काम करवाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस काम में आपकी मदद कर सकते हैं और बहुत अच्छी मदद कर सकते हैं । बहुत से रिटायर्ड टीचर्स हैं जो कि आपके यहां आनरेरी काम करने के लिये तैयार हो सकते हैं । हां यह है कि उनको प्रोत्साहन देने के लिये आप को कुछ करना चाहिये । आप उनको टाइटल वगैरह दे सकते हैं जिस से उनको उत्साह हो काम करने का । आज बहुत से ऐसे आदमी बैठे हुये हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं । वे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं लेकिन चूंकि उनको अच्छा काम नहीं मिल सकता है,इसलिये वे बेकार बैठे रहते हैं और काम न होने के कारण उनकी तन्दुरुस्ती खराब हो जाती है और वे जल्दी ही मर जाते हैं । इसलिये मैं चाहती हूं कि आप पढ़ाने का काम रिटायर्ड लोगों से लें । अगर आप उनको रक्खेंगे तो पढ़ाई अच्छी हो सकेगी और बच्चों को घरों में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी । आप बच्चों को होम साइंस सिखला दीजिये । उनको बतलाइये कि किस तरह से रहना चाहिये । अगर वह ठीक से और सफाई से रहना सीख जायेंगे तो उनकी हैल्थ अच्छी होगी और उनकी हैल्थ को ठीक रखने के लिये आपको बहुत कम पैसा खर्च करना होगा । वह पैसा आप एजुकेशन की तरफ खर्च कर सकते हैं । जब अच्छे सिटिजन्स होंगे तो वे अपने को कंट्रोल करके रक्खेंगे और वे लड़ेंगे नहीं । वे बड़े होकर अगर अच्छे आदमी बनेंगे तो आपको पुलिस पर कम खर्च करना होगा क्योंकि देश में गड़बड़ी कम होगी । इस तरह से अगर हैल्थ पर कम खर्च करना होगा, पुलिस पर कम खर्च करना होगा, अगर हिन्दुस्तान में अच्छा काम होने लगे तो यह बहुत सी चीजें बेकार हो जायगी । अच्छा काम सही एजुकेशन से हो सकता है । अगर किसी बच्चे में कोई खराबी होती है तो सब उससे पूछने लगते हैं कि कहां पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, किस टीचर ने पढ़ाया है । इस तरह से छोटी छोटी बातों से एजुकेशन और एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन पर धब्बा आ जाता है । आज दुनियां में जो भी गड़बड़ी हो रही है सिर्फ खराब एजुकेशन की वजह से हो रही है । इसलिये मैं समझती हूं कि प्लैनिंग विभाग वाले और एजुकेशन विभाग वाले यह फील करेंगे कि एजुकेशन पर ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिये । लेकिन मैं यहां पर एक बात देखती हूं । सन् १९६१–६२ का जो बजट है वह १०२३ करोड़ रु० का है लेकिन आप एजुकेशन पर क्या खर्च कर रहे हैं । कुल १८ करोड़ रु० । लगभग १००० करोड़ में से १८ करोड़ आखिर कितना होता है ? इस पर आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिये, और खुसूसन् एजुकेशन के लिये जो औरतों की नैशनल कौंसिल है वह जो सुझाव देती है उनको पूरा करना चाहिये । अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं समझती हूं कि आपके बच्चे और भी पन्द्रह साल तक कमजोर ही चलते रहेंगे ।

श्री नरदेव स्नातक (अलीगढ़–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कहने से पहले शिक्षा मंत्री जी को और उनके मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूं । बहुत वर्षों के बाद यह पहला अवसर है कि संस्कृत के संबंध में शिक्षा मंत्रालय ने काफी उदारता से काम लिया है ।

आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा को मृतप्राय कहा जाता है । लेकिन हमारे डाक्टर साहब ने उसमें कुछ ऐसी जान डाली है कि उसको अब मृतप्राय नहीं कह सकते । जितनी भारतीय भाषाएं हैं संस्कृत उनकी जननी है । मेरा तो सुझाव है मंत्री जी से कि स्कूलों में संस्कृत पढ़ाने का कुछ न

[श्री नरदेव रनातक]

कुछ समय निश्चित किया जाये और इसको कम्पलसरी किया जाये। दूसरे जो संस्कृत पढ़ाने वाले अध्यापक हों वे शास्त्री, आचार्य आदि उपाधि वाले व्यक्ति हों और उनका वेतन वही हो जो स्कूलों और कालिजो में अंग्रेजी पढ़ाने वाले अध्यापकों और प्राध्यापकों का होता है। इसी तरह से मेरा सुझाव है कि जो प्रश्न पत्र संस्कृत में आयें उनका उत्तर भी संस्कृत या हिन्दी या प्रादेशिक भाषाओं में हो, अंग्रेजी में न हो। अगर ऐसा किया जायेगा तो मेरा विश्वास है कि जो संस्कृत के बारे में यह धारणा है कि यह सब भाषाओं की जननी होते हुये भी मृतप्राय है यह धारणा दूर हो जायेगी। इसके लिये, जैसाकि कहा गया है, बहुत कम पैसा रखा गया है। मेरा सुझाव है कि संस्कृत के प्रचार और विस्तार के लिये कम से कम एक करोड़ रुपया रखा जाये।

दूसरी बात मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अनेकों वर्षों से प्रयत्न करने के बाद भी हम उन गुरूकुलों को जो प्राचीन पद्धति से शिक्षा देते हैं काफी सहायता नहीं दे पाय हैं, उनकी उपेक्षा होती रही है। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारे सामने आने वाली है उसमें गुरूकुलों के लिये कुछ रुपया रखा गया है। मैं समझता हूं कि वह रकम दस लाख है। यह रकम हमारे देश के गुरूकुलों के लिये काफी कम है। उनकी शिक्षा का स्तर काफी ऊंचा है। इसलिये जो पैसा यानी दस लाख रखा गया है वह कम है। इसमें कुछ न कुछ वृद्धि करनी चाहिये। मेरा सुझाव है कि गुरुकुलो के लिये कम से कम ५० लाख रुपया रखना चाहिये। ये जो गुरुकुल हैं इनकी पुरानी शिक्षा पद्धति है जिसमें शिक्षा के साथ साथ सदाचार पर अधिक ध्यान दिया जाता है। शिष्य गुरुओं के साथ रहते हैं और शिष्यों का गुरुओं का ज्यादा से ज्यादा सम्पर्क रहता है। इससे उनको शिक्षा भी अच्छी मिलती है। अगर गुरुकुलों को आर्थिक सहायता दी गयी तो हम उस पुरानी शिक्षा पद्धति को कायम रखने में सफल होंगे।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अंग्रेजो के राज्य में यह पद्धति समाप्त प्राय थी। स्वराज्य होने के बाद इसमें कुछ जान आयी और हम कह सके कि हमारी भी एक पुरानी शिक्षा पद्धति है। इसलिये गुरुकुलों के लिये और स्कूलों में संस्कृत का प्रचार और विस्तार करने के लिये कम से कम एक करोड़ रुपया तो रखना ही चाहिये।

इसके बाद मैं मंत्रालय को जो उसने हिन्दी के संबंध में प्रयत्न किया है उसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने देखा है कि कुछ ही वर्षों में मंत्रालय ने इस दिशा में काफी प्रयत्न किया है और नागरी प्रचारिणी सभा में एक विश्वकोष का भी निर्माण कराया जा रहा है। एक भाग पूरा हो चुका है और दूसरे भाग की तैयारियां हो रही हैं। इसके लिये मैं मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं। परन्तु इन कामों में काफी ढील हो रही है। इसमें शीघ्रता की जाये।

वैज्ञानिक शब्दावली का निर्माण किया गया है लेकिन जैसा कि सेठ गोविन्द दास जी ने कहा, उनकी संख्या बढ़ाकर बतायी जाती है। मेरा मंत्रालय से निवेदन है कि वह इस दिशा में तेजी से प्रयत्न करे और विश्वकोष की इस समय देश को बड़ी आवश्यकता है। इसको शीघ्र से शीघ्र तैयार कराना चाहिये जिससे हिन्दी का प्रसार और विस्तार के लिये उनका उपयोग किया जा सके।

इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मंत्रालय हैं उनमें जो हिन्दी के शिक्षक हैं उनकी संख्या काफी कम है। मंत्रालय काफी हैं और उनमें काम करने वालों की काफी संख्या है। अगर पढ़ाने वाले थोड़े हों और पढ़ने वाले ज्यादा संख्या में हों तो

बड़ी कठिनाई होती है। तो मेरा निवेदन है कि इस दिशा में भी प्रयत्न किया जाये और इन अध्यापकों की संख्या बढ़ायी जाये। ऐसा करने से जो मंत्रालयों के कर्मचारी हिन्दी पढ़ना चाहते हैं उनका भी कार्य होगा और साथ ही जो हमारा उद्देश्य है कि सन् १९६५ तक हिन्दी राष्ट्रभाषा के पद पर पूरी तरह आ जाये वह भी पूरा हो जायेगा। इस ओर भी शिक्षा मंत्रालय को ध्यान देना चाहिये ।

इसके साथ ही साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कुछ सुझावों के बारे में भी कह देना चाहता हूं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह कहा है कि जो उच्चस्तरीय शिक्षा देने वाले विश्वविद्यालय हैं उसमें काफी भीड़ भाड़ हो रही है। आप जानते हैं कि जो विद्यार्थी माध्यमिक स्कूलों से पढ़कर निकलते हैं उनके पास किताबी ज्ञान के सिवा और कुछ चीज नहीं होती, उनको किसी कलाकौशल या धन्धे की शिक्षा नहीं होती। वे केवल किताबी ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं। ये लोग विश्वविद्यालयों में जाने की कोशिश करते हैं और इस कारण विश्वविद्यालयों में काफी भीड़ हो रही है और इस कारण शिक्षा का स्तर नीचे गिर रहा है और इस भीड़ भाड़ के कारण ही अनुशासनहीनता भी बढ़ रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने तो यह भी कहा है कि योग्य अध्यापकों के अभाव के कारण ही हमारे विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता फल गयी है। लेकिन इसका कारण भी तो विश्व-विद्यालय ही हैं। वे यदि योग्य अध्यापक रखें तो योग्य विद्यार्थी बनें और अनुशासन में भी रहें। बात यह है कि विश्वविद्यालयों से जो अच्छे विद्यार्थी निकलते हैं वे अन्य सरकारी नौकरियों में चले जाते हैं और व्यावसायिक फर्मों में चले जाते हैं क्योंकि उनको वहां अच्छा वेतन मिलता है और उनकी इज्जत भी होती है। वे पढ़ाने के काम में नहीं जाना चाहते क्योंकि वहां वेतन बहुत कम मिलता है। जो व्यक्ति विश्वविद्यालय से निकलते हैं उनका ध्यान यही होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लें और कम से कम काम करें। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का यह कहना है कि हमको चाहिये कि हम इसमें कुछ बन्दिश लगायें। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि अमरीका जैसे देश में जहां कि शिक्षितों का प्रतिशत ९५ जितना है, वहां एक हजार व्यक्तियों के पीछे १७ व्यक्ति विश्वविद्यालयों में जाते हैं, जबकि हिन्दुस्तान में जहां ३५ प्रतिशत शिक्षित हैं वहां एक हजार के पीछे २–५ व्यक्ति विश्वविद्यालय में जाते हैं। इस तरह से देखा जाये तो हमारे देश में शिक्षा का विस्तार कम है। अंग्रेजी राज्य में तो बहुत कम था। स्वराज्य के बाद इस दिशा में काफी प्रयत्न किया गया है। तो आज की स्थिति में हमें विश्वविद्यालयों में भीड़ भाड़ को रोकने के लिये प्रयत्न करना ही पड़ेगा ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे बच्चों में अनुशासन हीनता बहुत बढ़ गयी है और उसका कारण यह है कि यूनियन्स और दूसरी संस्थाओं के चुनाव। इसके अतिरिक्त कुछ राजनीतिक पार्टियां भी स्कूलों और कालिजों के विद्यार्थियों और अध्यापकों से चुनावों में सहयोग लेती हैं। मेरा निवेदन है कि दलगत राजनीति से विद्यार्थियों और अध्यापकों को दूर रखना चाहिए। मेरा तो यहां तक कहना है कि अध्यापकों को तो कम से कम संसद के और पार्लियामेंट के चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए। यदि अध्यापक और प्राध्यापक दलगत राजनीति से दूर रहेंगे तो बच्चों में अनुशासन की भावना बढ़ेगी और पढ़ने लिखने में ध्यान देंगे। जो सुझाव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिए हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन पर अमल होना चाहिए। मेरा शिक्षा मंत्रालय से कहना है कि उन चीजों के विस्तार के लिए ज्यादा रुपया रखना चाहिए ।

एक बात जो कि हमारे कुछ साथियों ने कही है वह यह है कि इस समय देश के अन्दर धार्मिक भावना का अभाव है। जब तक शिक्षकों में या विद्यार्थियों में धार्मिक भावना नहीं

[श्री नरदेव स्नातक]

होगी तब तक वे सच्चे अर्थों में शिक्षक या विद्यार्थी नहीं कहे जा सकते। यह कहा जाता है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। यह ठीक है लेकिन धार्मिक शिक्षा की जरूर आवश्यकता है।

सदाचार की शिक्षा का भी कम महत्व नहीं है। सदाचार क भी स्कूलों और कालेजों में नम्बर गिने जाने चाहियें। अगर इसके भी नम्बर दिए गए और इस आधार पर उनको पास और फेल किया जाएगा तो लोग समझेंगे कि उनको अनुशासन में रहना चाहिये, उनको पढ़ना लिखना चाहिये। सदाचार और धर्म की शिक्षा भी अगर दी जाए तो हमारा काम चल सकता है। बिना इन विषयों की शिक्षा दिए हुए हमारी जो शिक्षा है वह अधूरी ही रहने वाली है। शिक्षा में सदाचार के अंकों का और धर्म के अंकों का समावेश अत्यावश्यक है।

वेतन जो बढ़ाये गये हैं तथा इनको बढ़ाने के लिए जो रुपया रखा गया है उसके लिए माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। कुछ न कुछ इस दिशा प्रयत्न किए जा रहे हैं। जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है, इसमें चौदह करोड़ रुपये तृतीय योजना में अध्यापकों के वेतन बढ़ाने के लिए रखे गए हैं। चार सूबों में ५५ से लेकर ६५ रुपये तक की वृद्धि हुई है, पांच राज्यों में ६५ से लेकर ७५ रुपये तक की वृद्धि हुई है और शेष चार राज्यों में ७५ से अधिक की वृद्धि हुई है। इस तरह से पता चलता है कि शिक्षा मंत्री महोदय ने कुछ वेतनों में वृद्धि की है। यह बहुत अच्छी बात है। मैं आशा करता हूं कि अध्यापकों के वेतनों पर, जिन पर कि राष्ट्र के भावी निर्माता तैयार करने का उत्तरदायित्व है, सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। सरकार कहती है कि जो बच्चे स्कूल और कालेजों में पढ़ते हैं, वे राष्ट्र के निर्माता होने जा रहे हैं। जब ये राष्ट्र के निर्माता होने जा रहे हैं तो इन निर्माताओं को जो बनाने वाले हैं, उनको ही खाना नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, रहने के लिए मकान नहीं मिलेगा कैसे वे इन निर्माताओं को बना सकेंगे। ऐसी दशा में मैं आशा करता हूं कि अध्यापकों के मामले में कुछ न कुछ अवश्य किया जाएगा और शीघ्र ही किया जाएगा।

अन्त में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि संस्कृत के प्रसार और प्रचार के लिए अधिक कोशिश की जाए और गुरुकुलों की ओर अधिक ध्यान दिया जाए। गुरुकुलों में जो शिक्षा दी जाती है वह जो भारतीय संस्कृति है, उसका आधार है, मूलाधार है और इस शिक्षा पद्धति की ओर ध्यान देकर हम अपने देश को ऊंचा उठा सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं।

साथ ही साथ मैं यह भी चाहता हूं कि गुरुकुलों के लिए जो १० लाख रुपया रखा गया है, इसमें वृद्धि की जाए, इसको कम से कम ५० लाख किया जाए और संस्कृति के प्रसार के लिए कम से कम एक करोड़ रुपया रखा जाए और हिन्दी और संस्कृत के लिए पांच करोड़ की कम से कम व्यवस्था की जाए। यदि यह किया जायगा तो जरूर शिक्षामंत्री जी और भी अधिक धन्यवाद के पात्र होंगे।

श्रीमती जयावेन शाह (गिरनार): अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रालय पर बोलने पर का जो आपने मझे अवसर दिया है, उसके लिए हैं मैं आपको बधाई देती हूं।

हम देखते हैं कि सिलेवस के अतिरिक्त एजुकेशन में जो भी त्रुटियां हमें नजर आती हैं और जैसे-जैसे नजर आती हैं, वैसे-वैसे उनको दूर करने का हम प्रयत्न करते हैं। जब जब सिलेबस में कोई परिवर्तन करने की बात आती है तो वैसा भी हम लोग करते हैं। जैसे-जैसे हम त्रुटियों

को देखते हैं, वैसे-वैसे नई नई स्कीमें भी शुरू करते जाते हैं। अभी यहां कहा गया है कि स्टुडेंट्स में सर्विस की स्पीरट का अभाव है और जो उनका मारेल स्टैंडर्ड है वह गिर रहा है। इस तरह की चीजें जब नजर में आती हैं तो नयी स्कीम बना कर पूर्ति करना चाहते हैं। नैशनल डिसिप्लिन स्कीम हमने चलाई, नैशनल सर्विस स्कीम हायर एजुकेशन के बाद आने वाली है और मारल और रिलिजस एजुकेशन की भी एक स्कीम बनने वाली है। इसके बारे में कमेटी बनाई गई है। उसने कुछ सिफारिशें भी की हैं। इस सम्बन्ध में मेरी प्रार्थना यह है कि सारे का सारा जो सिलेवस है, सारे का सारा जो करिकुलम है, इसको फिर से देख लिया जाए और कैसे ऊंचे दर्जे की एजुकेशन दी जा सकती है, इस पर पूरी तरह से विचार करने के बाद, और त्रुटियों को निकालने के बाद एक पूरी स्कीम बनाई जाए और जिस तरह से ह्यमन परसनेलिटी इंटैगरेट होती है, उसी इंडिकेटिड परसनेलिटी के तौर पर एजुकेशन भी हो तो अच्छा रहेगा। आज जो कोंसिस हैं, उनसे सभी बीमारियां पैदा होती है। उन बीमारियों को कैसे दूर किया जाए, इसे कमेटी नियुक्त करके देखना चाहिए।

माननीय सदस्यों ने एलीमेंटरी एजुकेशन के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। इस एलीमेंटरी एजुकेशन के बारे में हमारी कुछ कांस्टीट्यूशनल आबलीगेशंज हैं। इन आबलीगेशंज को पूरा करने के लिए हमें देखना होगा यहां पर अच्छी से अच्छी स्कीमें तैयार की जाती है, मगर इन स्कीमों को इम्प्लेमेंट करने की जिम्मेदारी स्टेट्स पर आती है। यह कांस्टीट्यूशनल प्राविजन है। स्टेटों में हम देखते हैं कि जितना महत्व इस काम को दिया जाना चाहिये उतना महत्व वे नहीं देती हैं। पोर्टफोलियो को भी देखें तो हमें पता चलेगा कि एजुकेशन को जितना महत्व दिया जाना चाहिये, नहीं दिया जाता है। यह पोर्टफोलियों किसी जूनियर मिनिस्टर को दे दिया जाता है। यहां पर जो मिनिस्ट्री में लोग हैं, जो स्टाफ है, उसकी इस बारे में काफी दिलचस्पी है और वे ऐसे लोग हैं जो कि काम को आगे बढ़ा सकते हैं। मगर स्टेट्स में आप जायें और देखें तो पता चलेगा कि आज अगर कोई रेवेन्यू सैक्रेटरी है तो कल उसको एजुकेशन सैक्रेटरी बना दिया जाता है, आज कोई होम सैक्रेटरी है तो कल उसको एजुकेशन सैक्रेटरी बना दिया जाता है। यह जो एजुकेशन की बात है यह एकेडामिक है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं है।

आज देखा जाता है कि जो स्कीमें यहां से जाती हैं, वे वहां जाते जाते, दूसर ही ढंग की हो जाती हैं, उनका रूप ही बदल जाता है। उनका जो कंटैंट है, जो माना है, वह ही बदल जाता है। मैं चाहती हूं कि इस ओर आपका ध्यान जाए। इस सम्बन्ध में स्टेटों का ठीक तरह से मार्गदर्शन किया जाना चाहिये।

एलीमेंटरी एजुकेशन जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है, डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है। हम पर यह एक आबलिगेशन है, मारल भी और कांस्टीट्यूशनल भी और साथ ही साथ नैशनल भी। इसमें जो हमने दिलचस्पी ली है, जो उन्नति की है और जहां हम पहुंचे हैं, वह कम नहीं है। काफी सकसेस हमने इस मामले में हासिल की है। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो परसेंटेज हमने हासिल किया है, उसमें लड़के ही अधिक हैं और लड़कियों की संख्या बहुत कम है। जो लड़कियां शालाओं में आई हैं, वे बहुत ही कम संख्या में आई हैं। बहुत बड़ी तादाद लड़कियों की है जो शालाओं में नहीं आती हैं। विमेन नैशनल कांउंसिल ने जो सिफारिश की थी विमेन की एजुकेशन के बारे में उसके अनुसार अगर हम लड़कियों को शालाओं में लाना चाहते हैं और ८० परसेंट का जो हमने टारगेट रखा है, उसको अचीव करना चाहते हैं तो वह इस धीमी गति से हम प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से आज हम चल रहे हैं अगर उसी तरह से चलते रहे तो वह टारगेट कभी भी हासिल

[श्रीमती जयाबेन शाह]

हो सकता है। आज भी देखा जाता है कि देहातों में, रूरल एरियाज में लड़कियों को मुश्किल से शालाओं में भेजा जाता है। उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं होती हैं कि वे भेजें और औथोंडोक्सी भी उनमें है। इस वास्ते मैं चाहती हूं कि लड़कियों के बारे में आप कोई खास प्रबन्ध करें। यह बहुत जरूरी है। प्लानिग कमिशन ने जो रकम मंजूर की है, देखने में आ रहा है, कि अब उसमें भारी कट हो जाएगा। एलीमेंटरी एजुकेशन जो है और जो विमेंज एजुकेशन है, उसके लिए जो रुपया रखा गया है, जो प्रोग्राम ड्रा अप किए गए हैं, उनके पैसे को बहुत काटा गया है और अब मैं समझती हूं कि जो हमारा मकसद है, वह कभी भी पूरा नहीं होगा। ८० परसेंट का जो टारगेट आपन रखा है, वह हासिल नहीं हो सकेगा, वह काफी नीचा रह जाएगा। अगर हम कांस्टिट्यूशनल आबलीगेशन को पूरा करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो विमेंज एजुकेशन पर हमको खास तौर से ध्यान देना होगा।

हमारी बहने जो देहातों में काम करती हैं, उनके लिए क्वार्टरों का खास तौर से हमें प्रबन्ध करना होगा। यह बहुत आवश्यक है। आज बहनें पढ़ती तो हैं, लेकिन वे पढ़ाने के लिए रूरल एरियाज में जाना पसन्द नहीं करती हैं और न ही जाती हैं। उनको, जैसे कुछ क्षेत्रों में इंसैंटिव बोनस दिया जाता है, अगर कोई बोनस के तौर पर चीज़ दी जाए तो वे जाने के लिए तैयार हो सकती हैं और हमारा कार्य आगे बढ़ सकता है।

आज देखने में आता है कि जब भी कोई काम फालतू करवाना होता है तो टीचर्ज के जरिये करवा लिया जाता है। अभी हाल में ही सैंसस चला था उस काम के लिए टीचर्ज को लगा दिया गया। अगर कोई स्टेटिसटिक्स इकट्ठा करने की बात आती है, तो इनको इस काम को करने के लिए कह दिया जाता है। अगर लाइव स्टाक की गिनती करने की बात होती है, तो यह काम भी उनको सौंप दिया जाता है। हमारा अनुभव है कि हाल में जो सैंसस हुआ है उसमें ५० परसेंट टीचर्ज लगा लिये गये थे और इन दिनों में शालायें करीब-करीब बन्द सी रही थीं जिसका नतीजा यह हुआ कि बच्चों की बढ़ाई नहीं हुई। मैं यह नहीं कहती कि उनको सैंसस के काम में नहीं लगाया जाना चाहिये। मगर हर काम में ही उनको लगा दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिये। टीचर्ज का काम यही है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी वे शिक्षा दें, यही उनका प्राइमरी फंकशन है एंड इट इज दी ओन फंकशन। यह चीज़ साफ हो जानी चाहिये। जब हम एलिमेंटरी एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके साथ म बेसिक एजुकेशन की बात इस लिये कह रही हूं कि हमारी एलेमेंटरी एजुकेशन बेसिक एजुकेशन में होने वाली है, ऐसा हम को बतलाया गया है। मैं समझती हूं कि आज कल बेसिक एजुकेशन जिस तरीके से चल रही है, उसमें उसका जो कन्टेन्ट है उसे ही भूलते जाते हैं। यह हो सकता है कि हम पूरा सामान न दे सकें, हो सकता है कि जितनी सुविधा उसके लिये चाहिये वह हम आज न दे सकें, लेकिन उसका जो कन्टेन्ट है कि हम बच्चों को किस तरह हैन्डल कर, उनको कैसा हमको बनाना है, उसके बारे में हमारे बीच में पूरी सफाई नहीं है। इस बारे में हम एक तरह से नहीं सोचते हैं, और इसलिये मैं समझती हूं कि यहां जो बेसिक एजुकेशन इन्स्टिट्यूट बनाया गया है उसको इसकी जिम्मेदारी दी जाय कि ऐसा लिटरेचर प्रोड्यूस करें, ऐसी रिसर्च करें जिससे सारे देश को लाभ मिले। आज जो काम चल रहा है उसमें सुलभ उद्योगों के ऊपर कुछ और रिसर्च हो रही हैं। ठीक है, होनी चाहिये, लेकिन इससे आगे कुछ और करना है जिससे सही माने में वह हमें हेल्पफुल हो सके।

हायर एजुकेशन के बारे में और बहुत सी बातें हो रही हैं । हमें इस की चिंता जरूर करनी चाहिये लेकिन जितनी चिंता एलिमेंटरी एजुकेशन की होनी चाहिये उतनी करने की जरूरत नहीं है । अभी हायर एजुकेशन यूनिवर्सल एजुकेशन नजर नहीं आती है । यहां ही नहीं, दुनियां भर में नजर नहीं आती है । हमें दूसरे देशों का जो परसेंटेज बतलाया गया है उस से वे कहते हैं कि हम निराश हैं । हमें निराशा नहीं है । वह कहते हैं कि विदेशों में १,००० के पीछे कुल ३५ बच्चों को हायर एजुकेशन मिल सकती है, हमारे यहां केवल २ परसेन्ट को मिल सकती है । लेकिन यह हमारे लिये कोई निराशा की बात नहीं है । मगर मैं एक बात साफ करवाना चाहती हूं । हायर एजुकेशन का मकसद आज साफ नहीं है कि वह धन्धों के लिये हैं या सिर्फ स्टेडी के लिये है । मेरी समझ में यह नहीं आती है । टेकनिकल एजुकेशन के लिये तो बात साफ हो गई , लेकिन जो आर्टस कालेज चल रहे हैं, हमें उन के बारे में सोचना है । उस के सम्बन्ध में यह सोचा जा रहा है कि ईवनिंग कालेज चलाये जायें, हो सके तो रात में भी चलायें, एक्स्टर्नल डिगरीज के लिये चलायें । मैं तो यह सुन कर दंग रह जाती हूं कि आखिर हम क्या करना चाहते हैं । हम बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं । जहां तक आर्टस की बात है उस से क्या फायदा होगा । ह्यूमैनिटीज में तो अभ्यास होता है, लेकिन आर्टस में कैसे हो सकता है । वहां पर लड़के कुछ अभ्यास भी नहीं कर सकते और कुछ सीखते भी नहीं हैं । बाहर जा कर वे कुछ पैदा नहीं करते हैं और अनएम्प्लायमेंट बढ़ रहा है । अगर डिगरी वितरित करना ही मकसद है तो उस का रास्ता दूसरा हो सकता है, लेकिन अगर बच्चों को विद्याधन देना है तो उस का रास्ता यह नहीं है । इस के बारे में शिक्षा मंत्रालय को बिलकुल साफ हो जाना चाहिये । ज्यों ज्यों इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे उस से तकलीफें ज्यादा होंगी और बच्चों में इन्डिसिप्लिन बढ़ेगी, और जिन को हम पढ़ायेंगे वे हमारे खिलाफ हो कर रहेंगे जिस से उन की लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आयेगा ।

अब मैं मीडियम के बारे में कहना चाहती हूं । कई सालों से इस पर चर्चा हो रही है । मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों इस की इतनी बात की जाती है । यह एक बिल्कुल सीधी सादी बात है जिस पर कोई डिफरेंस आफ ओपीनियन होने का सवाल नहीं है । सारे विश्व में ऐसा ही चल रहा है जिस की जो भाषा है, जो घर में वह सीखता है, जो वह बोलता है, जो उस के अन्दर आत्मसात हो गई है, उस से भी अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सकता है वह उसी में हो सकता है । जितना अपनी मातृ भाषा में हो सकता है उतना विश्व की किसी और भाषा में नहीं हो सकता । इस में कोई नई बात नहीं है । लेकिन मुझे कहने में थोड़ा रंज होता है । यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमिशन ने जो वर्किंग ग्रुप बनवाया था, उन्होंने जो सिफारिशें की हैं उन को मैं ने देखा नहीं है, लेकिन जो कुछ पेपर्स में आया है वह वैसे ही है, जैसा कि मैकाले के बारे में हम ने सुना है, यह उसी मेन्टैलिटी को बतला रहा है । मैं समझती हूं कि इस से हमारा काम नहीं चल सकेगा । जब हम मीडियम के बारे में बोलते हैं तो किसी को लगता है कि हम अंग्रेजी के खिलाफ हैं । हम कभी भी अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट के तौर पर सिखाई जाए और अच्छी तरह सिखाई जाय, बच्चे उस को जितना अधिक सीखें उतना ही अच्छा है । लेकिन मीडियम का सवाल एक अलग चीज़ है । मीडियम के बारे में रीजनल लैंग्वेज को ऐडाप्ट करने में जितनी डिले होती है उस से हमारे राष्ट्रीय धन, हमारे बच्चों को, बहुत नुक्सान पहुंच रहा है । बच्चों को उसी में पढ़ाना चाहिये, यह बात स्पष्ट है कि अगर आप यह चीज़ उन लोगों के ऊपर छोड़ दीजिये तो वे अब इंग्लिश मीडियम लेने को

[श्रीमती जयावेन शाह]

तैयार नहीं हैं । मैं मानती हूं कि इस के लिये बहुत से बहाने बनाये जाते हैं । एक बहाना टेक्स्ट बुक्स का है, एक बहाना यह है कि स्टैन्डर्ड गिर रहा है । किस का स्टेन्डर्ड गिर रहा है ? स्टैन्डर्ड कहां है ? मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि कहीं पर आज स्टैन्डर्ड है । आप बड़े पैमाने पर एजुकेशन चलाना चाहते हैं, मास एजुकेशन लागू करना चाहते हैं तो इस की चिन्ता करने की कोई जरूरत नहीं है । लोग खुद हमारे पास आयेंगे । जिन को डिमाक्रेसी का अधिकार दिया गया है और उस का जो उपयोग करते हैं उन की ओर हमें देखना चाहिये । जैसा डा० गोविन्द दास ने बतलाया टेक्स्ट बुक्स के सम्बन्ध में अगर मौलिक कार्य हो सके तो सब से अच्छी बात है, और अगर न हो सके तो किताबों का तर्जुबा कर के, ओरल बता कर के इस चीज़ को जल्दी से जल्दी इम्प्लिमेंट करना चाहिये, नहीं तो मैं समझती हूं कि हायर एजुकेशन कहीं नहीं रहेगी । यह समझ लेना चाहिये कि उस में आज किसी की दिलचस्पी नहीं है कि अंग्रेजी को मीडियम रक्खा जाय ।

इस के बाद मैं एक बात और बतला दूं कि जो हमारी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं, उन को यहां से मदद दी जाती है । जहां तक सेंटिमेंट की बात है, मैं किसी के सेंटिमेंट या फीलिंग को अफेन्ड नहीं करना चाहती, लेकिन जब हम सेंटर की ओर से कोई काम चलाना चाहते हैं तो उस में हमारा कोई आब्जेक्ट होना चाहिये, कोई तस्वीर होनी चाहिये कि हमारी यूनिवर्सिटीज से जो बच्चे निकलेंगे वे ऐसे होंगे, ऐसे होंगे । लेकिन आज हम क्या देखते हैं । दूसरी यूनिवर्सिटीज जो हैं उन के मुकाबले में इन यूनिवर्सिटीज में कोई खास बात नहीं है । पुरान दिनों में जो बात थी, जैसे कि मालवीय जी के दिनों में, उन दिनों में जो गौरव इन को प्राप्त था, वह आज नहीं है । वहां के विद्यार्थियों में ? आज कि उन को अच्छे से अच्छा बनना चाहिये । इसी तरह से पैसा देते जाने में और उन का स्तर ऊंचा न करने से कोई फायदा नहीं है ।

अभी मैं सुन रही हूं कि रूरल हायर एजुकेशन के बारे में थर्ड प्लैन के अन्दर कट आने वाला है । जो सेंट्रली स्पांसर्ड स्कीम है उन पर आप पैसा लगाइये । लेकिन बहुत सी रूरल हायर एजुकेशन की स्कीम्स हैं वे बहुत अच्छी हैं । हमें इस कंटेक्स्ट में चीज़ों को देखना चाहिये । हम अगर बिना कंटेक्स्ट के चीजों को देखेंगे तो कोई प्रोग्राम हमारा पूरा नहीं होगा । आखिर एलिमेंटरी एजुकेशन के बारे में बच्चों की, जो कट आने वाला है उस के बारे में माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है कि इस में क्या होने वाला है । एलिमेंटरी एजुकेशन के बारे में हमारा प्रथम फर्ज है कि कोई कट आने से पहले उन लोगों का ध्यान करें जिन पर इस का प्रभाव पड़ेगा । अगर हम डिमाक्रेसी को चलाना चाहते हैं, अगर जो हमारे मास्टर्स हैं हम उन को एजुकेट करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगी कि डिमाक्रेसी का सक्सेसफुल होना इसी बात पर निर्भर है कि कट प्लैनिंग कमिशन की तरफ से मिनिस्ट्री आफ एजुकेशन पर आने वाला है वह न हो सके । यह सदन एक राय है इस मामले में, और जो माननीय सदस्य इस बारे मे बोले हैं मैं भी उन से सहमत हूं ।

आखिरी चीज़ सोशल वेलफेअर के बारे में है । उस का जो काम चल रहा है उस से बहुत से लोग नाराज हैं और उस का क्रिटिसिज्म भी करते हैं कि हमारा जो एक्स्पेक्टेशन है उतना काम नहीं हो सकता है । या जो सोशल वेलफेअर बोर्ड ने जो

काम किया है उस की रिपोर्ट की बहुत टीका की गई है । मैं समझती हूं कि उन के पास जो मैटीरियल है उन से वे जो काम कर रहे हैं उस को देखें । रूरल एरियाज में जो अनपढ़ बहनें काम कर रही हैं उन्होंने एक हद तक एक वायुमंडल बनाया है, और यह एक समझने की बात है । दे रिक्वायर ए लिट्ल मोर सिम्पैथी ।

मैं ने जो सुझाव दिये हैं, मैं समझती हूं कि माननीय मंत्री महोदय उन पर ध्यान देंगे ।

श्री पद्म देव : (चम्बा) : माननीय अध्यक्ष जी, इस समय देश के अन्दर जिस प्रकार शिक्षा के विस्तार का प्रयत्न किया जा रहा है उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस विभाग ने इस दिशा में पर्याप्त उन्नति की है । शिक्षा का प्रसार इस समय काफी तेजी से हो रहा है । शिक्षा से विस्तार के साथ यह भी विचार है कि विद्यार्थी की मानसिक शक्तियों के विकास के साथ ही साथ उसकी शारीरिक शक्ति का भी विकास हो इसलिए एन० सी० सी०, आसनों आदि व्यायाम द्वारा विकास करने की ओर ध्यान देना आवश्यक है । बेसिक स्कूलों के सम्बन्ध में भी काफी उन्नति हुई है और काफी स्कूलों की संख्या बतायी जा सकती है । अनेक स्कलों के अन्दर कार्य चल रहा है और अनेक विषयों का प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध है यह हम देखते हैं । तकनीकी शिक्षा का भी विस्तार किया जा रहा है , इसके अलावा विद्यार्थियों में अनशासन की शिक्षा के लिए भी प्रयत्न किया जा रहा है । विदेशों में भी विद्यार्थी भेजे जाते हैं ताकि वे वहां की रीति नीति का अध्ययन कर के यहां उसका विस्तार करें और बाहर से भी विद्यार्थी बुलाए जाते हैं और इस प्रकार शिक्षा का आदान प्रदान करने का प्रबन्ध है । इसके साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा के लिए रात्रि पाठशालाएं भी प्रचलित की जा रही हैं । आदिम जातियों, हरिजनों और मजदूरों की शिक्षा के लिए काफी रुपया खर्च किया जाता है, और इसके साथ ही जो हमारे विश्वविद्यालय हैं उनके अन्दर भी काफी परिवर्तन करने का प्रयत्न किया जाता है । उनके लिए काफी धनराशि भी खर्च की जाती है । हम आंकड़ों को देखें तो मालूम होगा कि शिक्षा प्रसार के लिए अनेकों योजनाएं बनी हैं । स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी योजनाएं बनी हैं ऐसा भी हम देखते हैं ।

परन्तु जो शिक्षा इस समय हमारे देश में हो रही है वह कितनी अच्छी है यह तो इस परिणाम को देखने से ही जाना जा सकता है जैसे कि फल को देखकर पेड़ का अनुमान होता है । मैं यह कह सकता हूं कि जहां तक इस वक्त शिक्षा के प्रसार का सम्बन्ध हैं, वह बहुत हो रहा है इसमें शक नहीं है । हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में जहां की आबादी केवल ११ लाख है वहां १२०० के करीब शिक्षा संस्थाएं हैं और एक लाख २५ हजार के करीब लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं और उद्योगों का प्रशिक्षण और दूसरी बातें भी काफी हो रही हैं । लेकिन जितनी ज्यादा शिक्षा बढ़ती चली जा रही है, माननीय मंत्री महोदय को इस बात से खेद अवश्य होता होगा कि उतनी ही बेरोजगारी भी बढ़ रही है । जब लड़का एम० ए० पास हो जाता है और उसकी आयु २० साल से ज्यादा की हो जाती है, तो उसके पास कोई रोजगार नहीं होता लेकिन एक सुनार या लुहार या किसान का लड़का जब १५, १६ या १७ साल का होता है तो वह बारोजगार होता है । किन्तु जो शिक्षित होता है उसको बेरोजगारी का एक पटटा मिल जाता है । तो आज की शिक्षा का परिणाम यह है ।

[श्री पद्म देव]

दूसरी चीज़ शिक्षा के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं। हमारे यहां विद्या के बारे में यह धारणा है :

विद्या ददाति विनयं, विनयं ददाति पात्रतां,
पात्र त्वाद्धन माप्नोति, धनाद्धर्मम् ततो सुखम् ।

अर्थात् विद्या से नम्रता आती है, नम्रता से इन्सान का चरित्र बनता है, चरित्र बनने से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म की वृद्धि होती है और उससे सुख प्राप्त होता है। इस दृष्टि से यदि आज की शिक्षा पर विचार किया जाए तो हम देखते हैं कि जो विद्यार्थी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनमें अनुशासन आज बिल्कुल ही कम है। दूसरे आप जानते हैं कि स्कूलों और कालिजों में विद्यार्थियों और शिक्षकों का पारस्परिक सम्बन्ध कैसा है। मैं इस बारे में अधिक नहीं कहना चाहता। हमारे मंत्री जी इस विषय में अधिक जानते हैं क्योंकि उनको रोजाना इस किस्म के विवादों को निपटाना पड़ता है और उनको इन बातों को देख कर दुःख भी अवश्य होता होगा।

विद्यार्थियों में उच्छृंखलता की वृद्धि अधिक हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जहां शिक्षा का बहुत ही प्रचार और प्रसार हो रहा है, उसके साथ साथ उसके जो परिणाम हैं वे लोगों के अन्दर अधिक कटु नजर आते हैं।

जब से हम आजाद हुए हैं, हमारे देश ने अनेक दिशाओं में प्रगति की है जैसे उद्योग धन्धों में, कृषि आदि में। जहां तक शिक्षा का सवाल है उसमें साक्षरता और उपाधि प्राप्ति में तो बहुत उन्नति हुई है, लेकिन जो विद्या का असली मकसद और उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो रहा है। उसका कारण यह है कि हमने शिक्षा के सम्बन्ध में उसी तरीके का अनुसरण किया है जो कि अंग्रेजों ने चलाया था। अंग्रेज तो क्लर्क चाहते थे अपनी मशीनरी को चलाने के लिये। उन्होंने जो कार्य इस दिशा में आरम्भ किया था उसी को हमने थोड़ा बहुत परिवर्तन करके जारी रखा और उसी का परिणाम है कि जहां हम दूसरी चीजों में आगे बढ़ रहे हैं वहां शिक्षा के सम्बन्ध में अधिक प्रगति नहीं हो रही है।

इसके सम्बन्ध में मैं आपके सामने कुछ सुझाव रखता हूं। एक तो यह है कि जैसे और चीजों की योजना है उस तरह से शिक्षा के लिये योजना नहीं बनायी गई है। उपाधि प्राप्त करने की योजना है और ज्यादा स्कूल और कालिज खोलने की योजना है और उन कालिजों को चलाने के लिये अधिक विश्वविद्यालयों की योजना है। लेकिन इससे तो ज्यादा अच्छा परिणाम नहीं निकला है। मैं चाहता हूं कि अपने देश के अन्दर इस दिशा में भी योजना होनी चाहिये। मेरा सुझाव है कि आठवीं कक्षा तक तो हर स्त्री पुरुष को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जानी चाहिये। आठवीं से जो लड़के ११वीं कक्षा तक जाएं उनको अगर वे गरीब भी हों तो सरकार की ओर से प्रोत्साहन मिलना चाहिये। उनमें से जिस प्रकार के योग्यता के लोगों की आवश्यकता हो वैसे लोग तैयार किये जाने चाहियें। ११वीं कक्षा के आगे जो विद्यार्थी अपने खर्च से आगे जाना चाहें वे जाएं। लेकिन अगर कोई गरीब विद्यार्थी जो योग्य हो और आगे पढ़ना चाहे उसको सरकार की ओर से मदद मिलनी चाहिये। ऐसे लड़कों को इंजिनियर, प्रोफेसर, डाक्टर आदि जिन लोगों की देश में न्यूनता हो वैसा बनाना चाहिये। उनको सरकार की ओर से सहायता मिले और उनको आगे पढ़ने के लिये प्रोत्साहन मिलना चाहिये। जब ये लोग पढ़ कर निकलें तो उनके लिये सरकार की ओर से उपयुक्त रोजगार का प्रबन्ध किया जाना चाहिये ताकि उनकी आजीविका का प्रबन्ध हो सके। और उनको इतना वेतन मिलना चाहिये ताकि वे उससे अपना निर्वाह कर सकें।

आज कुछ पबलिक स्कूल हैं जिनमें विशेष शिक्षा दी जाती है और वहां विद्यार्थियों को कुछ पैसा भी मिलता है। लेकिन उनके अन्दर भी जो पिछड़े इलाके की जनता है या जो गरीब लोग हैं उनको आगे आने का मौका नहीं मिलता। अगर आप इन संस्थाओं की जांच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें उन्हीं लोगों के बच्चे आते हैं जिनके पास पहले भी धन हैं और जो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस दिशा में भी माननीय मंत्री जी को अधिक ध्यान देना चाहिये।

एक बात मैं और इस विषय में कहना चाहता हूं। इसमें शक नहीं है कि पिछड़े इलाकों के लिये सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है लेकिन जिन इलाकों में बिरल जनसंख्या है वहां लोगों को इससे ज्यादा लाभ नहीं हो रहा है। अगर आप वहां आश्रम स्कूल खोलें तो उनको काफी लाभ हो सकता है या उनको दूसरे इलाके में ले जाकर उनकी शिक्षा का प्रबन्ध किया जाए। और सरकार की तरफ से उनको छात्रवृत्तियां मिलें ताकि उनका निर्वाह हो सके। हिमाचल की ही मैं मिसाल लेता हूं। अगर हम पांगी और चीनी के अन्दर पढ़ाई की सुविधायें देते हैं, तो बहुत ज्यादा पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। उसी इलाके के लड़कों को अगर ३०–४० रुपये माहवार की छात्रवृत्तियां दे दी जाएं तो मेरा ख्याल है कि वे ज्यादा संख्या में दूर के स्थानों पर जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बाहर जाकर अधिक सूझबूझ वे अपने अन्दर ला सकते हैं और अधिक संख्या में पढ़ सकते हैं। पिछड़े हुये इलाकों और वर्गों के लिये या तो आश्रम व्यवस्था होनी चाहिये या फिर उनके लिये दूसरे स्थानों पर शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये और उनको इसके लिये छात्रवृत्तियां दी जानी चाहियें।

मैं देखता हूं कि हमारे यहां आज कालेजों के खोलने में एक होड़ सी लगी हुई है। उनके अन्दर हम केवल उपाधिकारी लड़के ही पैदा कर रहे हैं। खास तौर से जो इंजीनियरिंग कालेज या कृषि कालेज हम खोलते हैं उनके अन्दर हम यह देखें कि बेशक उनकी संख्या अधिक न हो लेकिन वे सर्वसाधन सम्पन्न हों ताकि जो भी विद्यार्थी वहां से पढ़ कर निकले व योग्य से योग्य निकले। आज हमारे देश में उपाधि के लिये बहुत दौड़ धूप की जाती है। इसका पता आपको पुस्तक बिक्रेताओं की दूकानों से लग सकता है। हर चीज़ के गाइड बने हुये हैं। किताबें विद्यार्थी पढ़ें या न पढ़ें, गाइड्स और नोट्स पढ़ कर उपाधि हासिल करने में सफल हो जाते हैं वे उपाधि के लिये इसलिये पागल हैं कि उपाधि से नौकरी मिलती है और नौकरी से आजीविका चलती है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि विद्यार्थियों में योग्यता का अभाव होता जा रहा है। अगर इस ओर ध्यान न दिया गया तो काफी हानि होगी। आज जो हमारे पास लीडर हैं, वे कितना जानते हैं, उनको कितना ज्ञान हैं, कितनी जानकारी है, कितने पढ़े हुये हैं, इसको सब जानते हैं लेकिन जो नेता लोग आज पैदा हो रहे हैं, उनको कितना ज्ञान है, कितनी जानकारी है, इसका पता आपको इधर उधर देखने से ही लग सकता है। आजकल विद्यार्थियों को ऊपर का ज्ञान ही होता है, गहरा ज्ञान नहीं होता है। इसका कारण यह होता है कि न तो वे कालेजों के अन्दर रहते हुये शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और न ही शिक्षा समाप्त करने के बाद स्वाध्याय की परम्परा का ही वे पालन करते हैं। इन सब का नतीजा बहुत खराब निकल रहा है और मैं चाहता हूं कि इस ओर आप ध्यान दें।

भाषा के सम्बन्ध में काफी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। जहां तक राष्ट्रीय भाषा का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इस मिनिस्ट्री को जरा सख्ती के साथ कदम उठाना होगा। मैं यह नहीं कहता कि किसी पर यह भाषा थोपी जाए। सख्ती से मेरा मतलब यह नहीं है। मेरा मतलब यह है कि जिन इलाकों में अभी तक इस दिशा में काम नहीं हुआ है, वहां

[श्री पद्म देव]

पर काम को हाथ में लिया जाना चाहिये, वहां पर अधिक काम किया जाना चाहिये। जो संस्थायें इस दिशा में काम करती हैं उनको जब सरकार की ओर से रुपया दिया जाता है तो देखा जाता है कि कुछ यह भी रोज़गार का ज़रिया बन जाता है। मैं चाहता हूं कि इस बारे में मंत्री महोदय अधिक सतर्कता से काम लें।

जहां तक प्रान्तीय भाषाओं का सम्बन्ध है, जिनको प्रान्तीय भाषायें स्वीकार किया गया है, उन भाषाओं में ऊंचे दर्जे का साहित्य तैयार करवाया जाना चाहिये। यहां पर एक प्रस्ताव भी आया था कि देवनागरी सक्रिप्ट को सभी भाषाओं के लिये स्वीकार कर लिया जाए। यदि इसको स्वीकार कर लिया जाए तो एक प्रान्त के लोगों को दूसरे प्रान्त के लोगों की भाषा को समझने में बड़ी सुगमता हो जाएगी। यहां पर समझा गया था कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह है कि दूसरों की भाषाओं के सक्रिप्टस् को ही खत्म कर दिया जाए। यह बात नहीं थी। इसका उद्देश्य केवल मात्र इतना था कि हर एक भाषा को हर एक आदमी समझ सके। यदि उसको स्वीकार कर लिया जाता है तो प्रान्त एक दूसरे के निकट आयेंगे और लोगों में राष्ट्रीय भावना का प्रसार हो सकेगा, राष्ट्र संगठित हो सकेगा।

संस्कृत के सम्बन्ध में अब मुझे कुछ कहना है। यह ठीक है कि देश की राष्ट्रीय भाषा हिन्दी मानी गई है। लेकिन यह भी सही है कि हिन्दी को सीखने के लिये संस्कृत का ज्ञान होना बहुत जरूरी है और अगर देश में संस्कृत का प्रसार होगा तो इसका परिणाम यह होगा कि भाषायें एक दूसरे के नज़दीक आएंगी। अभी बताया गया है कि बंगला में ६० प्रतिशत के करीब शब्द संस्कृत के हैं, साथ ही साथ दक्षिण की जो भाषायें हैं, उनके अन्दर भी संस्कृत के शब्दों का बाहुल्य है, दूसरी जो भाषायें हैं उनके अन्दर भी संस्कृत के शब्द पर्याप्त रूप में पाये जाते हैं। इस वास्ते यदि संस्कृत की शिक्षा सारे देश में दी जा सके और इसके लिये साधन मुहैया किये जा सकें तो दूसरी भाषाओं को सीखने का भी मौका मिल सकता है।

अंग्रेज़ी के अन्दर भी बहुत सा अच्छा साहित्य है और उसका सीखना भी जरूरी है। उर्दू जिसका प्रचलन देश में काफी समय से है और जिस के अन्दर कवितायें बहुत ऊंचे दर्जे की हैं, वह भी जरूरी हैं। जितनी भी भाषायें हैं, इनके बारे में सही दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहियें। लेकिन यह भाषायें राजनीतिक झगड़े के केन्द्र के रूप में प्रयुक्त नहीं होनी चाहियें, बल्कि साधु रूप से इन सब पर विचार होना चाहिये, इनका प्रसार होना चाहिये।

अन्त में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो बात मैंने कहीं हैं, उन पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे और उनके अन्दर जो सार, है, उसको अवश्यमेव ग्रहण करेंगे।

†**श्री कर्णी सिंहजी** (बीकानेर): मुझे एक खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त है और मैं संसद् का सदस्य भी हूं, अतः व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं कुछ इस दिशा में निवेदन करूंगा। मेरा कहना है कि अब समय आ गया है कि भारत सरकार खेल कूद के लिये एक पृथक मंत्रालय के निर्माण के प्रश्न पर विचार करे। हमारे खेलकूद के संगठन हमारे खेलों और खिलाड़ियों में जो दिलचस्पी लेते हैं वह कोई सन्तोषजनक नहीं है। हमें अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् और इंडियन ओलम्पिक एसोसियेशन से राजनीति को निकाल देना चाहिये। अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् में प्रतिष्ठित और अनुभवी खिलाड़ी होने चाहिये, जैसे कि हमारे विजय मरचैन्ट इत्यादि हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशों में जानेवाले हमारे खिलाड़ियों की देखरेख के लिये जो प्रबन्धक भेजे जाते हैं अथवा अधिकारी भेजे जाते हैं उनका चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि इन व्यक्तियों को हमारे खिलाड़ियों के कल्याण में सच्ची दिलचस्पी हो । श्री जयपाल सिंह ने एक सुझाव दिया था कि देश के स्कूलों और कालेजों में खेलकूद के विकास के लिये सिनेमा टिकटों पर थोड़ा सा और शुल्क लगा कर धन प्राप्त करना चाहिये । मेरा निवेदन है कि हमें इस सुझाव पर विचार करना चाहिये । जैसा कि प्रधान मंत्री ने एक बार सुझाव दिया था कि तरुण पीढ़ी को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से चुस्त बनाने और उन्हें अधिक अनुशासनप्रिय बनाने के लिये सभी स्कूलों और कालेजों में राइफल चलाने की अनिवार्य शिक्षा दी जाये । इससे प्रतिरक्षा की दूसरी कतार भी बन सकेगी । यदि हम गावों में राइफल चलाने को लोकप्रिय बनाना चाहते हैं तो बन्दूक और कारतूस की कीमत कम की जानी चाहिये । इसके लिये हमारे पास छर्रे की बन्दूकें होनी चाहिये ।

अब यह भी आवश्यक है कि हमारे खिलाड़ी विश्व के ओलम्पिकों में भेजे जायें । शिक्षा मंत्रालय को इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि वह नवयुवकों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिये प्रोत्साहित करे । हमें कुछ अच्छे खिलाड़ियों का चयन कर लेना चाहिये, उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिये और फिर उन्हें विश्व की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये भेजना चाहिये । इससे हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी । अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश के स्कूलों के बच्चे भी वैसे ही अच्छे खिलाड़ी बने जैसे कि विदेशी स्कूलों के बच्चे हैं तो हमें उनके प्रशिक्षण पर किये जाने वाले व्यय का भार उठाना चाहिये । अतः मेरा सुझाव है कि खेलों के लिये अलग से एक मंत्री नियुक्त किया जाये तभी यह संभव है कि हमारा देश अच्छे खिलाड़ी तैयार कर सकेगा ।

श्री कोरटकर (हैदराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आज अपना भाषण सिर्फ एक हद्द तक सीमित रखना चाहता हूं और एक सुझाव मिनिस्टर साहब के सामने रखना चाहता हूं । उस का सम्बन्ध हिन्दी के विकास और हिन्दी के शिक्षण से है । हिन्दी में शिक्षण दिये जाने के बारे में और हिन्दी के विकास के बारे में अभी तक बहुत कुछ कहा जा चुका है, और हमारे शिक्षा विभाग ने बहुत सा काम किया है, और आगे बहुत कुछ करने की आशा है । इसके पहले कि मैं अपने सुझाव को मंत्री महोदय के सामने रक्खूं, मैं सदन के सामने एक यह बात रखना चाहता हूं कि हमारे कांस्टिट्यूशन की दफ़ा ३४३ में यह तय किया गया था कि हमारी राजभाषा हिन्दी होनी चाहिये । इसी के साथ दूसरी दफा ३५१ में इस की जिम्मेदारी शिक्षण विभाग पर रक्खी गई थी कि वह स्वयम् लोगों को इस लायक बना दे कि पन्द्रह वर्षों के अन्दर अन्दर सारे का सारा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का कारोबार हिंदी भाषा में हो सके । इस में शिक्षण विभाग कितना कामयाब हुआ है, इसके लिये मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है । सब के सब लोगों को इस बात से निराशा है कि इस को इस वक्त नहीं किया जा सकता और इसके लिये दस वर्ष की अवधि और बढ़ाई गई है । मैं शिक्षण विभाग के सामने रूस का उदाहरण रखना चाहता हूं । रूस भी एक ऐसा ही देश है जैसा कि हमारा भारतवर्ष है । वह भी बहुत सी भाषाओं का देश है । वहां बहुत सी भाषाएं चलती हैं और रूसी भाषा भी चलती है । वहां पर बहुत सी ऐसी भाषाएं थीं जिनकीं कोई लिपि नहीं थी लेकिन रूस ने जब भाषाओं की तरफ ध्यान दिया तो १५ वर्ष के अंदर उन भाषाओं की इतनी उन्नति की कि जिनकी लिपि तक नहीं थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ;

[श्री कोरटकर]

आज उन भाषाओं में यूनीवरसिटी का शिक्षण दिया जा रहा है, और उन प्रान्तों का सारा कारोबार उन्हीं भाषाओं में चल रहा है। इसकी एक बड़ी भारी वजह है और वह यह है कि हमारी कार्यपद्धति में और रूस की कार्यपद्धति में थोड़ा सा फर्क है। हम दस वर्ष तक इसी उलझन में पड़े रहे कि हमारे पास किताबें लिखने के लिये शब्द नहीं हैं, क्या किया जाए। हमने एक कमेटी मुकर्रर की, दो साल बाद उस कमेटी का बोर्ड बना दिया गया और अब सुनाई देता है कि सन् १९६० से यह बोर्ड कमीशन हो जायगा। लेकिन यह सब होते होते भी अब तक यही हुआ है कि दो लाख ६० हजार पारिभाषिक शब्द बनाये गये हैं, और जैसा कि सेठ गोविन्द दास जी ने कहा है कि इन शब्दों में से बहुत से तो पारिभाषिक किसी तरह से भी नहीं कहे जा सकते और ये शब्द तीन तीन स्थानों पर आ गए हैं। मैं आपके सामने यह चीज रखना चाहता हूं कि मुझे इस बात का यकीन है कि जो शब्द तैयार हुये हैं उनमें से ७० प्रतिशत से ज्यादा आगे आने वाली किताबों में नहीं लिखे जायेंगे। कभी भी उनका उपयोग नहीं होगा। यह एक बिल्कुल उल्टा तरीका अख्तियार किया जा रहा है कि पहले पारिभाषिक शब्द तैयार किये जाए और फिर किताबों की तरफ ध्यान दिया जाए। लेकिन रूस में जो किया गया था वह यह कि एक कमेटी पहले किताबें लिखने के लिये बनाई गई। तो वह बोर्ड या कमेटी मुकर्रर हुई और वह इस लिये कि वह किताबें वहां की भाषाओं में शिक्षण देने के लिये लिखें, और जैसे जैसे किताबें तैयार होती गयीं वैसे वैसे शब्द तैयार होते गए। यानी शब्दों के पहले किताबें तैयार हो गयीं और होता भी यही है। किसी भी भाषा का कोष पहले से नहीं बनता, पहले भाषा बनती है, भाषा विकसित होती है और फिर लोग उसका कोष बनाते हैं। लेकिन यहां उलटा तरीका स्वीकार किया गया और लाखों रुपयों इस पर खर्च हो गया जिसमें से कि बहुत बड़ा हिस्सा ज़ाया जाएगा।

इसके बाद दूसरी चीज जो मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि हमारा उद्देश्य यह है कि हमारा सारा एडमिनिस्ट्रेशन हिन्दी में चला करे। इस उद्देश्य को किस तरह से पूरा किया जा सकता है। सबसे पहले मैकाले ने इसको अच्छी तरह से जाना था। सब लोग जानते हैं कि मैकाले ने शिक्षण से ही उस जमाने में एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम बदल दिया था। जहां बहुत कम लोग अंग्रेजी जानने वाले थे वहां अंग्रेजी में शिक्षण दिया जाने लगा। अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया और उसका नतीजा है कि वह एडमिनिस्ट्रेशन उनके ही जमाने में अच्छा चला। इतना ही नहीं, लेकिन आज दस वर्ष अंग्रेजों के जाने के बाद भी वह एडमिनिस्ट्रेशन वाले बार बार यही कहते हैं कि हिन्दी में हम इसको नहीं चला सकते, अभी अंग्रेजी ही रहने दीजिये। बात यह है कि जब तक उच्च शिक्षण उस भाषा में नहीं दिया जाएगा जिस भाषा में कि आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहते हैं, तब तक कभी भी यह काम सफल नहीं हो सकता। आप कितने ही सालों तक क्लासेज़ खोलें और उनको थोड़ी थोड़ी हिन्दी सिखा दें और फिर उनसे यह आशा करें कि वह हिन्दी में काम करें, तो यह नामुमकिन है। वे लोग किस्सा कहानी की किताब पढ़ सकेंगे लेकिन जब अपने दफ्तरों में बैठेंगे तो अपने ऊंचे ऊंचे विचारों को हिन्दी में लिखने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। इसलिये बहुत जरूरी है कि सबसे पहला काम हम यह करें, अगर हम अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, कि जितनी भी जल्दी हो सके यूनीवरसिटियों में शिक्षण हिन्दी भाषा के द्वारा देना शुरू करें।

लेकिन इसके साथ एक और बड़े भारी विषय को मैं माननीय मन्त्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं और वह यह है कि मुमकिन है कि अगले पांच, दस या १५ साल में उत्तर भारत में यूनीवरसिटियों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी शुरू हो जाए लेकिन अगर यह माध्यम अभी दक्षिण भारत में नहीं होता तो क्या आप दक्षिण भारत के उन विद्यार्थियों से यह आशा करें कि जो विद्यार्थी एडमिनिस्ट्रेटिव सरविस में जाना चाहते हैं वे लखनऊ या इलाहाबाद में आकर शिक्षा प्राप्त करें। मैं समझता हूं

कि उनसे इस प्रकार की आशा नहीं की जा सकती और अगर की जाए तो यह बहुत बड़ा दुराग्रह होगा। इस बारे में भी मैं रूस का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। रूस में सभी भाषाओं की उन्नति हुई है और हर प्राविंस में जहां प्रादेशिक भाषा के माध्यम से विश्वविद्यालय में पढ़ाई होती है वहां ऐसे भी कालिज हैं जिनमें कि रूसी भाषा के माध्यम से शिक्षण दिया जाता है। एक रूसी भाषा का कालिज है और दूसरे प्रादेशिक भाषा के कालिज हैं। भारतवर्ष में भी इसी उदाहरण के अनुसार कार्य करना चाहिये तभी हम भी उन्नति कर सकेंगे और मैं आप से कहना चाहता हूं कि दक्षिण के प्रदेशों में हिन्दी के माध्यम से कालिज चलाए जाएं इसकी जवाबदारी केन्द्र पर है। संविधान की दफा ३५१ में जो केन्द्र की जवाबदारी है उसके अन्तर्गत यह चीज भी आती है। केन्द्र को चाहिये कि जल्दी से जल्दी दक्षिण में भी ऐसे कालिज शुरू करे कि जिनमें हिन्दी के माध्यम से शिक्षण दिया जा सके ताकि वहां भी ऐसे स्नातक और ग्रजुएट तैयार हो सक जो कि उत्तर भारत के विद्यार्थियों के साथ उनके मुकाबले में पूरी तरह हिन्दी में काम कर सकें। अगर वहां ऐसे विद्यार्थी तैयार नहीं हुए तो यकीन जानिए कि दक्षिण से हिन्दी के विरुद्ध हर वक्त आवाज उठती रहेगी कि वहां के लोग उत्तर के लोगों के बराबर में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आ सकते। तो इस चीज की तरफ बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये। अगर केन्द्र यह नहीं करता है तो कम से कम जो संस्थाएं इस दिशा में अपना काम चलाना चाहती हैं और दक्षिण भारत में हिन्दी के माध्यम से शिक्षा देना चाहती हैं उनको ऐसा करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। चुनांचे मैं मन्त्री महोदय के सामने अपने प्रान्त की बात रखना चाहता हूं कि आन्ध्र में हैदराबाद में इसको किया जा रहा है। इस बात की तैयारी की जा रही है कि वहां हिन्दी माध्यम का एक महाविद्यालय खोला जाए और इसके लिये बहुत सा प्रयत्न भी किया जा चुका है। मुमकिन है कि वह अगले जून से खुल भी जाएगा लेकिन इसके लिये हम को सेंटर से ज्यादा मदद होनी चाहिये। दो साल के कारोबार के बाद मुझ से सिर्फ यह पूछा गया था कि आपके कालिज को उस्मानिया यूनीवरसिटी एफिलिएट कर सकती है या नहीं। अगर नहीं कर सकती है तो फिर हम यह खर्च किस लिये करें। लेकिन बहुत वर्ष की बात है कि जब उस्मानिया यूनीवरसिटी से यह प्रश्न किया गया कि अगर हिन्दी माध्यम से कालिज खोला जाए तो आप उसको एफिलिएट करेंगे कि नहीं, तो उन्होंने इस बात को सिर्फ स्वीकार ही नहीं किया बल्कि उन्होंने यह आशा भी दिलायी कि हम यूनीवरसिटी में भी ऐसा कालिज खोल सकते हैं अगर हमको केन्द्र से सहायता मिल सके। यह बहुत ही उत्साहजनक चीज है कि दक्षिण का एक विश्वविद्यालय इस बात के लिये तैयार है कि वह हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बना कर उसको चलाए।

तो मैं यह चीज मन्त्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं कि सिर्फ एक ही नहीं बल्कि ऐसे कई प्रदेशों में इसकी कोशिश की जानी चाहिये। प्रदेश सरकारों के ऊपर इन चीजों को नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि उनको अपने काम करने के लिये ही काफी साधन नहीं है। आपने देखा होगा कि प्रदेशों के जो बजट आए हैं वे सारे के सारे घाटे के बजट हैं। यह देखते हुए एक नए माध्यम में शिक्षा देने की बात को उनके ऊपर छोड़ना एक नामुनासिब बात होगी। यह जवाबदारी सेंटर की है और उसको उसे उठाना चाहिये। प्रदेश अपनी प्रादेशिक भाषाओं में शिक्षा देने के काम को ही कर सकेंगे। लेकिन हिन्दी माध्यम में उच्च शिक्षा देने की व्यवस्था किये बगैर यह आशा करना कि वे हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोगों के साथ कम्पीटीशन में बैठ सकें, एक तरह की नादानी है। यह एक छोटा सा प्रश्न है लेकिन बड़े ही महत्व का है। अगर दक्षिण में ऐसे लोग तैयार हो सके जो कि ऊंचे से ऊंचे पदों पर बैठे हुए हिन्दी सीखे हुए दूसरे लोगों के साथ मुकाबिला कर सकें तब आप यह सच जानिये कि हिन्दी के विरोध में कभी भी कोई आवाज नहीं उठेगी और भारत की एकता कायम रह सकेगी। अगर भारतवर्ष की एकता को कायम रखना है तो सबसे पहला काम जो आपको हाथ में लेना चाहिये वह यह है कि और अगर आपने इसको किया तो आगे आने वाले उच्च शिक्षा प्राप्त लोग हिन्दी के विरोध में किसी प्रकार कभी आवाज

[श्री कोरटकर]

नहीं उठा सकेंगे। यह एक छोटा सा प्रश्न है जो मैं आपके सामने रखता हूं और आशा करता हूं कि इस पर विचार किया जाएगा।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस वर्ष शिक्षा के लिये अधिक धन की व्यवस्था की गई है और इस वर्ष कुछ नई योजनाएं भी शुरू की जायेंगी। यह बहुत बुरी बात है कि जब कभी योजना में कटौती का प्रश्न उठता है तो सबसे पहले शिक्षा सम्बन्धी व्यय पर ही आघात किया जाता है। यह भूल जाते हैं कि अच्छी योजना के लिये शिक्षा ही आधार स्तम्भ है। आज हमारे देश में जबलपुर और मुरादाबाद में जो कुछ हो रहा है वह नहीं होता यदि हम ऐसी शिक्षा दे पाते जैसी कि हम देना चाहते हैं। प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की दशा इतनी खराब है कि उसकी कल्पना तक भी नहीं की जा सकती। इन शिक्षकों को चपरासियों से भी कम वेतन मिलता है। ये अध्यापक अन्य व्यवसायों की अपेक्षा सबसे अधिक कठोर कार्य करते हैं। यह माना कि शिक्षा राज्य सरकारों का विषय है लेकिन केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि वह राज्यों को अधिक धन दे ताकि वे इन शिक्षकों को अधिक वेतन दे सकें। शिक्षकों की शिकायतों की जांच करने के लिये एक आयोग होना चाहिये। हमारे यहां युवक छात्रावासों की कमी है। जहां कहीं है भी उनके भवन बहुत खराब हैं। शिक्षा मन्त्रालय को चाहिये कि वह पर्यटक मन्त्रालय के सहयोग से इन छात्रावासों की उन्नति करे।

हमारे राष्ट्र में व्यक्तियों की शारीरिक आरोग्यता बड़े महत्व की बात है। यह आरोग्यता बहुत से कार्यक्रमों के द्वारा ठीक रखी जा सकती है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय अनुशासन योजना श्लाघ्य है और उसके लिये अधिक धन दिया जाना चाहिये। भारत सेवक समाज के तत्वावधान में शिविरों के आयोजन की कल्पना अच्छी है किन्तु खेद की बात है कुछेक शिविरों ने अपना हिसाब किताब अब तक तैयार नहीं किया है। अत. मन्त्रालय को इस बारे में विचार करना चाहिये और इन हिसाब किताबों का विवरण संसद् के समक्ष रखा जाना चाहिये। विदेशों में खिलाड़ियों के जो दल जाते हैं उनके साथ अच्छे ढंग के ही प्रबन्धक भेजे जाने चाहियें जो खेलों में रुचि रखते हों और जिनका उद्देश्य खेलों का अच्छा संगठन करके देश की प्रतिष्ठा बढ़ाना हो न कि खाना पीना और मौज उड़ाना। राइफल क्लबों को भी अधिक समर्थन मिलना चाहिये। क्योंकि यह प्रतिरक्षा की दूसरी कतार है। जब एक बार निशाना लगाना आ जाता है तो हम में थोड़ा सा उत्साह आ जाता है। असम से आये विस्थापित विद्यार्थियों को भी किसी न किसी प्रकार की सहायता दी जानी चाहिये।

†**श्रीमती रेणुका राय:** (मालदा) : हमारी योजनाओं में शिक्षा अत्यधिक महत्वपूण है। हमें ६ वर्ष से लेकर ११ वर्ष तक की आयु के बच्चों को क्या शिक्षा दी जाती है और किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है इस पर उचित जोर देना चाहिये। स्वास्थ्य शिक्षा की ओर भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। खेद की बात है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में उक्त आयु के बच्चों को मध्याह्न भोजन देने की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है। यदि अभिभावकों को यह मालूम हो जाये कि उनके बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है तो हमें प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर देने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होगी। शिक्षा के प्रचार पर धन व्यय करने की अपेक्षा यह अच्छा है कि ठोस कार्य किया जाये और बच्चों को मध्याह्न का भोजन दिया जाये। इस बारे में मद्रास की सरकार बहुत आगे है वह १० नये पैसे में मध्याह्न का भोजन देती है जिसमें से ६ नये पैसे राज्य सरकार के होते हैं। अगर हम प्राथमिक स्कूलों में मध्याह्न का भोजन देने लगें तो प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। और तभी हमें जन-सहयोग मिल सकेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

खेद की बात है कि जब कभी योजना के उपबन्ध में कोई कटौती की जाती है तो उसका प्रभाव सर्वप्रथम सामाजिक सेवाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा पर पड़ता है। राष्ट्र निर्माण के लिये शिक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हम उद्योगों के विकास के लिये तो प्रयत्न करते हैं लेकिन बच्चों के विकास के लिये हम कोई प्रयत्न नहीं करते। शिक्षा मन्त्रालय से मुझे एक निवेदन करना है कि शिक्षा पर कितना व्यय हुआ और इस क्षेत्र में क्या सफलता मिली है यह जानने के लिये हमारे पास सभी राज्यों की समग्र जानकारी का होना आवश्यक है।

तृतीय योजना के प्रारूप में अध्यापकों के शिक्षण के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। क्योंकि उचित प्रशिक्षण दिये बिना अच्छी शिक्षा सम्भव नहीं है। अतः मेरा निवेदन है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण को महत्व दिया जाना चाहिये और उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाना आवश्यक है। विश्वभारती में अच्छे ढंग की शिक्षा दी जा रही है निश्चय ही यह गौरव की बात है।

अन्त में मैं निवेद करूंगी कि यदि योजना की दृष्टि से तृतीय योजना की निधि में कोई कटौती करनी है तो वह शिक्षा, स्वास्थ्य और समाजकल्याण योजनाओं में से नहीं की जानी चाहिये। क्योंकि इनके द्वारा ही हम देश के नवयुवकों का निर्माण कर सकते हैं जो आगे चल कर देश का निर्माण करेंगे। और अन्ततोगत्वा उस ध्येय की पूर्ति करने में समर्थ हो सकेंगे जिसकी स्थापना हमने अपने संविधान में की है।

श्री भक्त दर्शन: (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्रालय की जो वार्षिक रिपोर्ट है उसके लिये और उस वर्ष भर में जो कार्य किया गया है उसकी सफलता के लिये माननीय शिक्षा मंत्री महोदय तथा उनके सहयोगियों को साधुवाद देना चाहता हूं।

परिस्थिति यह है कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को आये दिन सदन में और सदन के बाहर के महानुभावों की आलोचना का शिकार होना पड़ता है लेकिन एक ओर जहां धन की कमी उनके सामने रहती है, और जैसाकि हम सब को मालूम है कि संविधान मे व्यवस्था होने के बावजूद भी हम इतने वर्षों के बाद भी अभी तक सारे देश मे निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाये हैं,—दूसरी ओर राज्य सरकारें और विश्वविद्यालय अपनी स्वतंत्रता के नाम पर भी अड़ंगे लगाते रहते हैं, और इस कारण केन्द्रीय शिक्षा मंत्री की स्थिति बड़ी दयनीय है, और इसलिये जब मैं गंभीरता से इस प्रश्न पर सोचता हूं तो मुझे यह कहने मे संकोच नहीं होता कि जिन जटिलताओं और कठिनाइयों के बीच में हो कर माननीय शिक्षा मंत्री को शिक्षा मंत्रालय की नाव को खेना पड़ता है, उन को देखते हुए उनको सफलता के लिये हमें बधाई देनी पड़ती है।

जैसाकि शिक्षा मंत्री जी का नाम है, मैं आशा करता हूं कि वह अपने नाम को पूरी तरह से सार्थक करेंगे। माली का मतलब है गार्डनर। जहां वह शिक्षा के उपवन में बहुत अच्छे फलों और फूलों के पौदे लगाते हैं . . . . . .

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : मैं चाहता हूं कि वह अपने नाम को सार्थक न करें क्योंकि माली बड़े लोगों के बंगलों की शोभा बढ़ाता है और छोटे लोगों के घरों की नहीं और ऐसा ही वह कर रहे हैं।

श्री भक्त दर्शन: हमारे शिक्षा मंत्री जी शिक्षा के उपवन के माली हैं, उनका काम जहां बहुत अच्छे फलदार और फूलदार पौदे लगाना है वहां उनकी रक्षा करने के लिये उनका यह कर्तव्य हो जाता है कि जो कूड़ा करकट उनकी वृद्धि में बाधक होता है उसको उपवन से हटा दें। मेरा मतलब

[श्री भक्त दर्शन]

यह है कि आज भी देश के स्वतंत्र होने के बाद भी, देश के कोने कोने मे ऐसे बहुत से बद्धमूल निहित स्वार्थ हैं जोकि समय समय पर हिन्दी और भारतीय भाषाओं के मार्ग में रोड़े अटकाने का प्रयत्न करते रहते हैं। इस सम्बन्ध में मैं खास तौर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पिछले दिनों जो नीति अपनाई उसका उल्लेख करना अपना कर्तव्य समझता हूं। उसकी अधिक आलोचना नहीं करना चाहता, केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे शिक्षा मंत्रालय ने डा० डी० एस० कोठारी की जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन की जगह नियुक्ति की है उसके लिये मैं बधाई देना चाहता हूं। यह नियुक्ति बहुत उपयुक्त अवसर पर की गई। डा० कोठारी इस देश के ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक ही नहीं हैं बल्कि अपनी सज्जनता, नम्रता और बुद्धिमत्ता के लिये भी प्रसिद्ध हैं। मेरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उत्साह से कदम उठायेगा और अब तक जो उसकी आलोचना होती रही है वह समाप्त हो जायगी।

यह भी शिक्षा मंत्री जी ने बहुत अच्छा किया कि पारिभाषिक शब्दों के लिये जो स्थायी आयोग नियुक्त किया जा रहा है उसका अध्यक्ष भी डा० कोठारी को नियुक्त किया है। मैं समझता हूं कि जो कुछ गलतियां अभी तक इस दिशा में होती रही हैं अब आगे से वे नहीं होंगी।

तो मेरा विश्वास है कि शिक्षा मंत्री महोदय अपने नाम को पूरी तरह से सार्थक करते हुए अगले वर्षों में शिक्षा मंत्रालय के कामों में और अधिक सफलता प्राप्त करेंगे और जो आज आलोचना होती है वह समाप्त हो जायगी।

आज सारे देश में लोग समय समय पर विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता, उच्छृंखलता और कर्त्तव्यहीनता की बात सुनते हैं और इस सदन में भी समय समय पर इस बारे में विवाद होते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी इस बारे में समितियां नियुक्त की हैं। और विभिन्न राज्यों से भी इस सम्बन्ध में विचार विमर्श हुआ। बहुत से इस में सुझाव दिये गये हैं। लेकिन जैसा मैं ने एक बार निवेदन किया था आज फिर करता हूं कि अगर हम विद्यार्थियों की जो नई पीढ़ी है, जो नये पौदे उग रहे हैं, उससे इस को प्रारम्भ करें तो मुझे आशा है कि कुछ ही वर्षों में हम एक ऐसा स्थायी सुधार कर सकेंगे जोकि देश के नक्शे को ही बदल दे सकता है। दिल्ली में वैसे तो कई बार राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों को शिक्षित किया गया है, उनके प्रदर्शनों को देखने का हमें मौका मिलता रहता है लेकिन अभी अभी एक सप्ताह पहले इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अलवर के नज़दीक सिरमिका में ट्रेनीज़ के कार्य को देखने का हमें अवसर मिला था। उसको देख कर हम लोग दंग रह गये। देश के नौ प्रान्तों के ट्रेनीज़ (प्रशिक्षणार्थी) वहां आये थे और जब वे एक ही प्रकार से कदम मिला कर पैरेड के मैदान में चल रहे थे तो ऐसा अनुभव हो रहा था कि मानो देश ही हमारा आगे कदम बढ़ाता चला जा रहा है। नौ प्रान्तों के, नौ भाषाओं के बोलने वाले लोग एक ही तरह की भाषा बोल रहे थे, एक तरह का ही गीत गा रहे थे और एक ही झंडे के नीचे चल रहे थे। देश की भावात्मक एकता का जो स्वप्न हम देखते हैं, उस को वहां हम ने साकार पाया। मुझे लगता है कि जब वे ट्रेनीज़ वहां से निकल कर देश के अलग अलग भागों में, देश के कोने कोने में जायेंगे और हज़ारों और लाखों विद्यालयों में उनके द्वारा प्रशिक्षित छात्र और छात्रायें कदम मिला कर चलेंगी तो हमारे देश को प्रगति पथ पर अग्रसर होने से कोई रोक नहीं सकेगा।

मुझसे पहले बोलते हुए बैरो साहब ने इस बात का जिक्र किया कि हमारी जितनी भी शारीरिक व्यायाम या विकास की योजनायें चल रही हैं, उनके बीच में सामंजस्य होना चाहिये, उनका एकीकरण किया जाना चाहिये। यह विचार बहुत अच्छा है। शिक्षा मंत्रालय ने डा० एच० एन० कुंजरू की अध्यक्षता में एक कमेटी भी नियक्त की है। इस कमेटी ने करीब करीब अपना कार्य समाप्त

कर लिया है। मुझे विश्वास है कि वह समिति एक ऐसा आधार स्थापित करेगी, कोई ऐसी योजना शिक्षा मंत्रालय और देश के सामने रखेगी जिससे जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, बेकार खर्चा हो रहा है, वह समाप्त हो सके। जहां तक मेरी व्यक्तिगत राय का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूं कि मैं ने कमेटी के सामने भी इसको रखा था और शिक्षा मंत्रालय के सामन भी रखता आया हूं कि जो योजना बने वह ऐसी बने जिसका आधार राष्ट्रीय अनुशासन योजना हो, उस में संशोधन और सुधार कर के उस को आगे बढ़ाया जाय। आज हमारे देश के प्रत्येक विश्वविद्यालय में व्यायाम शिक्षक नियुक्त है, उस को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अगर इस नई योजना के अन्तर्गत उन को रिफ्रेशर कोर्स दिया जाय तो मैं समझता हूं कि उसी रुपये से, उसी खर्चे से सारे देश में इस योजना को व्यापक बनाया जा सकता है। इस किताब में पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप दिया गया है, जो प्रोग्राम तैयार किया गया है, उसमें भी मैं ने देखा है कि इस बात का उल्लेख मौजूद है कि जो लोग पहले से इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं उनको रिफ्रेशर कोर्स दिया जाय। पिछले दिनों हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे वित्त मंत्री तथा दूसरे मंत्रीगण गये थे और उन्हों ने इस योजना को देखा था और मुझे पूरा विश्वास है कि वे इस बात से प्रभावित हुए होंगे।

इस सम्बन्ध में जो एक भ्रान्त धारणा है, उसका भी मैं अन्त कर देना चाहता हूं। राष्ट्रीय अनुशासन योजना को लोकप्रिय बनाने का मतलब यह नहीं है कि जितनी और योजनायें हैं, उनको समाप्त कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि इस योजना में संशोधन करके और समझौता करके चला जा सकता है। इस वास्ते यह जो भ्रम है कि दूसरी योजनाओं को समाप्त कर दिया जायगा, यह निराधार है। जहां तक एन० सी० सी० का सम्बन्ध है, उसको कालेजों में रहने दिया जाय क्योंकि वहां जा कर लड़के लड़कियां काफी नौजवान हो जाते हैं, वे बन्दूक चला सकते हैं, उनको सामरिक शिक्षा दी जा सकती है, उनको देश की रक्षा के प्रहरी बनाया जा सकता है। जो नीचे की कक्षायें हैं, खास तौर पर जूनियर हाई स्कूल और हायर सैकेंडरी की कक्षायें हैं वहां इस राष्ट्रीय अनुशासन योजना को चलाया जा सकता है। सारे देश के प्रत्येक जिले में अगर कम से कम एक दो विद्यालयों मे इसको लागू कर दिया जाय तो बहुत अच्छा होगा। जिन राज्यों में इसको अभी तक लागू नहीं किया गया है, वहां पर भी इस को लागू कर दिया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में मुझे उत्तर प्रदेश का नाम लेते हुए शर्म आती है। उत्तर प्रदेश में जहां से श्री बैरो भी आते हैं और मैं भी, इतना हल्ला होते हुए भी इसको चलाया नहीं गया है। एक कहावत है "तीन लोक से मथुरा न्यारी"। उत्तर प्रदेश की महिमा ही अजीब रही है। उत्तर प्रदेश का निवासी होते हुए वहां की सरकार की आलोचना करने में मुझे आनन्द नहीं आता है। लेकिन सारे देश के लिये जब कोई योजना बनती है तो मुझे अपनी राज्य सरकार के रवैये को देख कर ढाई ईंट की मस्जिद और ढाई छटांक की खिचड़ी वाली कहावत याद आती है। नेशनल एजुकेशन कोर की जो स्कीम वहां चल रही है, उसके विरुद्ध कोई नहीं है, उसके साथ मिलाकर इस स्कीम को भी चलाया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री महोदय, इस पर गम्भीरता से विचार करें।

मैं ने देखा है कि पिछले वर्ष इसके लिये २६ लाख रुपया रखा गया था। इस साल इसके लिये ३९ लाख २६ हजार रुपये की व्यवस्था की गई है। इसका मतलब यह हुआ कि पहले से ज्यादा रकम रखी गई है। लेकिन जिस तरह से अन्य माननीय सदस्यों को इस पर सन्तोष नहीं है उसी तरह से मुझे भी नहीं है। इसके विस्तार की जो योजना दी गई है, उसमें यह मांग की गई है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस के लिये कम से कम पांच करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाय, यानी प्रतिवर्ष कम से कम एक करोड़ रुपया इस के लिये मिलना चाहिये। जैसा मैं ने निवेदन किया जो हमारे पुराने व्यायाम शिक्षक हैं उनको ही रिफ्रेशर कोर्स दे दिया जाय तो बहुत कम खर्च में इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि इस पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे।

[श्री भक्त दर्शन]

मैं शिक्षा मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से उन का ध्यान संस्कृत की शिक्षा और प्रसार की ओर गया और खास कर जो गुरुकुल की संस्थायें पहले से चल रही हैं, उन को सहायता प्रदान करने का और उनको मान्यता देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। गुरुकुल संस्थाओं या वहां की शिक्षा प्रणाली से हमारे शिक्षा विशारदों का कुछ मतभेद हो सकता है, और मतभेद की गुंजाइश भी है। लेकिन इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि जिस ज़माने में, ब्रिटिश ज़माने में हमारे देश में पश्चिमी प्रकार की शिक्षा चल रही थी तो इन गुरुकुलों ने रेगिस्तान में एक तरह से नखलस्तान का काम किया। भारतीय राष्ट्रीय झंडे को उन्होंने बुलन्द किया। यह बहुत सुन्दर बात है कि हमारी अपनी राष्ट्रीय सरकार बनने के बाद ऐसी संस्थाओं को मान्यता प्रदान की जाय। मैं मंत्रालय को इसलिये भी बधाई देना चाहता हूं कि वह कोई कानून इस तरह का बनाने वाला है कि जिसके द्वारा उनको विश्वविद्यालयों का दर्जा दिया जा सके। मैं चाहता हूं कि वह जल्दी से जल्दी होना चाहिये।

इस सम्बन्ध में मैं एक यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि अभी तक भी हमारा शिक्षा मंत्रालय पूरी तरह से इस बारे में जागरूक नहीं है। उदाहरण के लिए इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि गुरुकुल कांगड़ी के लिए एक लाख रुपया मंजूर हुआ है। मुझे बताया गया है कि हाल में जब इस गुरुकुल कांगड़ी की जुबली मनाई गई थी तो पांच लाख रुपये देने की घोषणा स्वयं शिक्षा मंत्री महोदय ने की थी। वह पांच लाख घटते घटते एक लाख ही रह गया है। लेकिन यह भी उसको अभी तक नहीं मिला है। ३१ मार्च आने वाला है और इससे पहले पहले यह रुपया मिल जाना चाहिये। कभी वित्त मंत्रालय कोई अड़चन डाल देता है, और कभी नियमों की अड़चन डाल दी जाती है। जामा मिलिया तथा दूसरी सस्थाओं को पैसा मिल भी चुका है परन्तु गुरुकुल कांगड़ी को यद्यपि वित्तीय वर्ष समाप्त भी होने वाला है, अभी नहीं मिला है, अभी तक लिखापढ़ी ही हो रही है। मैं चाहता हू कि इसमें शीघ्रता लाई जाए और जो रुपया उसको देना है वह तुरन्त दे दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से पिछले अधिवेशन के अन्तिम दिन मैंने एक आधे घंटे की चर्चा उठाई थी और वह स्वतंत्रता सग्राम में जिन राजनीतिक पीड़ितों ने अपनी जानों की आहुति दे दी थी, उनके आश्रितों के सम्बन्ध में थी। आज भी जो राजनीतिक पीड़ित जीवित हैं, वे बड़े कष्ट में अपने दिन बिता रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अनुभव करते हैं कि बहुत से मंत्री हो गए, एम० पी० हो गए, एम० एल० ए० हो गए और उनकी अच्छी हालत हो गई है। लेकिन अगर आप तह में जाएं तो मैं समझता हूं कि आप पायेंगे कि सारे देश में जहां एक लाख व्यक्तियों ने कुर्बानियां की थीं, उनमें से ६०–७० हजार अब भी ऐसे हैं, जो बहुत ही गरीब हैं, बहुत ही कष्ट में दिन बिता रहे हैं। उनके लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया गया है। बड़ी मुश्किल से, बड़ा हल्ला मचाने के बाद, अध्यक्ष महोदय, आपके समर्थन से एक योजना तैयार की गई है कि उनके आश्रितों को शिक्षा सम्बन्धी सहायता दी जाए। लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी तक केवल चार राज्यों में ही उसे लागू किया गया है और वे राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, मैसूर और उड़ीसा। दिल्ली, मनीपुर और त्रिपुरा जो कि केन्द्रशासित प्रदेश हैं उनमें भी इसको लागू किया गया है। इस कार्य में ५० प्रतिशत सहायता केन्द्रीय सरकार की ओर से दी जाती है। उस दिन माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने आश्वासन भी दिया था कि विशेष परिस्थितियों में इस सहायता की मात्रा को बढ़ाने का भी वह प्रयत्न करेंगे। राज्य सरकारों का यह जो रवैया है यह नाटकीय है।

हमारे देश में राज्यों की स्वाधीनता की, स्वतंत्रता की आवाज उठती है, इस प्रकार का नारा लगा कर अपने को अलग करने की भावना में समझता हूं, खतरनाक है और इस सम्बन्ध में जरा कड़ा रुख अपनाने की आवश्यकता है। मैं शिक्षा मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि राजनीतिक पीड़ितों के आश्रितों के लिए जो योजना उन्होंने तैयार की है वह है तो बहुत सुन्दर लेकिन इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिये कि आगामी तीन चार महीनों में यानी पहली जुलाई से तो कम से कम इसको पूरी तरह से लागू कर दिया जाए। इसलिए यह आवश्यक है कि तमाम प्रान्तों में राजनीतिक पिड़ितों की सूचियां तैयार हों, उनका सैंसस हो। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने अभी पिछले दिनों यह निश्चय किया है कि जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था उनका एक "हूज हू" तैयार किया जाए, उनकी एक परिचय पुस्तिका तैयार की जाए, उसको प्रकाशित किया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि उनके नाम पुस्तक में छप जाना ही काफी नहीं है। इसको आप करें, यह बड़ी अच्छी चीज है। हर एक प्रांविस में इसे तैयार किया जाना चाहिये। अगर और देश की बात होती तो होना यह चाहिये था कि जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था, उनको राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षरों से अभिनन्दन ग्रन्थ समर्पित किए जाते और उनको प्रत्येक समारोह में बहुत ही गौरव के स्थान दिये जाते। लेकिन इसको छोड़ दीजिये। यह तो गई बीती बात है। अब जो योजना आपके सामने है और जो बड़े संघर्ष के बाद स्वीकार की गई है, मैं शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बड़े उत्साह और बड़ी लगन के साथ राज्य सरकारों को वह मनाने का प्रयत्न करें ताकि आगामी १ जुलाई से प्रत्येक राज्य में इसकी सुविधा राजनीतिक पीड़ितों के आश्रितों को प्राप्त हो सके।

अधिक न कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो बातें मैंने कही हैं, उन पर विचार किया जाए और उनको अमल में लाने का यथाशीघ्र प्रयत्न किया जाए।

†**अध्यक्ष महोदय :** देश में सभी प्रकार के लोगों की परिचय-ग्रंथावलियां मिलती हैं, लेकिन राजनीतिक पीड़ितों का कोई भी परिचय ग्रंथ नहीं मिलता।

केन्द्र तो राजनीतिक पीड़ितों की कुछ सहायता करता भी है, पर राज्यों को भी तो करनी चाहिये।

ऐसे व्यक्तियों की एक सूची बनाई जानी चाहिये और उनके बच्चों को सहायता दी जानी चाहिये।

†**श्री खाडिलकर :** शिक्षा-जगत में जो भी बुराइयां हैं, वे राजनीतिक प्रभाव के कारण ही हैं।

हमारा शिक्षा-जगत आज एक क्रांति के द्वार पर है। आज पुरानी और नयी पीढ़ी में थोड़ा टकराव है। औद्योगिक प्रगति के कारण, हमारा समाज एक संक्रमण काल में है। इसलिये शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं पर बुनियादी ढंग से विचार किया जाना चाहिये।

आज शिक्षा का आदर्श बदल गया है। अगली योजना के काल में हम ६ से ११ वर्ष तक की अवस्था के ८० प्रतिशत बालकों को शिक्षित बनाना चाहते हैं। इतनी बड़ी समस्या केवल अनुदानों और योजनाओं से हल नहीं होगी।

एक इतालियन अध्येता, श्री जियूस्के बोफा ने पांच वर्ष तक सोवियत यूनियन की शिक्षा पद्धति का अध्ययन किया है। उनका कहना है कि सोवियत के सामाजिक यथार्थ और

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री खाडिलकर]

सोवियत शिक्षा-पद्धति में टकराव पैदा हो गया है। स्कूलों का उद्देश्य केवल विशेषज्ञ पैदा करना नहीं होना चाहिये।

सोवियत ही नहीं, इंगलैण्ड में भी यह समस्या सामने आ रही है। वहां लार्ड रोबिन्स की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई है जो सुझाव देगी कि विश्वविद्यालयों से निकले विद्यार्थियों की बढ़ती हुई तादाद के कारण क्या नयी सामाजिक आवश्यकतायें पैदा हुई है।

राधाकृष्णन् आयोग ने भारत को संक्रमणकालीन समस्याओं पर विचार नहीं किया था।

गांवों से विश्वविद्यालयों में आने वाले विद्यार्थियों को असुविधा महसूस होती है। सोवियत यूनियन में भी यही हालत है। परीक्षा की पद्धति का लाभ शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को होता है। देहाती क्षेत्रों के विद्यार्थियों की योग्यता एक ही परीक्षा से मालूम नहीं पड़ पाती।

आज हमारे देश में यह समस्या इसलिये अधिक महत्वपूर्ण बन गई है कि देहाती क्षेत्रों में स्कूल-कालेजों की संख्या तेजी स बढ़ती जा रही है। इसलिये इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये।

सवाल है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम क्या हो? श्री मंगल भाई देसाई ने कहा है कि शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषाओं को ही बनाया जाना चाहिये। आज हमारे सामाजिक जीवन पर प्रादेशिक दृष्टिकोण बहुत हावी है। इसलिये शिक्षा के माध्यम की समस्या का हल बड़ी सावधानी के साथ किया जाना चाहिये। ध्यान रखना चाहिये कि भाषा के निर्माण की एक अपनी प्रक्रिया होती है, वह सामाजिक सम्पर्क से विकसित होती है।

इसीलिये पारिभाषिक शब्द गढ़ने में अस्वाभाविकता से काम नही लेना चाहिये। शब्दों की टकसालें नहीं खोलनी चाहिये।

यदि हम सीमेंट को 'वज्रचूर्ण' कहेंगे, तो जनता उसे कैसे समझ पायगी? नये शब्द तो स्वाभाविक रूप से तभी बनेंगे, जब हमारे देश में तकनीकी शिक्षा को प्रगति हो जायेगी।

इसलिये पारिभाषिक शब्दों के बारे में कठमुल्लेपन से काम नहीं लेना चाहिये। हमारा कर्त्तव्य है कि हम अपनी राष्ट्र-भाषा को समृद्ध बनायें। तभी दूसरे लोग उसका अनुकरण करेंगे।

इन समस्याओं पर विचार करने के लिये हमें राजनीति और सत्ता के विचारों से ऊपर उठना पड़ेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री द० अ० कट्टी।

†**श्री द० अ० कट्टी** (चिकोडी) : शिक्षा के बारे में शोर-शराबा काफी मचाया जाता है, लेकिन काम कम होता है। वास्तव में शिक्षा की उपेक्षा की जा रही है। यदि शिक्षा उचित ढंग से दी जाये, तो समाज की सभी बुराइयां अपने आप दूर होने लगेंगी।

शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। सुधार की बड़ी आवश्यकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमारी शिक्षा सम्बन्धी नीति गलत रही है। हमने गलत तरीका अपनाया है।

प्राथमिक कक्षा में ५०–६० बच्चे होते है। उन सभी की ओर उचित ध्यान देना असंभव है। मेरा सुझाव है कि प्राथमिक कक्षा में २५ से अधिक बच्चे न हों। इसके लिये अधिक अध्यापकों की व्यवस्था की जानी चाहिये।

स्कूली विद्यार्थियों के स्थानीय समस्याओं के लिये जुलूसों और प्रदर्शनों, सभाओं, इत्यादि में नहीं घसीटना चाहिये।

बुनियादी शिक्षा के बारे में माननीय मंत्री ने गलत कहा है कि उस में इतना विलम्ब हो चुका है कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। आपको बुनियादी शिक्षा की अपनी धारणा बदलनी चाहिये तभी उसमें विद्यार्थियों की रुचि जायेगी।

अध्यापकों की दशा तो सबसे निचले सरकारी कर्मचारियों से भी गयी बीती है। ६०–७० रुपयों में उनका और उनके परिवार का गुजारा भी नहीं हो पाता।

प्राथमिक शिक्षा के अध्यापकों की कोई सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है। इसलिये उनको कम से कम १०० रुपये महीने वेतन तो मिलना ही चाहिये। तभी वह निष्ठा से अपना कर्त्तव्य पूरा करेगा।

दोपहर का भोजन या तो सभी विद्यार्थियों को मिलना चाहिय या किसी को भी नहीं। उसके बदले छात्रवृत्तियां दी जा सकती हैं। राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह देश के प्रत्येक बालक को शिक्षा दिलवाये। योजना के अन्तर्गत बड़े आकर्षक आंकड़े दिये गये हैं। बताया गया है कि दूसरी योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक श्रेणियों के विद्यार्थियों की संख्या ३३८ लाख हो जायगी। किन्तु मुझे पता चला है कि ५० प्रतिशत विद्यार्थी स्कूलों में आते ही नहीं। इस कारण इन आंकड़ों से हमें प्रभावित नहीं किया जा सकता।

इसके अलावा स्कूलों में भीड़ ज्यादा होने के कारण बच्चे बहुत कमजोर रह जाते हैं। यहां तक कि वह दो शब्द भी ठीक ढंग से नहीं पढ़ सकते। यह मेरा अपना अनुभव है। इसके अतिरिक्त परीक्षा की प्रणाली भी गलत है। पढ़ाने का तरीका भी ज्यादा उपादेय नहीं है। हर सप्ताह इस चीज को देखा जाना चाहिये कि जो कुछ पढ़ाया गया है वह ठीक तरह से ग्रहण भी कर लिया है या नहीं। अतः शिक्षा मंत्री को इन सब बातों पर विचार करके उपयुक्त सुधार करने चाहियें। पाठ्यक्रम में भी प्रायः तबदीली नहीं होनी चाहिये।

इसके अलावा राज्यों में जो लोग शिक्षा मंत्री हैं उन्हें शिक्षा के बारे में कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं है। वे लोग आज एक नीति अपनाते हैं तो कल दूसरी। इस तरह पर काफी अस्तव्यस्तता हो जाती है। अतः मेरा सुझाव यह है कि संविधान में संशोधन करके शिक्षा को केन्द्रीय विषय ही बना लिया जाय। इससे एकरूपता का समावेश इस क्षेत्र में हो जायगा।

मेरा ख्याल है कि विद्यार्थियों में जितनी भी अनुशासनहीनता है वह सब राजनीति के कारण है। इसके लिये कुछ सीमा तक बच्चों के मां-बाप भी जिम्मेदार हैं। सिनेमा आदि के कारण से भी बच्चे बिगड़ जाते हैं।

बहुत से माननीय सदस्यों ने हिन्दी के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं। हिन्दी हरेक को सीखनी चाहिये परन्तु इसमें उपयुक्त शब्द नहीं बन रहे। सी० पी० डब्ल्यू० डी० के लिये लोक निर्माण विभाग शब्द लिखा जा रहा है परन्तु इसका अर्थ है मनुष्य बनाने का विभाग। अतः ऐसे शब्द नहीं बनने चाहियें। हरेक शब्द का अनुवाद करने की क्या जरूरत है। यदि आप भाषा में आम समझे जाने

[श्री द० अ० कट्टी]

वाले शब्दों का समावेश करेंगे तो भाषा ज्यादा गहरी हो जायगी। हमें अंग्रेजी से घृणा नहीं करनी चाहिये। हम इसी भाषा की बदौलत आगे बढ़े हैं।

मैं इस चीज का स्वागत करता हूं कि धार्मिक शिक्षा की शुरूआत करने के लिये भी एक समिति बनाई गयी है। धार्मिक शिक्षा आवश्यक है। अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों में छात्रवृत्तियां बांटने का काम राज्य सरकारें ठीक ढंग से नहीं कर रही हैं। उसे न्यायपूर्ण रीति से करना चाहिये।

शिक्षा मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव की संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१३	७६	श्री अरविन्द घोषाल	अहिन्दी क्षेत्रों में हिन्दी सिखाने के निश्शुल्क केन्द्र खोलने की जरूरत।	१०० रुपये
१३	७७	श्री अरविन्द घोषाल	भारत की प्रादेशिक भाषाओं से शब्द लेकर हिन्दी को और समुन्नत करने की आवश्यकता।	१०० रुपये
१३	२३१	श्री म० ब० ठाकुर	अनिवार्य तथा निश्शुल्क शिक्षा जारी करने में असफलता।	१०० रुपये
१३	२३२	श्री म० ब० ठाकुर	विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की रोकथाम में असफलता।	१०० रुपये
१३	२३३	श्री म० ब० ठाकुर	शिक्षा के गिरते हुये स्तर को ऊंचा रखने में असफलता।	१०० रुपये
१३	२३४	श्री म० ब० ठाकुर	स्कलों और कालेजों में अनिवार्य रूप से संस्कृत लागू करने में असफलता।	१०० रुपये
१३	२३५	श्री म० ब० ठाकुर	स्कूलों और कालेजों की किताबों में पूर्वी सांस्कृतिक विषयों का समावेश करने में असफलता।	१०० रुपये
१३	२३६	श्री म० ब० ठाकुर	परीक्षा लेने की वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन करने की आवश्यकता।	१०० रुपये
१३	५९४	श्री सा० चं० गुप्त	अंधे, बहरे और अपंगों के लिये शिक्षा, प्रशिक्षण तथा बाद की देखभाल और रोजगार आदि की सुविधाओं की अपर्याप्तता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव की संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१३	५९५	श्री सा० चं० गुप्त	शिक्षा, प्रशिक्षण, बाद की देख-भाल आदि की आवश्यकताओं को प्रादेशिक स्तर पर आंकने की आवश्यकता और उसी हिसाब से साधन उपलब्ध करना ।	१०० रुपये
१३	५९६	श्री सा० चं० गुप्त	विभिन्न उद्योगों में अपंगों के रोजगार की संभावनाओं की खोज की जरूरत और उन्हें रोजगार दिलाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१३	५९७	श्री सा० चं० गुप्त	अपंग कारीगरों को सरकारी उपक्रमों आदि में से काम के ठेके दिलाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१४	२८९	श्री अरविन्द घोषाल	जरूरतमंद विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दिलाने की असफलता ।	१०० रुपये
१४	२९०	श्री अरविद घोषाल	विदेशी छात्रवृत्तियों के लिये उपयुक्त विद्यार्थियों के चुनाव में असफलता ।	१०० रुपये
१४	२९१	श्री अरविद घोषाल	अपंगों को और ज्यादा छात्रवृत्तियां दिलाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१४	२९२	श्री अरविन्द घोषाल	शारीरिक व्यायाम संबंधी राष्ट्रीय कालेज की स्थापना के काम को तेज करने की जरूरत ।	१०० रुपये
१४	२९३	श्री अरविन्द घोषाल	खिलाड़ियों और टीमो की मान्यता के लिये खेलों की राष्ट्रीय समिति बनाने की जरूरत ।	१०० रुपये
१४	२९४	श्री अरविन्द घोषाल	अंधों के लिये निश्शुल्क स्कूलो की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	२९५	श्री अरविन्द घोषाल	युवकों की समस्याओं को राष्ट्रीय अनुशासन योजना से संयुक्त करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव की संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१४	२९६	श्री अरविन्द घोषाल	भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१४	२९७	श्री अरविन्द घोषाल	बड़े नगरों में स्टेडियम बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१४	२९८	श्री अरविन्द घोषाल	कलकत्ता स्टेडियम को पूरा करने की जरूरत ।	१०० रुपये
१४	२९९	श्री अरविन्द घोषाल	हर जिले में छोटे स्टेडियम बनाने के लिये राज्यों को अनुदान देने की जरूरत ।	१०० रुपये
१४	३४५	श्री अरविन्द घोषाल	गूंगो और बहरों के लिये स्कूलों की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१४	३४६	श्री अरविन्द घोषाल	स्कूलों में शिक्षा संबंधी चलचित्र दिखाने की जरूरत ।	१०० रुपये
१४	३४७	श्री अरविन्द घोषाल	चालू वैज्ञानिक पारिभाषा को हिन्दी में रखने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१४	३४८	श्री अरविन्द घोषाल	प्रादेशिक भाषाओ से शब्द हिन्दी में अनूदित करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१४	३४९	श्री अरविन्द घोषाल	विद्यार्थियों के लिये अधिक छात्रवृत्तियों की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१४	३५०	श्री अरविन्द घोषाल	अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने के आधार को बदलने की जरूरत ।	१०० रुपये
१४	३५१	श्री अरविन्द घोषाल	भारतीय भाषाओं के लिये एक भाषा संबंधी विश्वविद्यालय की स्थापना की जरूरत ।	१०० रुपये
१४	३५८	श्री अरविन्द घोषाल	गैर-सरकारी कालेजों को अनुदान देने के लिये काफी ऊंचे मान स्तर रखने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव की संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१४	३५९	श्री अरविन्द घोषाल	कालेजों को दिये गये अनुदानों की लेख-परीक्षा करने की जरूरत ।	१०० रुपये
१४	३६०	श्री अरविन्द घोषाल	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता लेने वाले गैर-सरकारी कालेजों के विकास पर निगाह रखने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१४	३६१	श्री अरविन्द घोषाल	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधीनस्थ कालेजों की प्रगति के पुनरावलोकनार्थ शिक्षाविज्ञों की एक गैर-सरकारी समिति बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१४	३६२	श्री अरविन्द घोषाल	सारे विश्वविद्यालयों में शाम के समय खुलने वाले कालेजों की स्थापना की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१४	३६३	श्री अरविन्द घोषाल	सब विश्वविद्यालयों में पत्रों द्वारा शिक्षा देने की व्यवस्था की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१४	३६४	श्री अरविन्द घोषाल	एम० ए० में थर्ड डिवीजन समाप्त करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१४	३६५	श्री अरविन्द घोषाल	बहु-प्रयोजनीय स्कूलों के लिये अधिक शिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१४	४०१	श्री अरविन्द घोषाल	पश्चिमी बंगाल में बहु-प्रयोजनी स्कूल योजना की असफलता ।	१०० रुपये
१४	४०२	श्री अरविन्द घोषाल	बहु-प्रयोजनीय और माध्यमिक स्कूलों के एकीकरण की आवश्यकता ।	१०० रुपय
१४	४०३	श्री अरविन्द घोषाल	अनिवार्य निश्शुल्क आरम्भिक शिक्षा देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१४	४०४	श्री अरविन्द घोषाल	परीक्षाओं की वर्तमान प्रणाली को बदलने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव की संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१४	४०५	श्री अरविन्द घोषाल	अध्यापक प्रशिक्षण कालेज व स्कूल खोलने की जरूरत ।	१०० रुपये
१४	४०६	श्री अरविन्द घोषाल	बुनियादी शिक्षा के स्कूलों व कालेजों की योजना बदलने की जरूरत ।	१०० रुपये
१४	४०७	श्री अरविन्द घोषाल	अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों को जाति के आधार पर छात्रवृत्तियां न देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१४	४५३	श्री अरविन्द घोषाल	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान देने में विलम्ब ।	१०० रुपये
१४	४५४	श्री अरविन्द घोषाल	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बराबर के अनुदान हटाने की जरूरत ।	१०० रुपये
१४	४५५	श्री अरविन्द घोषाल	कालेजों में पुस्तकालयों की स्थापना के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१४	४५६	श्री अरविन्द घोषाल	कालेजों द्वारा साज सामान खरीदने के लिये आयोग द्वारा अनुदान देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१४	५६४	श्री स० मो० बनर्जी	चौदह वर्ष के नीचे की उम्र के बच्चों को निश्शुलक शिक्षा देने में असफलता ।	१०० रुपये
१४	५६५	श्री स० मो० बनर्जी	माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों के वेतन आदि का प्रश्न ।	१०० रुपये
१४	५६६	श्री स० मो० बनर्जी	विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतन आदि का प्रश्न ।	१०० रुपये
१४	५६७	श्री स० मो० बनर्जी	कानपुर में एक रेजीडेंशल विश्व-विद्यालय बनाने की जरूरत ।	१०० रुपये
१४	५६८	श्री स० मो० बनर्जी	उत्तर प्रदेश में तीन साला पाठ्यक्रम लागू करने की जरूरत ।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव की संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१४	५६९	श्री स० मो० बनर्जी	विद्यार्थियों में बढ़ती हुई निराशा	१०० रुपये
१४	५९८	श्री सूपकार	अनिवार्य निश्शुल्क प्राथमिक शिक्षा दिलाने की धीमी प्रगति	१०० रुपये
१४	५९९	श्री सूपकार	विश्वविद्यालय शिक्षा के लिये अधिक अवसर दिलाने की जरूरत	१०० रुपये
१४	६००	श्री सूपकार	संस्कृत का विकास	१०० रुपये
१४	६१९	श्री खुशवक्त राय	अपंगों को वजीफे दे कर उनकी शिक्षा को बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	६२०	श्री खुशवक्त राय	दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा के लिये हिन्दी को माध्यम बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	६२१	श्री खुशवक्त राय	विद्यार्थियों में बढ़ती हुई अनुशासन हीनता को रोकने की असफलता	१०० रुपये
१४	६२२	श्री खुशवक्त राय	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में अनियमितताओं को रोकने में असफलता	१०० रुपये
१४	६२३	श्री खुशवक्त राय	अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने की ठीक व्यवस्था करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	६२४	श्री खुशवक्त राय	हिन्दी के विकास के लिये उपयुक्त कोशिश करने की आवश्यकता	१०० रुपये

†श्री साधन गुप्त : मैं केवल अपंगों की शिक्षा के बारे में ही अपने विचार रखूंगा । उस दिशा में सरकार को निश्चित नीति बनानी चाहिये । अभी तक हम केवल उन्हें भिखारियों के रूप में ही देखने के आदी हैं । परन्तु हमें उन्हें भी समाज के लिये उपयोगी बनाना चाहिये । यदि उन्हें पूरे अवसर मिलें तो वे भी अपना योग समाज को दे सकते हैं ।

मेरा यह आशय नहीं कि हर अपंग बहुत ही ऊंचा उठ सकता है परन्तु हमें उन्हें उठाने की कोशिश अवश्य करनी चाहिये । वैसे अंधे लोगों ने भी कई क्षेत्रों में प्रतिष्ठा प्राप्त की है । इस के लिये उन्हें अवसर दिये जायें ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री साधन गुप्त]

किन्तु इस समय उन्हें शिक्षा देने और फिर रोजगार देने की कुछ भी व्यवस्था नहीं है। एक स्कूल शायद दिल्ली में खोला जा रहा है। परन्तु हमें हर बड़ी जगह ऐसे स्कूल खोलने की कोशिश करनी चाहिये। जो स्कूल इस समय हैं उन्हें और भी आज अंधों के लिये शिक्षा की जो व्यवस्था है वह अपर्याप्त है। उसे बढ़ाया जाये और उन्हें विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिलाया जाये।

ऐसे मामलों में भी सुविधायें बहुत अपर्याप्त हैं। अंधों की अधिकांश शिक्षा संस्थाओं में व्यवसायिक प्रशिक्षण की शाखायें हैं परन्तु फिर भी यह प्रशिक्षण सुविधा में उतनी नहीं हैं जितनी होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि गूंगे और बहरों के लिए भी स्थिति कुछ इसी प्रकार की है। उदाहरणतः अंधों के देहरादून के स्कूल में कोई भी ऐसा अंधा व्यक्ति भरती नहीं किया जा सकता जो कभी भी स्कूल नहीं गया हो। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए।

मेरा सुझाव है कि अपंगों की शिक्षा का निर्धारण प्रत्येक राज्य में किया जाना चाहिये। यह निर्धारण ऐसे व्यक्ति करें जिनको अंधों की समस्या का पूरा पूरा ज्ञान हो। अंधों को शिक्षा के लिये छात्रवृत्तियां दी जानी चाहियें। अंधों की शिक्षा पर बहुत धन व्यय होता है क्योंकि उन्हें स्कूल तक ले जाने के लिये आदमी चाहियें। फीस तथा उनकी पुस्तकों के मूल्य भी अधिक होते हैं। इसलिये आवश्यक है कि अंधों को धन दिया जाये जिससे वह शिक्षा प्राप्त कर सकें।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे दल के साथ हमेशा ही अन्याय होता आया है, हमने निवेदन किया था कि जहां तक नीतियों का प्रश्न है....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानते हैं कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने क्या कहा था।

श्री राम सेवक यादव : हमारी पार्टी की इस सम्बन्ध में अलग नीति है।

उपाध्यक्ष महोदय : आनरेबिल मेम्बर को पता है कि स्पीकर साहब क्या करना चाहते हैं।

श्री राम सेवक यादव : मुझे अपना नुक्ता नजर रखने का मौका दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरे में वक्त ले लीजिएगा।

श्री राम सेवक यादव : शिक्षा के बारे में बोलने का मौका कैसे दे सकेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मुझे मौका दिया जाए ताकि मैं अपनी बात आपके सामने रख सकूं जिसका जवाब मंत्री महोदय दे सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप मेरी बात मान लें। आज वक्त नहीं है। आपको फाइनेन्स बिल पर इसी बात के कहने का मौका मिल जाएगा। अब आप मेरा निवेदन मान लीजिये और आगे आपको वक्त मिल जाएगा।

श्री राम सेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, जब से संसद् बैठी है हम बराबर निवेदन करते आए हैं पर हमको मौका नहीं मिला।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य कृपा करके बैठ जायें। मैं उनसे कई बार अनुरोध कर चुका हूं।

श्री राम सेवक यादव : मुझे मौका दिया जाना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैंने माननीय सदस्य से बैठने को कहा है। कृपा करके वह बैठ जायें।

श्री राम सेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मुझे इस पर मौका जरूर दिया जाए।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं उनकी बात सुन चुका हूं। कृपा करके वह बैठ जायें।

श्री राम सेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा....

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं उन्हें चेतावनी देता कि ऐसा करना उचित नहीं है।

श्री राम सेवक यादव : हमेशा ही हम लोगों के साथ ऐसा होता रहा है, उपाध्यक्ष महोदय....

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य शेष दिन के लिये सभा से बाहर चले जायें।

श्री राम सेवक यादव : मैं बोलना चाहता था और मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया गया। हम देखते हैं कि हम लोगों के साथ हमेशा ही अन्याय होता रहता है। आपके हुक्म के अनुसार मैं सदन को छोड़ता हूं।

श्री प्र० ना० सिंह (चन्दौली) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मुझे एक अर्ज़ करना है। हर मौके पर हम लोगों के साथ इस तरह से ज्यादती की जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : स्पीकर साहब से आप बात कर लें।

श्री प्र० ना० सिंह : रेलवे बजट के मौके पर भी हर एक पार्टी के जब दो दो सदस्य बोल चुके तब जा कर हमें मौका दिया गया। भाषा के सम्बन्ध में हम लोगों की एक नीति है, सोशलिस्ट पार्टी की एक नीति है और वह अंग्रेज़ी हटाने के बारे में है। क्योंकि हमारी पार्टी को मौका नहीं दिया गया है, सोशलिस्ट ग्रुप को मौका नहीं दिया गया, इसलिए प्रोटेस्ट के तौर पर मैं वाक आउट करता हूं।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि स कार का व्यवहार किया गया है, हमारे एक माननीय सदस्य को बाहर जाने का हुक्म दे दिया गया है, इसके विरोध स्वरूप मैं भी सदन से बाहर बहिर्गमन करता हूं।

(सर्वश्री राम सेवक यादव, प्र० ना० सिंह तथा जगदीश अवस्थी सभा से उठ कर चल गये)

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** उपाध्यक्ष महोदय मैं सभा का बड़ा ही आभारी हूं कि उन्होंने इस वर्ष में मं ालय द्वारा किये गये कामों की सराहना की है। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा मेरे कारण नहीं हुआ है अपितु उन लोगों के कारण हुआ है जो स समय सरकारी गैलरी में बैठे हुये हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने बड़ा ही कठिन परिश्रम किया है।

श्री गोरे, श्री बैरने, श्री कट्टी का विचार है कि शिक्षा को केन्द्रीय विषय बनाया जाना चाहिये था और अब विधान का संशोधन किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री तंगामणि (मदुरै) : क्या माननीय मंत्री द्वारा सरकारी गैल ी मेंबैं हुये व्यक्तियों का उल्लेख करना उचित है ?

†उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने किसी पदाि का ी का नाम नहीं लिया है। इसलिये माननीय सदस्य को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

†डा० का० ला० श्रीमाली : मैं समझता हूं कि यदि कभी कभी अधिकारियों की प्रशसा कर दी जाये तो उसमें कोई हानि नहीं है।

कई माननीय सदस ों ने बताया कि संविधान का संशोधन किया जाना चाहिये। इस समय मैं इस प्रश्न के बारे में कुछ कहना उचित नहीं समझता हूं क्योंकि यह एक बड़ा ही उलझन वाला प्रश्न है कि शिक्षा को विकेन्द्रित रखा जाये अथवा केन्द्रित रखा जाये। दोनों की लाभ हानियां हैं तथा संसार में दोनों ही प्रचलित हैं। मेरा यही अनुरोध है कि सभा हमारे काम से इसका अनुमान लगा कर निर्णय कर दे कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अपना काम संविधान के अनुसार पूरा किया है अथवा नहीं

सभा तो मैं समझता हूं कि यही चाहती होगी कि शिक्षा का विस्तार संविधान के निदेशों के समान हों। सभा जानती है कि किन परिस्थिति ों में लक्ष्यों को कम किया गया था। लक्ष्यों को कम करने का सबसे अधिक दुःख मुझे ही हुआ था। परन्तु संभवतया सभा को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि अब सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि तीसरी योजना में देश में मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा कर दी जाये। ऐसा कार्यक्रम बनाया गया है कि ीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ४.२८ लाख प्राइमरी स्कूल बना दिये जायें जिससे सभी बच्चों के निकट स्कूल हो जाय। ६ से ११ वर्ष की आयु वाले ४८२ लाख बच्चे अर्थात् ७६.७ प्रतिशत स्कूल जाने लगेंगे। मेरा ादा इसको ८५ प्रतिशत अर्थात् १४२ लाख और बच्चों को स्कूल भेजने का है।

सभा को याद होगा कि संसद् ने सितम्बर, १९६० में दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक पारित किया था। मैंने उस समय बताया था कि यह एक नमूना विधेयक होगा और इसको राज्य सरकारों को परिचालित किया जायेगा। सको परिचालित किया गया और बड़े ही संतोष का विषय है कि अ ि कांश राज्य सरका ों ने उसको स्वीकार कर लिया है। पंजाब ने इस प्रकार का एक कानून बना दिया है। आन्ध्र प्रदेश में एक विधेयक प्रस्थापित कर दिया गया है। मैसूर, आसाम, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों में विधेयक बनाया जा रहा है और शीघ्र ही स्वीकृत हो जायेगा। अन्य राज्य इस की जांच कर रहे हैं और आशा है कि १९६१–६२ में नया कानून लागू हो जायेगा।

श्री खाडिलकर ने जिस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि देहातों की जनता शिक्षा में बड़ी रुचि लेने लगी है। मद्रास, राजस्थान और बिहार राज्यों ने स्कूलों के भवन के निर्माण के कार्यक्रमों, वर्दि ों तथा मध्याह्न भोजन के उपबन्धों का समर्थन किया है। तीस ी योजना में लगभग ४,००० नये स्कूल खोले जायेंगे और इस प्रकार १९,५०० स्कूल हो जायेंगे। इस आयु वर्ग में आशा है ि क विद्यार्थी ५१ लाख हो जायेंगे।

आशा है कि विश्वविद्यालय में विद्यार्थी १९६५–६६ में १३ लाख हो जायेंगे। श्रीमती रेणुका राय के शब्दों के अनुसार इस विस्तार कार्यक्रमों के कारण हमारी कि ि नाइयां बढ़ जायेंगी

†मूल अंग्रेजी में

क्योंकि हमें शिक्षा का स्तर भी इस के साथ साथ बढ़ाना है। शिक्षा का स्तर तभी बढ़ सकता है जब अध्यापक योग्य हों और अध्यापक तभी योग्य मिल सकते हैं जब वेतनक्रम अच्छे बनाये जायें।

श्री गोरे ने ठीक ही बताया है कि हमारे प्राइमरी स्कूल अध्यापकों की हालत बड़ी असंतोषजनक है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि इन अध्यापकों की स्थिति की जांच करने के लिये एक आयोग बनाया जाये। मैं भी उनकी हालत से संतुष्ट नहीं हूं और बताना चाहता हूं कि पहली तथा दूसरी योजनाओं में भारत सरकार ने कई काम किए हैं और राज्य सरकारों को सहायता दी है। जिसके परिणामस्वरूप कई सुधार हुये हैं।

मैं माननीय सदस्यों के इस कथन से पूरी तरह से सहमत हूं कि शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए अध्यापकों की हालत सुधारने के प्रयत्न किए जायें। दूसरी योजना में भी हमने अध्यापकों के वेतन सुधारने के लिए कार्यवाही की है और मैं सभा को आश्वासन दे देना चाहता हूं कि यह प्रयत्न किए जा रहेंगे जिससे योग्य अध्यापक मिल सकें।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनक्रम सुधारने के लिए सहायता दी है। दूसरी योजना में प्रोफेसरों, रीडरों तथा लैकचररों के वेतनक्रम बढ़ाने में व्यय धन का ८० प्रतिशत आयोग ने दिया है। इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, बम्बई तथा पंजाब विश्वविद्यालयों में वेतनक्रम नहीं बढ़ाये गये क्योंकि इनमें आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतनक्रम पहले ही थे। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि १ अप्रैल, १९६१ से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के वेतनक्रम और भी बढ़ाये जायेंगे। जिनका वहन यह केन्द्रीय सरकार ही करेगी। आयोग राज्य विश्वविद्यालयों के वेतनक्रमों को बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है।

संबद्ध कालिजों में भी पुनरीक्षित वेतनक्रम लागू किए जा रहे हैं। आयोग ५० प्रतिशत पुरुषों के कालिजों तथा ७५ प्रतिशत महिलाओं के कालिजों को धन देता है। इस योजना के अधीन १९६०–६१ में ४२२ कालिजों में १५,००० अध्यापकों को लाभ हुआ है।

तीसरी योजना में, अध्यापकों के बच्चों को छात्रवृत्ति देने के बारे में भी मंत्रालय विचार कर रहा है। हमने राज्य सरकारों से भी कहा है कि मैट्रिक से पहले की शिक्षा के लिए अध्यापकों के बच्चों को सहायता दें।

भारत सरकार ने राज्य सरकारों को अध्यापकों के लिए तीन लाभ योजना बताई है। इस योजना के अन्तर्गत अध्यापकों को भविष्य निधि, निवृत्ति वेतन तथा बीमा यह सुविधायें प्राप्त होंगी। ऐसी व्यवस्था मद्रास, केरल, जम्मू तथा काश्मीर, उत्तर प्रदेश और मैसूर में है। उड़ीसा और मैसूर ने लिखा है कि उन्होंने योजना की जांच कर ली है। हमें आशा है कि यह योजना तीसरी योजना में अधिकांश राज्यों में लागू कर दी जायेगी।

श्रीमती रेणुका राय ने बताया कि अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए कम काम किया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि हमने इसी दिशा में सब से अधिक काम किया है। इस समय प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए क्रमशः ६० तथा ६८ प्रतिशत अध्यापक उपलब्ध हैं। हमारा विचार १९६५–६६ के अन्त तक इसको ७५ प्रतिशत कर देने का है।

[डा० का० ला० श्रीमाली]

भारत सरकार का विचार तीसरी योजना में चार प्रादेशिक अध्यापक प्रशिक्षण कालिज खोलने का है । इन कालिजों में टैक्नालाजी, कृषि, वाणिज्य, गृह विज्ञान कला, विज्ञान का प्रशिक्षण कराया जायेगा । इस प्रकार १०० प्रशिक्षित अध्यापक प्रति वर्ष प्रति कालिज से निकलेंगे ।

माननीय सदस्य जानते हैं कि दूसरी योजना में भारत सरकार ने प्रशिक्षण कालिजों में विस्तार सेवा केन्द्र स्थापित कर दिए थे । पहली दो योजनाओं में ५४ विस्तार सेवा केन्द्र खोले गये थे । इन केन्द्रों के द्वारा बड़ा उत्तम काम किया गया और इनके अधीन पांच हजार माध्यमिक स्कूल आए थे । इसकी सफलता के कारण हमने तीसरी योजना में २५ और कालिजों में इस योजना को लागू करने का विचार किया है । प्रत्येक राज्य में दो परियोजनाओं के हिसाब से तीस प्रारंभिक परियोजनायें सामुदायिक विकास खण्डों में चालू की जायेंगी । जिससे देश में अध्यापकों की योग्यता बढ़ेगी और उनकी सेवा की दशा में भी अन्तर पड़ेगा ।

सरकार कम मूल्य की पाठ्य पुस्तकें निकालने का भी प्रयत्न करेगी । भारत सरकार यूनेस्को से बातचीत कर रही है कि समाज के गरीब बच्चों को किताबें मुफ्त वितरित की जायें । क्योंकि यूनेस्को एशिया में प्राथमिक शिक्षा के विकास कार्यक्रम के लिये हमारे देश को भी सहायता देगा ।

हमने ब्रिटेन और अमरीका से सस्ते मूल्य पर किताबें भी मंगाई हैं । ब्रिटेन ने २३ किताबें भेजने का वायदा किया है और शीघ्र ही यह पुस्तकें भारत में आ जायेंगी ।

अमरीका से आने वाली पुस्तकों को वित्तीय सहायता पी एल—४८० के अधीन दी जायेगी । इन दोनों देशों से आने वाली किताबों के मूल्य मूल किताबों के मूल्यों से एक तिहाई कम होंगे ।

मैं हिन्दी डिवीजन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य, डा० गोविन्द दास आदि इसके बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं । परन्तु मैं इतना फिर भी बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने अहिन्दी भाषा भाषी राज्यों के लिए हिन्दी अध्यापकों का प्रशिक्षण करने के लिए शत प्रतिशत सहायता देने का निर्णय किया है । आन्ध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र के लिए १९६०-६१ के अनुदान दे दिए गए हैं । त्रिपुरा में एक कालिज शीघ्र ही स्थापित हो जायेगा । केरल, मैसूर और मद्रास की योजनायें विचाराधीन हैं ।

आगरा में जिस महाविद्यालय को अखिल भारतीय हिन्दी परिषद् चला रही थी उसे भारत सरकार ने इस वर्ष से ले लिया है और उसे केन्द्रीय शिक्षा मंडल के अधीन चलाया जायेगा ।

हिन्दी को बढ़ाने की जो दूसरी कोशिश भारत सरकार कर रही है वह है हिन्दी संगठनों के एक संघ की स्थापना । हिन्दी को फलाने के लिए सरकार सारे हिन्दी संगठनों को एक ही संघ के निर्माण का निमंत्रण देगी ताकि हिन्दी को आगे बढ़ाने के लिए सब संस्थायें मिल जुल कर एक जैसे प्रयत्न करें ।

मैंने बार बार इस सभा में यह बात कही है कि भारत सरकार यथासंभव शीघ्र हिन्दी तथा राज्यीय भाषाओं को माध्यम बनाना चाहती है । उसका आशय है कि इससे शिक्षा का स्तर भी न गिरे । सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सरकार अच्छी अच्छी वैज्ञानिक, टेक्निकल तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों की सर्वप्रिय पुस्तकों का अनुवाद हिन्दी में करायेगी जिसे सरकारी अभिकरण, विश्वविद्यालय, तथा अन्य साहित्यिक अभिकरण करेंगे। इन किताबों के प्रकाशन का व्यय भी सरकार ही उठायेगी । यह योजना मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में लागू कर दी गयी है और समन्वय समितियां स्थापित कर दी ग ी हैं । इसके बाद भारत की सारी भाषाओं में भी अनुवाद का काम चलेगा ।

डा० गोविन्द दास : जैसा कि मैंने कहा था, क्या अनुवाद के अलावा मौलिक ग्रंथों के लिए भी कोई प्रयत्न होगा और क्या इसके लिए भी कोई योजना है ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मौलिक काम के लिए भी सहायता होगी । १०० प्रतिशत सहायता न केवल हिन्दी की पुस्तकों आदि के प्रकाशन के लिए दी जायगी वरन अन्य भाषाओं की किताबों के लिए भी । मेरा ख्याल है कि यह बड़ा भारी कदम है । हमें आशा है कि इससे भारतीय विश्वविद्यालय अपने माध्यम बदल सकेंगे ।

सभा यह जानकर भी प्रसन्न होगी कि भारत सरकार ने सर्वप्रिय किताबों को हिन्दी भाषा में सस्ते मूल्यों पर निकालने की एक योजना बनाई है ताकि उससे जनसाधारण भी लाभ उठा सके । यह योजना मुख्य रूप से विद्यार्थियों के लिए है । इस योजना के अनुसार संसार के अच्छे ग्रंथों का हिन्दी अनुवाद तथा हिन्दी की प्रामाणिक पुस्तकें, सस्ते संस्करणों के रूप में प्रकाशित की जायेगी ठीक उसी तरह जिस तरह अंग्रेजी में "एवरी साइंस", तथा "हाउ एंड व्हाई" इत्यादि के संस्करण छपते हैं । ऐसी २५ किताबों का चुनाव कर लिया गया है और प्रकाशनों के टेंडर मांगे गये हैं । सरकार इन पुस्तकों के प्रथम संस्करण की एक तिहाई प्रतियां खरीदेगी ।

यह तो सभा को विदित ही है कि नागरी प्रचारिणी सभा ने हिन्दी एन्साइक्लोपीडिया--जिसके १० खंड होंगे--का प्रथम खंड निकाल दिया है । हम वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दों के लिए भी एक आयोग बना रहे हैं । श्री खाडिलकर ने कहा कि शब्द बनाने के बारे में भाषा संबंधी मान्यता से काम लिया जाता है । परन्तु हमें आशा है कि उन्होंने राष्ट्रपति का निदेश देख ही लिया होगा। हम अन्त र्ष्ट्रीय शब्दों को यथासंभव अपनाते हैं । इसी दृष्टि से आयोग की स्थापना की जा रही है ।

संस्कृत के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिये हमने अनेक उपाय किये हैं। हमारी योजना संस्कृत की ऐसी पाठ्य पुस्तकें छापने की है जिनसे संस्कृत सीखनी आसान हो जाय और हम संस्कृत की उन पुस्तकों को भी प्रकाशित करना चाहते हैं जो अब प्राप्त नहीं हैं। भारत सरकार गुरुकुलों को भी सहायता देना चाहती है । इन्ही संस्थाओं ने हमारे पुरातन गौरव को अक्षुण्ण रखा है । निर्णय किया गया है कि तिरुपत्ती में केन्द्रीय संस्कृतशाला स्थापित की जाय जहां संस्कृत के अध्ययन को विनियमित करने के लिये खोज भी की जाय।

श्री खाडिलकर ने किसी पुस्तक का उद्धरण दिया जिसमें रूस की शिक्षा प्रणाली का वर्णन था। मैं चाहता हूं कि वह गांधी जी की किसी पुस्तक से कोई उद्धरण खोजते। कई बार हम यह समझने लगते हैं कि रूस और चीन में बहुत कुछ हो रहा है। परन्तु अकसर हम अपने देश में हो रहे विकास

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० का० ला० श्रीमाली]

की बात भूल जाते हैं । भारत सरकार ने शिक्षा को बुनियादी ।दशा देने के काफी प्रयास कि हैं। तीसरी योजना में, यदि धन की ठीक व्यवस्था हुई तो न केवल प्रशिक्षण कालेजों को ही अपितु सारे स्कूलों को बुनियादी शिक्षा के आधार पर चलाया जायगा ।

श्री खाडिलकर जानते हैं कि भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा संबंधी समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया है और अनेक बहु-प्रयोजनीय स्कूल खोले हैं। इन स्कूलों में वाणिज्यिक, टेक्नीकल आदि सुविधायें होंगी और विद्यार्थियों को इच्छानुसार अध्ययन करने के अवसर प्राप्त होंगे ।

हमने ग्रामीण संस्थायें भी बनाई हैं। इन्हें देखना चाहिय। अंतर्विश्वविद्यालय बोर्ड ने भी इन्हें मान्यता दे दी है और न संस्थाओं के स्नातकों को सभी विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पठन पाठन के अवसर मिल सकेंगे ।

देश के ुवकों को वैज्ञानिक और टेक्निकल समाज के लिये उपयुक्त बनाने की ृष्टि से भारत सरकार का यह विचार है कि माध्यमिक शिक्षण स्तर पर ही विज्ञान के अध्ययन को दृढ़ बनाया जाय। इस दृष्टि से देश के सारे माध्यमिक स्कूलों में तीसरी योजना के अतगत विज्ञान पढ़ाने की व्यवस्था हो जायगी। इसके अलावा बड़ी संस्थाओं के लिये उपयोगी विद्यार्थियों की कमी पूरी करने तथा अनेक उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिये भी विज्ञान की शिक्षा देने की सुविधाओं को बढ़ाया जायगा। हमें आशा है कि तीसरी ोजना के अन्त तक ९ प्रतिशत अधिक स्कूलों में विज्ञान को पृथक विषय के तौर पर पढ़ाने की सुविधायें हो जायेंगी । इस तरह ऐसी व्यवस्था ४७ प्रतिशत स्कूलों में हो जायगी । इस समय विश्वविद्यालय स्तर पर विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों का अनुपातिक प्रतिशत ३० है। विज्ञानेतर तथा विज्ञान संबंधी विद्यार्थियों की संख्या के इस वैभिन्य को कम करने के लिये और उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिये इस योजना में ४० प्रतिशत तक की व्यवस्था की गयी है। ैज्ञानिक ृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिये भी अनेक प्रकार के आ।योजन किये जाते हैं। श्री खाडिलकर को इन चीजों को वास्तविक समझना चाहिये और दूर नहीं जाना चाहिये ।

हमारा विचार वैज्ञानिक शिक्षाशाला की स्थापना करने का भी है जोकि राष्ट्रीय शिक्षाशाला ही का एक अंग होगी । वित्त मंत्री की सहायता से हम गुणसम्पन्न विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने की एक योजना बना रहे हैं । मंत्रालय की यह इच्छा है कि एक व्यापक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना चालू की जाय जिसके अनुसार अच्छे विद्यार्थियों को काफी सहायता दी जा सके । मुख्य चुनाव मैट्रिक होने पर होगा और छात्रवृत्ति इस तरह से दी जाया करेगी जिससे आगे की शिक्षा का खर्च पूरा हो जाय ।

वित्तीय सहायता के अतिरिक्त छात्रवृत्तियां पाने वालों को शिक्षण के लिये भी विशेष सुविधायें दी जाया करेंगी। यद्यपि यह चुनाव तो मैट्रिक के स्तर पर ही हुआ करेगा परन्तु उससे पहले की श्रेणियों के योग्य बच्चों को भी बढ़ावा दिया जायगा ।

६–१४ वर्ष के विद्यार्थियों के लिये भी छात्रवृत्ति ोजना को लागू करके हम राज्य सरकारों की तत्संबंधी योजनाओं को भी बढ़ावा दे रहे हैं। जिन विद्यार्थियों का चुनाव इसके अन्तर्गत हो जाया करेगा उन्हें रेजीडेंशल सेकंडरी स्कूलों में पढ़ना होगा। इसके लिये हर राज्य में अनेक स्कूलों को मुआइना किया गया है। जैसे जैसे योजना बढ़ेगी अधिक स्कूल इसके अन्तर्गत लिये जाते रहेंगे ।

इस प्रकार की व्यापक छात्रवृत्ति योजना इस देश में पहली बार ही की जा रही है। इस योजना की सारी व्यवस्था कराने का भार एक स्वायत्त निकाय पर छोड़ा जा रहा है।

†**श्री खाडिलकर** : आम तौर पर गांवों के लोग नगरीय लोगों से पीछे रह जाते हैं। इसे कैसे दूर किया जायगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जब योजना पर विचार करेंगे तब हम इस चीज पर भी अवश्य विचार करेंगे। अभी तो यह ही सोचा जा रहा है कि क्या सरकार सीधे ही इसे चलाये या स्वायत्त निकाय को यह काम सौंपा जाय ।

इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के विद्यार्थियों पर प्रति वर्ष २२५ लाख रुपया व्यय करती रही है। आगे भी इन जातियों के योग्य विद्यार्थियों को ऐसी सहायता मिलती रहेगी। इसके अलावा सरकार ऐसी व्यवस्था भी करेगी कि गरीब विद्यार्थी पढ़ते समय कुछ कमाते भी रहें। पांच विश्वविद्यालयों अर्थात्, उसमानिया, जाधवपुर, राजस्थान, बड़ौदा और इलाहाबाद में औद्योगिक बस्तियां बनाने का निर्णय किया है। ग्राम्य संस्थाओं में भी ऐसी बस्तियां स्थापित करने का सरकार का विचार है। जो विद्यार्थी आगे पढ़ना चाहते हैं मगर जिनके पास पैसा नहीं उनके लिये यह योजना बड़ी ही अच्छी रहेगी। ऐसे लोगो को शिक्षा की सुविधायें देने के लिये, जो सामान्य रूप में कालेजों में न जा सके, तीसरी योजना में संध्या कालीन कालेज या पत्रों द्वारा शिक्षा की योजना चलाई जायगी। इसके लिये अभी १४० लाख रुपये रखे गये हैं। आशा है इससे ६०००० विद्यार्थियों को लाभ पहुंचेगा जिनमें से १०,००० विज्ञान पढ़ेंगे।

शिक्षा में, गवेषणा के काम तथा प्रशिक्षण को एक दिशा देने की दृष्टि से शिक्षा संबंधी गवेषणा तथा प्रशिक्षण की एक राष्ट्रीय परिषद स्थापित करने का भी विचार है। राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने न केवल इस योजना का समर्थन ही किया है वरन् इसके सदस्य बनने की आकांक्षा भी प्रकट की है। केन्द्र में अनेक संस्थाओं को इसके अधीन लाने की कोशिश की जायगी। सारा प्रबन्ध परिषद ही करेगी। यह परिषद गवेषणा का काम करेगी और अध्यापकों को प्रशिक्षण देगी जिन्हें राज्यों के विकास कार्यों के लिये उपलब्ध किया जायगा। यह परिषद परामर्श देने का कार्य भी करेगी। केन्द्रीय परिषद का प्रशासन राज्यों तथा केन्द्रीय मंत्रालय का एक संयुक्त निकाय करेगा जो स्वायत्त होगा। हमारा विचार शिक्षा संबंधी एक केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना करना भी है। यह बोर्ड ऐसे विद्यार्थियों के माध्यमिक स्तर के परीक्षण किया करेगा जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति राज्यीय बोर्डों से नहीं होती। देश में कुछ स्कूल किसी भी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नहीं हैं और परीक्षा लेने वाली निकायें विदेशों में हैं। इसके अलावा कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनके मां बाप एक राज्य से दूसरे राज्य में तबदील हो जाते हैं। उनकी परीक्षा की भी यहीं व्यवस्था होगी। विदेशों में भी भारतीय हैं जिनके बच्चों को ऐसी सुविधा दी जानी चाहिये ।

इन सब चीजों पर ध्यान रखकर सरकार अजमेर बोर्ड को ही केन्द्रीय बोर्ड में परिवर्तित करने की बात सोच रही है। ऐसे बार्ड की स्थापना से शिक्षा का स्तर भी ऊंचा हो जायगा।

श्रीमती रेणुका राय ने शिकायत की कि देश में होने वाली बातों की जानकारी प्राप्त करने का कोई साधन नहीं है। मैं समझता हूं कि शिक्षा संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिये कोई संस्था अवश्य होनी चाहिये। यह ठीक ही है। कई बार अनेक लोगों हो शिक्षा संबंधी योजनाओं का पता तक भी नहीं चलता। अतः केन्द्रीय सरकार राज्यों की सहायता से अब "भारतीय शिक्षा संबंधी वार्षिक पुस्तक" निकाला करेगी जिसमें शिक्षा की प्रगति का सारा ब्योरा रहा करेगा। दो मास

†मूल अंग्रेजी में

[डा० का० ला० श्रीमाली]

के भीतर ही यह पुस्तक माननीय सदस्यों को भेज दी जायगी। इस पुस्तक से विश्वविद्यालयों, विद्यार्थियों के माता पिता और अन्य रुचि रखने वाले लोगों को शिक्षा संबंधी प्रगति का सारा हाल मालूम हो जाया करेगा।

एशिया में अनिवार्य शिक्षा के विकास के उद्देश्य से यूनेस्को के प्रादेशिक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये भी हम अन्तर्राष्ट्रीय निकाय के सहयोग से एशिया के लिये एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नई दिल्ली में एक केन्द्र शीघ्र ही स्थापित किया जायगा। जिसमें एशिया के सेवासंलग्न अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधायें दी जा सकेंगी। इस केन्द्र की स्थापना से अन्य देशों से भी हमारा संबंध बढ़ेगा। आवश्यकता अनुसार पहले इसे यूनेस्को चलायेगी और बाद में राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में भारत सरकार।

शिक्षा संबंधी योजनाओं को संक्षेप से मैंने बता दिया है। अन्य योजनाओं की भांति भले ही यह आकर्षक प्रतीत न हों परन्तु इन्हीं से सामाजिक क्रांति सम्पन्न होगी।

प्रशिक्षण द्वारा अध्यापकों को और ज्यादा योग्य बनाना और चुनाव करना बड़ा कठिन काम है। सस्ती और अच्छी किताबों को जनता तक पहुंचाना भी बड़ा आवश्यक है। राष्ट्रीय भाषाओं का विकास हमारी संस्कृति की रक्षा के लिये अत्यावश्यक है। विज्ञान के अध्ययन अध्यापन को भी समयानुसार बढ़ावा देना जरूरी है। निर्धन तथा गुणसम्पन्न विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देना अत्यावश्यक है इससे गरीब बच्चे भी पढ़ने के सुअवसर प्राप्त कर सकेंगे। हमें दुख इस बात का है कि हमारी जरूरतें ज्यादा और हमारे साधन कम हैं। अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि वे शिक्षा संबंधी खर्चे में कमी की बात न कहें। इसी खर्चे से हमारे समाज की बुनियाद मजबूत होगी। दुर्भाग्य से अभी हमारे यहां शिक्षा को योजना आदि में प्राथमिकता नहीं दी जाती क्योंकि योजना बनाने वाले यह नहीं समझते कि मनुष्यों पर पैसा लगाना, मशीनों पर धन लगाने से ज्यादा बेहतर है।

इस संदर्भ में मैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अर्थ शास्त्री श्री जे० के० गालब्रेथ के शब्दों को दुहराता हूं। अभी उन्हें भारत में अमरीकी राजदूत के ओहदे पर नामजद किया गया है। अमरीका की प्रौद्योगिक प्रगति का उल्लेख करते हुये उन्होंने कहा है कि, "टेक्नोलाजिक प्रगति धन इकट्ठा करने के परिणाम से ही नहीं हुई अपितु इसको लाने में भी मानव ही का हाथ है। निस्सन्देह यह प्रगति, मनुष्य की शिक्षा-दीक्षा पर अधिकाधिक धन लगाने के फलस्वरूप ही होती है। हम इस प्रगति का काफी श्रेय ऐसे ही विनियोजन को दे सकते हैं। पिछली सात दशाब्दियों में हमने जो उन्नति की है उसका कारण अधिकांशतः यही है कि हम जनगण की शिक्षा-दीक्षा पर काफी खर्चा करते हैं हैं और अब प्रगति और भी अधिक वेग से मानव ही के कारण हो रही है।"

मुझे खेद है कि वित्त मंत्री पहले ही उठकर चले गये।

हम उन्हीं से धन मांगते हैं। आशा है कि वे हमें और ज्यादा धन देंगे।

यद्यपि मैं सभा का और समय नहीं लेना चाहता तथापि कुछ प्रश्नों के उत्तर देना चाहूंगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शिक्षा मंत्री कुछ और कहना चाहते हैं।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जहां तक प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को भत्ते देने की बात है मैं यहां निवेदन करना चाहता हूं कि १५ राज्यों में से १० राज्यों में इन शिक्षकों को

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता दिया गया है। केन्द्रीय सरकार के शिक्षकों को अच्छा वेतन मिलता है। यह बात कुछ अंशों में ठीक है कि कुछ राज्यों में शिक्षको को केन्द्रीय सरकार के चपरासियों की अपेक्षा कम वेतन मिल रहा है। लेकिन यह बात केन्द्र प्रशासित क्षेत्र के बारे में सही नहीं है। आसाम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में जो महंगाई भत्ता दिया जाता है वह जरूर कम है। आसाम तथा उड़ीसा के लिये तीसरी योजना में निधि की व्यवस्था कर दी गई है कि वह महंगाई भत्ते में जो अन्तर है उसकी पूर्ति कर सकें। पश्चिमी बंगाल के लिये कुछ धन की व्यवस्था की गई है कि वह कुछ तो इन शिक्षकों की तनख्वाह में वृद्धि कर सकें और कुछ राशि इसलिये की गई है कि वह इन अध्यापकों की महंगाई भत्ता बढ़ा कर २५ रुपये तक कर सके। आज कल उनको १२॥ रुपये महंगाई भत्ता मिलता है जब कि सरकारी कर्मचारियों को ३५ से ४० रुपये तक महंगाई भत्ता मिलता है। अतः पश्चिमी बंगाल में महंगाई भत्ते में अन्तर अवश्य है। बिहार सरकार ने बताया है कि वह इस बारे में विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी इस चालू वर्ष में अध्यापकों के वेतन में ४ रुपये तथा भत्ते में ५ रुपये कीं वृद्धि की है। लेकिन फिर भी वहां सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते तथा अध्यापकों को मिलने वाले भत्ते में २० रुपये की कमी रहेगी। वहां की सरकार इस समस्या पर विचार कर रही है। हम भी इस बात के इच्छुक हैं कि यह भत्ता बढ़ा कर सरकारी कर्मचारियों के समान हो। तीसरी योजना में इन अध्यापकों की आय बढ़ाने के लिये १४.२० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि खेलों के लिये अलग से एक मंत्रालय बनाया जाये। हमने अपने देश में खेलों के संगठनों को स्वतन्त्रता दे रखी है। यह बात ठीक है कि खेलों के मैनेजर आदि का चुनाव ठीक नहीं होता है लेकिन इसका यह भी अभिप्राय नहीं है कि अलग से मंत्रालय बना कर खेलो का राष्ट्रीयकरण किया जाये। ऐसा करना लोकतंत्रीय ढांचे की सरकार की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। खेल परिषद को मान्यता देने के सम्बन्ध में हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। इसके लिये केवल एक ही शर्त यह रखी गई है कि यह किसी और दूसरे खेल संगठन से अपना सम्बन्ध नहीं रखेगी। हम चाहते हैं कि हमारे देश के अच्छे से अच्छे खिलाड़ी चमक में आये। और यह खेलकूद परिषद प्रभावी बने।

मैं इस बात से सहमत हूं कि खेल संगठनों के साथ सख्ती का बर्ताव किया जाये। हम चाहते हैं कि यह खेल कूद परिषद इस दिशा में सही कदम उठायेगी। मेरा निवेदन है कि यह परिषद तथा सरकार खेलों की उन्नति के लिये समुचित उपाय कर रही है।

अपंग लोगों के लिये सरकार क्या कर रही है यह सब बताने का समय तो मेरे पास नहीं है लेकिन फिर भी सरकार अंधे, गूंगे, और बहरों के लिये बहुत कुछ कर रही है। इनके लिये हम तो संस्थायें नही खोलते बल्कि गैर-सरकारी संस्थाओं को यथेष्ट सहायता दी जाती है। ताकि वे अधिक प्रभावी और अच्छी सेवा कर सकें। श्री गुप्त से मेरा निवेदन है कि यदि वह कोई ऐसा उदाहरण मेरी निगाह में लाते हैं जहां छात्रवृतियों के भुगतान में देरी हुई है तो मैं अवश्य ही इस सम्बन्ध में जांच करूंगा।

मोतीबाग महल को पंजाब सरकार ने पहले ही खरीद लिया था। लेकिन राष्ट्रीय संस्था ने इसी महीने उस पर अधिकार किया है। इसके लिये हम पंजाब सरकार को २७.५ लाख रुपये ही दे रहे हैं जितने में कि उस सरकार ने इसे वहां के महाराजा से खरीदा था। इस संस्था का कार्य अभी अभी शुरू हुआ है। प्रशिक्षण सम्बन्धी योजनाएं तैयार की जा रही हैं। यह संस्था सभी प्रकार के खेल कूदों की शिक्षा वहां देगी।

[डा० का० ला० श्रीमाली]

वैज्ञानिक शब्दावलि के बारे में एक भ्रान्ति है। डा० गोविन्द दास ने बताया है कि २,९०,००० शब्द बनाये गये हैं। वास्तव में उनकी संख्या इतनी नहीं है क्योंकि कई शब्द कई कई बार आये हैं। इस शब्दावलि के बारे में एक शिकायत यह की गई है कि एक ही शब्द कई स्थानों पर आया है। उसकी छानबीन की जायेगी। इन शब्दों का एक कोष तैयार किया जा रहा है। जो शीघ्र ही छपकर तैयार हो जायेगा।

युवक समारोह को थोड़े समय के लिये रोक दिया गया है; उनके पुनः शुरू करने के सम्बन्ध में जो सुझाव है उन पर विचार किया जायेगा।

तीसरी योजना में हमने राष्ट्रीय अनुशासन योजना को उच्च प्राथमिकता दी है। और इसके लिये ८५ लाख रुपये की व्यवस्था की है। इससे अधिक धन की व्यवस्था इसलिये नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास धन की कमी थी।

खेल के मैदान प्राप्त अथवा अर्जित करने के लिये १९६०-६१ के वर्ष में राज्य सरकारों को २६ लाख रुपये दिये गये थे ताकि वे अधिकतम ५००० रुपये देकर खेल के मैदान अर्जित कर सके। केन्द्रीय सरकार ने खेल के मैदान अर्जित करने के लिये पूरी पूरी राशि की व्यवस्था की थी। राज्य सरकारों से अभी प्रतिवेदन नहीं मिले हैं अतः मैं यह नहीं बता सकता कि इस सम्बन्ध में कितनी राशि व्यय हुई है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या मैं सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखूं।

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी हां।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शिक्षा मंत्रालय की मांग संख्या १३, १४, १५ और ११२ सभा के समक्ष मतदान के लिये रखी गईं और स्वीकृत हुईं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या अब सभा स्थगित कर दी जाये।

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी हां।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अतः अब सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक-सभा मंगलवार, २१ मार्च, १९६१/३० फाल्गुन, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

सोमवार, २० मार्च १९६१

२९ फाल्गुन, १८८२ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२८४९—७१
तारांकित प्रश्न संख्या		
९५३	ग्राम्य जीवन बीमा .	२८४९—५१
९५४	इस्पात का निर्यात . .	२८५१—५४
९५५	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में विद्युत की कमी .	२८५४—५५
९५६	सरकारी उपक्रम .	२८५५—५६
९५७	देहरादून में पैट्रोलियम संस्था . .	२८५६—५८
९५८	नैतिक और धार्मिक शिक्षा सम्बन्धी समिति .	२८५८—६१
९५९	अंडमान में तेल सर्वेक्षण .	२८६१—६२
९६०	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अध्यापक . .	२८६२—६५
९६१	वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्वित .	२८६५—६७
९६२	पाइपलाइनों का बिछाया जाना .	२८६७—६८
९६३	ब्रिटेन से पाइपों की खरीद	२८६८—७१
प्रश्नों के लिखित उत्तर	.	२८७१—२९१८
तारांकित प्रश्न संख्या		
९६४	अंशदायी शिक्षा निधि	२८७१
९६५	इस्पात पर बिक्री कर .	२८७२
९६६	इस्पात की पतली चादरें	२८७२—७३
९६७	कालेजों में प्रवेश के लिये आयु-सीमा	२८७३
९६८	मध्य प्रदेश में तांबा निक्षेप	२८७३
९६९	गणतन्त्र दिवस समारोह	२८७४
९७०	आन्ध्र प्रदेश को इस्पात का कोटा .	२८७४
९७१	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अध्ययन अवकाश	२८७५
९७२	वाणिज्यिक विभागों की सम्पत्ति पर स्थानीय कर	२८७५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
६७३	प्रत्यक्ष करों में कमी	२८७५
६७४	स्टाफ कारों का उपयोग	२८७६
६७५	मनीपुर का तमेंगलांग सब-डिवीजन	२८७६
६७६	भिलाई इस्पात कारखाने में छंटनी	२८७६–७७
६७७	दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम	२८७७
६७८	छात्रों में अनुशासनहीनता	२८७८
६७९	इस्पात कारखानों के छंटनी किये गये कर्मचारी	२८७८–७९
६८०	होजरी के सामान पर केन्द्रीय बिक्री कर	२८७९
६८१	जनता बीमा योजना	२८७९
६८२	आयुध कारखानों में निर्मित इस्पात	२८७९–८०
६८३	दिल्ली के लिये तीसरी योजना	२८८०
६८४	संगीत नाटक अकादमी	२८८१
६८५	तेल की खोज के लिये फ़ान्सीसी सहायता	२८८१
६८६	आयुध कारखानों में उत्पादन	२८८१–८२
६८७	उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि	२८८२
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१९१६	अस्पृश्यता	२८८३
१९१७	महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों को पानी की सुविधा	२८८३
१९१८	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के महाराष्ट्र के दौरे	२८८३
१९१९	नागा विद्रोही तथा मनीपुर पुलिस	२८८४
१९२०	मनीपुर और त्रिपुरा में प्राइमरी स्कूल	२८८४
१९२१	आसाम में समाज कल्याण विस्तार परियोजनायें	२८८४–८५
१९२२	गुजरात में शिक्षा संस्थाओं को अनुदान	२८८५
१९२३	उड़ीसा में गांव के चौकीदारों की उपलब्धियां	२८८५–८६
१९२४	सेना के अधिकारियों का वेतन	२८८६
१९२५	जे० सी० ओ० का वेतन	२८८७
१९२६	रद्दी लोहा	२८८७–८८
१९२७	रद्दी लोहे के मूल्य	२८८८–८९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या		
१९२८	विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में हावी वर्कशाप	२८८९
१९२९	बैंकिंग विधि का संशोधन	२८८९
१९३०	पंजाब शिक्षित बेरोजगारों को सहायता .	२८८९
१९३१	पंजाब में पालीटेक्नीक .	२८८९
१९३२	उड़ीसा के उच्च न्यायालय में अनिर्णीत मामले .	२८९०
१९३३	पाकिस्तान को भेजी गई धन राशि	२८९०
१९३४	नौलखे हार की बिक्री. .	२८९१
१९३५	बैंकों का वैज्ञानिकन . . .	२८९१
१९३६	उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों का भूतत्वीय सर्वेक्षण	२८९१–९३
१९३७	अल्पसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली भाषायें	२८९३
१९३८	यूनियनों को मान्यता .	२८९४
१९३९	विदेशी मुद्रा का अतिक्रमण .	२८९४
१९४०	नागालैंड का भूतत्वीय सर्वेक्षण . .	२८९४
१९४१	इस्पात संयं ों में इंजीनियर और टेक्निशियन	२८९५
१९४२	बरौनी तेल शोधक कारखाने के स्थान पर मिट्टी की खुदाई आदि का काम . .	२८९५
१९४३	गोहाटी की घटनाओं की जांच . .	२८९६
१९४४	पंजाब में खनिजों का विकास . .	२८९६
१९४५	अवैध शराब की भट्टियां . .	२८९७
१९४६	पंजाब में कोयले की कमी	२८९७
१९४७	भारत का सरकारी ऋण . .	२८९७–९८
१९४८	इस्पात संयंत्रों के लिये कच्चा माल .	२८९८–९९
१९४९	तार बनाने के उद्योग.	२८९९
१९५०	विदेशी सहायता	२८९९–२९००
१९५१	दिल्ली में विस्फोट . . .	२९००
१९५२	दिल्ली में रेडियो ऐस्ट्रानोमी स्टेशन .	२९०१
१९५३	खम्भात क्षेत्र में तेल नगरी	२९०१
१९५४	रूरकेला इस्पात कारखाने में पिण्डकों का उत्पादन . .	२९०१–०२
१९५५	सरकारी कर्मचारियों के लि मनोरंजन केन्द्र . .	२९०२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१९५६	पौंड पावना में वृद्धि .	२९०३
१९५७	अश्लील पोस्टरों का प्रदर्शन	२९०३—०४
१९५८	सम्पत्ति तथा आय कर	२९०४
१९५९	आयुद्ध प्रतिष्ठानों के असैनिक अफसरों के वेतन क्रम .	२९०४
१९६०	अध्ययन छुट्टी पर विदेशों में सरकारी कर्मचारी	२९०४—०५
१९६१	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वर्ग ४ के कर्मचारी	२९०५
१९६२	जम्मू और काश्मीर के लिये स्टेनलैस स्टील का कोटा	२९०५—०६
१९६३	हिन्दी विश्वकोष .	२९०६
१९६४	बाल कल्याण कार्यक्रम	२९०६
१९६५	रेल यात्रियों पर सीमा कर	२९०६
१९६६	हिन्दी में नियत संहितायें	२९०७
१९६७	हिन्दी में पत्र	२९०७—०८
१९६८	लोहे की नालीदार चादरें . .	२९०८
१९६९	आम हड़ताल के दौरान राजभक्त सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं को मान्यता देना	२९०८
१९७०	आसाम के जेलों में कैदियों पर खर्च	२९०८—०९
१९७२	मनीपुर के नागा क्षेत्रों में जनगणना .	२९०९
१९७३	जम्मू तथा काश्मीर में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियां	२९०९
१९७४	मध्य प्रदेश में आदिम जातियों का पुनर्वास	२९०९—१०
१९७५	सैनिक इंजीनियरी सेवा विभाग के आदर्श नियम .	२९१०
१९७६	उड़ीसा में राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी वृत्तिकाओं का दिया जाना .	२९१०—११
१९७७	कोलाशहर (त्रिपुरा) में सब रजिस्ट्रार	२९११
१९७८	दिल्ली में बच्चों का खो जाना	२९१२
१९७९	पंजाब में तम्बाकू की अनधिकृत खेती .	२९१२—१३
१९८०	मन्माड़ के निकट तांबे के निक्षेप . .	२९१३
१९८२	नागा विद्रोहियों द्वारा चलती गाडी पर गोली चलाया जाना	२९१३—१४
१९८३	जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता	२९१४

विषय   पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश:

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१६८४	मद्रास में राज्य की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियो का उत्थान . .	२६१४
१६८५	मद्रास में शिक्षित बेरोजगारों की सहायता .	२६१५
१६८६	मद्रास में बुनियादी शिक्षा	२६१५–१६
१६८७	उड़ीसा में जमीन	२६१६
१६८८	लाजपतनगर (दिल्ली) में उच्छृंकल लड़कों का व्यवहार	२६१६
१६८९	केन्द्रीय शिक्षा संस्था में हिन्दी .	२६१६–१७
१६९०	प्रयोगात्मक नर्सरी में अनुसन्धान . .	२६१७
१६९१	पहाड़ी क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों की प्रतिकरात्मक भत्ता (कम्पेन्सेटरी अलाउंस)	२६१७–१८

सभा पटल पर रखा गया पत्र २६१८

पुनर्वास वित्त प्रशासन एक अधिनियम १९४८ की धारा १६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत ३१ दिसम्बर, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये पुनर्वास वित्त प्रशासन के लेखे की एक प्रति उस पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन सहित, सभा पटल पर रखी गई ।

राज्य सभा से सन्देश २६१८–१९

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना दी :

(एक) कि राज्य सभा को निम्नलिखित बिलों के सम्बन्ध में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है :

(क) विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६१, जो १० मार्च, १९६१ को लोक-सभा द्वारा पास किया गया था ।

(ख) विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक १९६१ जो १४ मार्च १९६१ को लोक-सभा द्वारा पास किया गया था ।

(दो) कि राज्य सभा १६ मार्च, १९६१ की अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा ६ मार्च, १९६१ को पास किये गये बैंकिंग कम्पनीज़ (संशोधन) बिल, १९६१ बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति २६१९

सचिव ने चालू अधिवेशन में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये और १४ फरवरी, १९६१ को सभा को दी गई अन्तिम रिपोर्ट के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विनियोग बिल, १९६१ टेबल पर रखा ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . . . २९१९—२०

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) ने, साम्बारम् (मद्रास) के निकट १२ मार्च, १९६१ को हुई भारतीय वायु सेना के एक विमान के गिरने की दुर्घटना के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

विधेयक—पारित किया गया . . . . . २९२०—२६

बीमा (संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विचार करने के प्रस्ताव पर और अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डवार, विचार के बाद विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया गया ।

अनुदानों की मांगें . . . . . २९२६—७६

शिक्षा मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई और समाप्त हो गई । मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुई ।

मंगलवार, २१ मार्च, १९६१/३० फाल्गुन, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि

स्वास्थ्य तथा वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालयों के अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान ।

GIPND—LSIII—19 (Ai) LS—2-5-61—125.